षोडश माला, खंड 13, अंक 8

सोमवार, 7 दिसम्बर, 2015
16 अग्रहायण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 13, छठा सत्र, 2015 / 1937 (शक]

अंक 8, सोमवार, 7 दिसम्बर, 2015 / 16 अग्रहायण,1937 (शक)

विषय	**पृष्ठ संख्या**
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) सरकार द्वारा पाकिस्तान के संबंध में विदेश नीति पहल पर स्पष्टीकरण दिये जाने की आवश्यकता के संबंध में	14-15
(दो) बिहार में मोकामा और मुजफ्फरपुर स्थित भारत वैगन लिमिटेड के कारखानों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन के पुनरीक्षण के संबंध में	84
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1]*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 106	16-44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 107 से 120	45
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380	45
सभा पटल पर रखे गए पत्र	46
कार्य मंत्रणा समिति	56

[1]*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

23वां प्रतिवेदन

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

189वें से 192वां प्रतिवेदन 57

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

269वां तथा 270वां प्रतिवेदन 58

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

(एक) 77वाँ प्रतिवेदन 59

(दो) साक्ष्य 59

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित प्रधान मंत्री का रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) स्कीम के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 260वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। 60

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाणपत्र (आई.एस.ई.सी.) स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 261वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। 61

श्री कलराज मिश्र

समिति के लिए निर्वाचन

सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 62

सरकारी विधेयक – पुरःस्थापित 63

(एक) वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015 64

(दो) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015 65

(तीन) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 66

(चार) परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015 67

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक,2015 के बारे में विवरण

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा 64

नियम 377 के अधीन मामले 98-119

(एक) सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में कृषि विश्व विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव 99

(दो) राजस्थान में विश्व धरोहर स्थल, कुम्भलगढ़ में और अधिक पर्यटक सुविधाएं देने और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का प्रदर्शन किये जाने आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ 100

(तीन) सीकर संसदीय क्षेत्र राजस्थान के रसीदपुरा में प्याज के भंडारण की सुविधाएं स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री सुमेधानन्द सरस्वती 101

(चार) उत्तर प्रदेश में बरेली और सीतापुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 को चार लेन का बनाए जाने के निर्माण कार्य में तेजी लाए जान की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा राज 102

(पाँच) उत्तराखंड को एक विशेष सहायता पैकेज प्रदान किये जाने और 2013 की भयंकर आपदा से प्रभावित राज्य के लोगों के ऋण माफ किये जाने की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक 103

(छह) देश के सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 104

(सात) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक हवाई अड्डा स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री श्यामा चरण गुप्ता 105

(आठ) सौ तक की आबादी वाली ढाणियों/मंजरों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किये जाने और इस स्कीम के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री सी.आर. चौधरी 106

(नौ) क्रमशः बिहार और झारखंड में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड का प्रभागी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री अश्विनी कुमार चौबे 107

(दस) अनूपगढ़ -बीकानेर वाया छत्तरगढ़ रेल लाइन परियोजना को अगले वर्ष के रेल बजट में शामिल किये जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 108

(ग्यारह) मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक महाराजा टोडरमल के सम्मान में एक स्मृति डाक टिकट जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री राजेश वर्मा 109

(बारह) मध्य प्रदेश के धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फसल में लगने वाले वायरस के कारण मिर्च और टमाटर की फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को मुआवज़ा प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती सावित्री ठाकुर 110

(तेरह) चित्रकूट धाम क्षेत्र में आने वाले तीर्थ यात्रियों को लाने और ले जाने वाले वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 111

(चौदह) केरल के कोझिकोड में प्रस्तावित लाइट मेट्रो परियोजना के लिए निधियां जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन 112

(पंद्रह) तमिलनाडु में तूतीकोरिन हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता

श्री जे. जे. टी. नटर्जी 113

(सोलह) तमिलनाडु में मइलादुथरई में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री आर.के. भारती मोहन 114

(सत्रह) नए नेपाली संविधान के विरोध में मधेशी और थारू आंदोलन के कारण नेपाल में अशांति से उत्पन्न स्थिति के बारे में

प्रो. सौगत राय 115

(अठारह) भारतीय रेल में कनिष्ठ अभियंताओं की स्थिति में सुधार किये जाने की आवश्यकता

श्री बलभद्र माझी 116

(उन्नीस) हमारी फार्मास्यूटीकल ड्रग नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल शेवाले 117

(बीस) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कपास उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिए जाने की आवश्यकता

श्री येरम वेंकट सुब्बारेड्डी 119

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा 122-162

देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे की स्थिति

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया 122-135

श्री जनार्दन मिश्र 136-142

श्री एम. बी. राजेश 143-148

श्री सुदीप बंदोपाध्याय 148-152

श्री भर्तृहरि महताब 152-162

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015 163

डॉ. के. कामराज 163-166

श्री तथागत सत्पथी 167-172

श्री विनायक भाऊराव राऊत 172-175

डॉ. रविन्द्र बाबू 175-179

श्री बी. विनोद कुमार 179-181

डॉ. ए. सम्पत 181-187

श्री एम.आई. शनवास 188-192

श्री पी.पी. चौधरी 192-197

श्री कौशलेन्द्र कुमार 197-198

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 198-202

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 202-204

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा 205-212

खंड 2 से 28 और 1 217-223

पारित किये जाने के लिए प्रस्ताव 223

भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015

विचार के लिए प्रस्ताव 225

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना (नाग) डे

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 7 दिसंबर, 2015/ 16 अग्रहायण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे विदेश नीति पहल के मुद्दे के संबंध में प्रो. सौगत राय, कीमतों में वृद्धि के संबंध में श्री पी. करुणाकरण, मुल्लापेरियार बांध के नीचे रहने वाले लोगों की सुरक्षा के संबंध में एडवोकेट जोइस जॉर्ज, पंजाब पुलिस द्वारा फ़र्ज़ी मुठभेड़ों के संबंध में श्री भगवंत मान, तथा *राम जन्म भूमि* पर विभिन्न दलों द्वारा दिए गए बयानों के संबंध में श्री राजेश रंजन की ओर से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

हालांकि, ये मामले महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आज के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न किया जाए। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब प्रश्नकाल।

… (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सरकार द्वारा पाकिस्तान के संबंध में विदेश नीति पहल पर स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता के संबंध में।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, मैंने भारत-पाकिस्तान वार्ता से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर नोटिस दिया है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अभी नहीं। प्रश्न क्र.101.

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: महोदया, कृपया मुझे अनुमति दें। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?

… (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री जी, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री जी तथा संसदीय कार्य मंत्री जी (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदया, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता के संबंध में माननीय सदस्यों की चिंता पर गौर किया है, तथा इससे विदेश मंत्रालय को अवगत करा दिया जाएगा। हम इसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज मॉरिशस की राष्ट्रपति आई हुई हैं और वे उनके साथ व्यस्त हैं। एक बार इसे चर्चा हेतु दूसरे रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम निश्चित रूप से जल्दी ही इस पर चर्चा करेंगे। … (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: उन्हें पाकिस्तान के मुद्दे पर बयान देने दीजिए। … (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू : मैं भी यही कह रहा हूं। मैं हां कह रहा हूं, लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया है। वह भी अभी व्यस्त है। धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदया, मैंने देश में मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हम मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठा रहे हैं और आप इसे अच्छी तरह जानते हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। आप ये सब बातें क्यों कह रहे हैं?

… (*व्यवधान*)... *

* कार्यवाही वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

*प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 101, श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे

(प्रश्न संख्या 101)

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे: माननीय अध्यक्ष (लोक सभा), महोदया, पेट्रोलियम क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मूल कीमत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों द्वारा तय की जाती है और एक समान रखी जाती है। अन्य क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए, विमानन क्षेत्र में, किसी निश्चित समय पर किसी विशेष गंतव्य तक उड़ान भरने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनियां और निजी क्षेत्र की विमान कंपनियां अपना किराया एक समान नहीं रखती हैं। किराया उनकी रणनीति, तकनीक और योजना के अनुसार अलग-अलग होता है, लेकिन इस मामले में उपभोक्ता के पास सबसे कम कीमत चुनने का विकल्प होता है।

अतः माननीय अध्यक्ष (लोक सभा), महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं। क्या सरकार, सरकारी राजस्व खोए बिना गतिशील मूल्य बाज़ार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

तेल रिफाइनरियों बीच प्रतिस्पर्धा की योजना बना रही है? इसके अलावा, उपभोक्ता के पास सबसे कम कीमत का विकल्प भी होगा।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने सही प्रश्न उठाया है कि क्या भारत का बाजार में प्रतिस्पर्धा के अनुरूप मूल्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी प्रिंसीपल को आधार बनाकर सरकार ने वर्ष 2010 से पेट्रोल को मार्केट के हवाले किया है। डीजल को 19 अक्टूबर, 2014 से मार्केट हवाले किया है। अब तीनों ऑयल माकेरटिंग कम्पनीज और सरकारी उद्योग उस काम में लगे हैं। दो-तीन प्राइवेट कम्पनीज, जिनके पास लाइसेंस है, वे भी मार्केट में हैं। जैसे प्राइवेट एयरलाइंस की बात है, कितना फर्क होगा यह मार्केट ही तय करेगा लेकिन भारत सरकार की नीति यही है कि उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए व्यावसायिक कम्पीटिशन हो, जिससे ग्राहकों को सहूलियत मिले।

[अनुवाद]

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे: अध्यक्ष (लोक सभा), महोदया, सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश तेल रिफाइनरियां पुरानी तकनीक की हैं और इस कारण निजी तेल रिफाइनरियों की नई तकनीक की तुलना में सकल रिफाइन मार्जिन कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उत्पादन लागत कम करने के लिए सरकारी तेल रिफाइनरियों का आधुनिकीकरण करने की योजना बना रही है।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैडम, यह विषय पूरा सही नहीं है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के जीआरएम और ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स सभी का कम है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि बरौनी जैसे सबसे पुराने ऑयल

रिफायनरी का जीआरएम कई प्राइवेट सेक्टर्स के बराबर है। अभी भारत के पब्लिक सेक्टर के अंदर जो रिफायनरी यूनिट्स हैं, इनकी यह बात सही है कि कइयों की पुरानी टैक्नोलॉजी के कारण जीआरआम नहीं हो पाते हैं, हम जीआरएम को और कंपीटिटीव करें, पीएसयू उसमें कई कदम उठा रही है, पीएसयू की कई रिफायनरी यूनिट प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा जीआरएम दे रहे हैं।

श्री राजीव सातव : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यहाँ से प्रश्न पूछना चाहूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मंत्री जी ने यहाँ पर कहा है कि सब मार्केट के हवाले कर दिया गया है। लेकिन, क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, 20-20 रुपए प्रति लीटर सरकार पेट्रोल पर ले रही है और करीब 11 रुपए प्रति लीटर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लग रहा है। बाकी तो मार्केट के हवाले रहने दीजिए। लेकिन जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, उसे कम करने की दिशा में क्या सरकार कुछ सोच रही है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैडम, मैं पूरे विषय को थोड़ा स्पष्ट कर दूँ। अभी पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस मैकेनिज्म है, उसमें सिर्फ केन्द्र का ही टैक्स नहीं है, इसमें राज्यों का भी टैक्स है। ये बात सही है कि यदि हम पेट्रोल के ऊपर प्राइस की समीक्षा करेंगे, तो मूल खर्च रिफायनरी गेट के ऊपर उसका प्राइस लगभग 47 पर्सेंट है। केन्द्र का टैक्स 32.3 पर्सेंट है, राज्यों का टैक्स 20 पर्सेंट है, कुल मिलाकर 52 पर्सेंट टैक्स है। पिछले साल भर में हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल पर नेट, हमने पेट्रोल पर 13.12 रु. कम किया, डीजल में 12.42 रु. कम किया, 19 बार घटाया, सात बार पेट्रोल में बढ़ाना पड़ा। हमने 15 बार डीजल में घटाया और आठ बार बढ़ाना पड़ा। जैसा कि हमने कहा कि ये मार्केट ड्रिवेन प्राइस हैं। यह बात सही है कि कुछ पैसे केन्द्र और राज्य मिलकर टैक्स के रूट में रखते हैं। यह एक कल्याणकारी देश है, विकास की योजनाओं के लिए सरकार की कई प्रतिबद्धताएँ हैं। इसलिए कोई छिपी बात नहीं है। हम पहले ग्राहकों के हितों पर ध्यान देते हैं। कुछ पैसे हम टैक्स के माध्यम से विकास की योजनाओं के लिए भी रखते हैं, जिसमें मूलतः देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सोशल सेक्टर के इंवेस्टमेंट के काम में आते हैं।

निशिकान्त दुबे : माननीय अध्यक्ष महोदया, मार्केट को यह प्राइस देने के बाद भी यानी उसे श्री डिटरमिन करने के बाद भी, प्राइवेट सेक्टर के एजेंट्स चाहे वे आईओसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस आदि हैं, इन सबों के प्राइसेज एक ही देखे गये हैं। यदि आप किसी पेट्रोल पम्प पर जाएं तो ये प्राइसेज एक ही मिलेंगे। दूसरा, सरकार एक बड़ा अच्छा लेजिस्लेशन जीएसटी के तौर पर लाना चाहती है और जिस तरह से अभी मंत्री जी महोदय ने जवाब दिया कि इसमें केन्द्र का भी टैक्स है और इसमें राज्य का भी टैक्स है। टोटल टैक्स 52 पर्सेंट है। यदि किसी ग्राहक को 29 रुपये पेट्रोल मिलना चाहिए, तो वह 61 रुपये में ले रहा है और डीजल 29 रुपये में मिलना चाहिए तो वह 47 रुपये में ले रहा है। इस प्रकार से, 48 पर्सेंट उसका कॉस्ट है और 52 पर्सेंट उसका टैक्स है।

उसी प्रकार से एटीएफ है, जिसके कारण पूरा सिविल एविएशन सेक्टर डाऊन जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्ट एटीएफ में देनी पड़ती है। इसलिए सभी एयरलाइंस कंपनियों का जो कैलकुलेटिव रेकरिंग कॉस्ट है, वह लगातार बढ़ रही है। स्टेट अलग-अलग एटीएफ के चार्ज लेते हैं। इसी प्रकार से, सेन्टर का अलग चार्ज है और स्टेट का अलग चार्ज है। क्या मंत्री जी महोदय, पूरी सरकार या पूरा देश जीएसटी में इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाने के लिए, जिससे ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, यदि जीएसटी बहुत बड़ा लेजिस्लेशन है, इससे 2 पर्सेंट जीडीपी बढ़ना है, तो उसमें आम लोगों को भी फायदा हो, उसके लिए मंत्री जी महोदय क्या सोचते हैं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : मैडम, जब डिफरेंट फोरम पर जीएसटी कमेटी बैठी थी, जब राज्यों से चर्चा हुई, जब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर चर्चा हुई, जब सिलेक्ट कमेटी में चर्चा हुई कि क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी में रखना चाहिए? सिद्धांततः जब से जीएसटी की कल्पना आई, जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शामिल रहें, यह सभी मानते हैं, लेकिन संघीय व्यवस्था है। हम राज्यों के ऊपर कोई चीज लाद नहीं सकते हैं। मैं एक हिसाब लगा रहा था, आखिर राज्यों की रेवेन्यू कलेक्शन का दस-बारह प्रतिशत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से आता है। हम राज्यों पर इसे लाद नहीं सकते हैं। राज्यों की अपनी एस्पिरेशन्स हैं, विकास की कमिटमेंट है, वेलफेयर की

कमिटमेंट है, इसलिए जब तक सहमति नहीं होती है, जीएसटी में हम भारत सरकार की ओर से इसे नहीं डाल सकते हैं, लेकिन सिद्धान्ततः इसे जीएसटी में आना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सुन्दरम: अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने का अधिकार तेल कंपनियों को देने के बाद, कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव हुआ है। इसके अलावा, केंद्र सरकार भी डीज़ल और पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) लगातार बढ़ा रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण यह अंततः आम आदमी को प्रभावित करता है। हाल ही में, हमारे माननीया मुख्यमंत्री जी अम्मा ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क अंततः आम आदमी को प्रभावित करता है। पिछले महीने से डीज़ल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क पाँच गुना बढ़ा दिया गया है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस सभा को सूचित करें कि क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने का अधिकार तेल कंपनियों से वापस लेगी और हाल ही में डीज़ल और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को कम करेगी।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदया, मैंने पहले ही एक अलग सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे दिया है, लेकिन मैं इस पहल की सराहना करता हूं।

महोदया, मैं इस महती सभा के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूंगा। तमिलनाडु ने पेट्रोलियम उत्पादों पर अपना कर न बढ़ाकर एक सराहनीय कार्य किया है। कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, तमिलनाडु उन राज्यों में से एक है जिसने कर में अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई है। लगभग 22 राज्यों ने वैट और सेन्टैक्स में वृद्धि की है तथा केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। मैं तमिलनाडु के आम आदमी के हित को देखते हुए वैट न बढ़ाने के तमिलनाडु सरकार के प्रयास की सराहना करता हूं।

श्री पी. करूणाकरन : महोदया, यह सर्वविदित तथ्य है कि कीमतों में वृद्धि का एक प्रमुख घटक पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि है। जब पहले की सरकार में सभा में चर्चा हुई थी, तब तत्कालीन वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने सवाल किया था कि जब पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही थीं तो वे क्या कर सकते हैं।

महोदया, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी आने से सरकार अब बेहतर स्थिति में है। लेकिन सरकार उस लाभ को उपभोक्ता तक पहुंचाने में विफल रही है। इसके बजाय, पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क पाँच बार बढ़ाया गया है। क्या सरकार आम आदमी की मदद के लिए उत्पाद शुल्क की दर में कुछ बदलाव लाएगी? अब जब सरकार बेहतर स्थिति में है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में मूल्य वृद्धि हुई है। अब इस तरह के अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए सरकार का औचित्य क्या है?

श्री धर्मेंद्र प्रधान: महोदया, श्री करूणाकरन जी सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उसे तथ्यों की जानकारी देता हूं। मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। हां, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है और हमें कुछ लाभ मिला है। पहले से ही भारत सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर 13 रुपये और 12 रुपये से अधिक की राहत दी है। … (*व्यवधान*) मुझे सवाल का जवाब देने दीजिए। मैं इस बारे में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपका यह व्यवहार सही नहीं है। मंत्री जी के जवाब के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*)... [2*]

[2*]कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री धर्मेंद्र प्रधान: कृपया मेरे साथ रहें। मैं इसका जवाब दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। आपके उत्तर के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*)... *

श्री धर्मेंद्र प्रधान: महोदया, भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क के रूप में कुछ पैसा रखा है … (*व्यवधान*) मैं माननीय सदस्य को इस संबंध में केरल की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। माननीय सदस्य केरल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी पार्टी वहां शासन कर रही है। मूल्य वृद्धि का एकमात्र कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं है। मैंने राज्य कर नहीं बढ़ाने के लिए तमिलनाडु की सराहना की। मैंने कहा कि 22 राज्यों ने अपने कर बढ़ाए हैं। भारत के माननीय सदस्य ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को उद्धृत किया। उनके समय के दौरान केरल में कीमत क्या थी? डीज़ल पर राज्य कर 20 प्रतिशत था। केरल सरकार ने इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है। मैं इसकी सराहना करती हूं। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। … (*व्यवधान*) हर राज्य को ऐसा करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ही एकमात्र एजेंसी नहीं है जो पैसे कमाती है। … (*व्यवधान*) वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। … (*व्यवधान*) हर राज्य के अधिकार हैं, हर राज्य की आकांक्षाएं हैं; उन्हें अपनी विकास प्रतिबद्धता को पूरा करने का अधिकार है। उन्हें ऐसा करने दीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार ही बोझ उठाएगी। … (*व्यवधान*) केंद्र सरकार ने कुछ बोझ उठाया है और कुछ बोझ राज्यों ने उठाया है। यह उन पर निर्भर करता है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(प्रश्न संख्या 102)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: माननीय अध्यक्ष महोदया, वह समय-सीमा क्या है जिसमें निजी महाविद्यालयों सहित सभी महाविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे और यह भी कि क्या सरकार पास होने वाले छात्रों की रोज़गार क्षमता की जांच करने के लिए एक निकास परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रही है।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारे तकनीकी संस्थानों में हमारे विद्यार्थियों की रोज़गार क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में, ए.आई.सी.टी.ई. कई उद्योग विशेषज्ञों के साथ मिलकर और उनके परामर्श से एक आदर्श पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो वर्तमान में उपलब्ध हो और उद्योग के लिए आवश्यक हो, जिसे हम अपने विद्यार्थियों को दे सकें।

इसके अतिरिक्त, ए.आई.सी.टी.ई. सहायक संकाय की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि संस्थान उद्योग विशेषज्ञों को भी हमारे विद्यार्थियों के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि एन.ई.ई.एम. और बी.ओ.एटी. योजनाओं के माध्यम से, हमारे पास देश भर में लगभग 1,36,000 प्रशिक्षु हैं। जहां तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रश्न है, यह हमारे एन.आई.टी. और आई.आई.टी. में प्रवेश को सुगम बनाती है। हाल ही में, अशोक मिश्रा समिति ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के विभिन्न पहलुओं और चुनौतियों पर गौर किया और विद्यार्थियों को आगे सुविधा प्रदान करने के लिए, यह विशेष समिति मंत्रालय के लिए एक मार्ग तैयार कर रही है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न सीखने के परिणामों के बारे में है क्योंकि देश में कई कॉलेज (महाविद्यालय) हैं लेकिन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों (अभियांत्रिकी महाविद्यालयों) के सीखने के परिणाम एक समान नहीं हैं। उस संदर्भ में मेरा प्रश्न यह था। क्या सरकार शिक्षा की अंतिम स्थिति समाप्त होने पर सीखने के परिणामों की योजना बना रही है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: अध्यक्ष महोदया, सीखने के परिणाम स्कूली शिक्षा के लिए पूर्वनिर्धारित हैं, न कि उच्च शिक्षा के लिए। यह देखते हुए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग शिक्षा के बहुत गतिशील पहलू हैं। इसलिए, नए ज्ञान के साथ जो इन क्षेत्रों में सम्मिलित है, आप नए परिणाम देखते हैं जो वांछित हैं और कुछ मामलों में, परिणाम स्थिर नहीं हैं। इसलिए, संस्थानों को स्थिर बनाए रखने से कुछ हद तक उन्हें परिवर्तनों से दूर रखा जा सकेगा, जो वे पाठ्यक्रम के माध्यम से लाना चाहते हैं।

श्री बी. विनोद कुमार: अध्यक्ष महोदया, मैंने सदन के पटल पर रखे गए वक्तव्य को पढ़ा है। इस समिति ने लगभग 15 सिफारिशें की हैं और इस वर्ष 12 जून को 'भारत में तकनीकी शिक्षा: एक भविष्य परिदृश्य' शीर्षक से एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या समिति ने धोखाधड़ी वाली शैक्षणिक प्रथाओं जैसे ऑनलाइन पत्रिकाओं पर ध्यान दिया है, जो पैसे के लिए कुछ भी प्रकाशित करती हैं और पी.एच.डी. थीसिस भी बेचती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस समिति ने योग्य पी.एच.डी. धारकों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने की सिफारिश की है तथा क्या इस समिति ने तकनीकी संस्थानों में विदेशी संकाय की भर्ती करने की सिफारिश की है।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: अध्यक्ष महोदया, जहां तक विदेशी संकायों को हमारे संस्थानों में आने और पढ़ाने का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि पिछले महीने की 30 तारीख को ही हमने वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क पहल नामक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसके तहत हम भारत सरकार के निर्देश पर दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों से विदेशी संकायों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो भारत सरकार के खर्च पर न केवल राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में बल्कि राज्य के संस्थानों में भी आकर पढ़ा सकते हैं। हम राज्यों के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसलिए, राज्यों को किसी भी कीमत पर, विदेशी संकाय सरकारी कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में जा सकते हैं और हमारे छात्रों को लाभान्वित करने में मदद कर सकते हैं।

मैं खड़गपुर आए एक विदेशी संकाय सदस्य का उदाहरण दूंगी । वे एक प्रोफेसर हैं, जो वर्तमान में आर्थोपेडिक बायो-मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि संस्थान के भीतर किसी विशेष प्रोफेसर की यह विशेष भागीदारी संस्थान के विद्यार्थियों तक ही सीमित न रहे। इस व्याख्यान का वेबकास्ट भी किया जा रहा है ताकि देश भर के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। यह व्याख्यान संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसलिए, हम अपनी पहुँच बढ़ा रहे हैं और अपने विद्यार्थियों को विदेशी संकाय के साथ जुड़ने में मदद कर रहे हैं।

जहां तक धोखाधड़ी की बात है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने बात की है, मैं इस सभा को सूचित करना चाहूंगी कि यह मामला फिलहाल न्यायालय में *विचाराधीन* है और मैं ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहूंगी, जिससे ए.आई.सी.टी.ई. के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जिसने पीड़ित संस्थानों और विद्यार्थियों की ओर से इस मामले को उठाया है।

डॉ. शशि थरूर: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया।

बेशक, हमारे देश में तकनीकी शिक्षा के मानकीकरण और विकास की ज़िम्मेदारी ए.आई.सी.टी.ई. की है, लेकिन इसने मोटे तौर पर एक नियामक के रूप में काम किया है, यह आउटपुट की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संस्थानों को यह बताता है कि उनके पास कितने कमरे होने चाहिए, कितने वर्ग फुट के होने चाहिए, कितने अध्यापक होने चाहिए। नतीजतन, उदाहरण के लिए, यदि हम इंजीनियरिंग (अभियाँत्रिकी) को लें, तो हर वर्ष स्नातक होने वाले पाँच लाख इंजीनियरों में से 82 प्रतिशत ऐसी नौकरियों में लग जाते हैं जिनके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। फिक्की ने एक अध्ययन किया है जिसमें कहा गया है कि 65 प्रतिशत नियोक्ताओं को लगता है कि उनके विद्यार्थी स्नातक होने पर रोज़गार के लिए योग्य नहीं होते; इसलिए उन्हें उन्हें पुनः प्रशिक्षित करना पड़ता है। इन्फोसिस उन्हें फिर से प्रशिक्षित करने के लिए एक पूरा परिसर चला रहा है।

इस समिति के बारे में मेरी चिंता यह थी कि यह ए.आई.सी.टी.ई. के काम को किस प्रकार से विनियमित करेगी, ताकि यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आधारित विनियमन से प्रत्यायन की ओर स्थानांतरित हो सके। हम देखते हैं कि दिए गए उत्तर में काव समिति द्वारा विस्तृत सिफारिशें की गई हैं, जिसमें राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा आदि के बारे में बात की गई है। लेकिन जब आप उत्तर (घ) को देखते हैं जो यह निर्दिष्ट करता है कि मंत्रालय क्या कर रहा है, तो इनमें से किसी भी ठोस परिणाम को ध्यान में नहीं रखा गया है। हम तीन ऐसे बिंदु देखते हैं जिनमें से कोई भी इस केंद्रीय चिंता से संबंधित नहीं है, जिस पर ए.आई.सी.टी.ई. को ध्यान देना चाहिए। इसलिए, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा: क्या इन अन्य सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया है, क्या अभी भी एक प्रक्रिया है, और क्या हम एआईसीटीई को एक गंभीर मान्यता निकाय में परिवर्तित करने की उम्मीद कर सकते हैं जो सीखने के परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि हम इंजीनियरिंग स्नातकों की तरह तकनीकी स्नातक तैयार कर सकें, जिनकी सेवा का उपयोग देश वास्तव में कर सके और जिन्हें वास्तव में रोज़गार दिया जा सके?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदया अध्यक्ष (लोक सभा), मैं माननीय सदस्य के प्रति सम्मान की भावना के साथ कहना चाहती हूं कि आज इस महती सभा में उन्होनें जो चिंताएं व्यक्त की हैं, वे वही चिंताएं हैं जिनका सामना उन्होंने स्वयं उस समय किया था जब वे उस कार्यालय के प्रभारी थे, जिसे अब मैं संभाल रही हूं।

मैं यहां यह भी बताना चाहूंगी कि जब वे उद्योग जगत से जुड़ाव के बारे में बात करते हैं कि इन संस्थानों से निकलने वाले स्नातकों की रोज़गार क्षमता के बारे में उद्योग किस प्रकार चिंतित है, जिस प्रतिवेदन के बारे में मैं आज सभा में बात कर रही हूं, उसकी सराहना सी.आई.आई. जैसे उद्योग निकायों ने की है, जो कावा समिति द्वारा संबोधित की गई चिंता की सराहना करते हैं।

मैं यहां यह जोड़ना चाहूंगी कि माननीय सदस्य लेखी को दिए गए अपने उत्तर में मैंने सीखने के परिणामों और यह तथ्य कि वे प्रकृति में गतिशील हैं, के बारे में बात की थी। इसलिए, किसी संस्थान में विज्ञान को बंधक बनाना हमारे विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है। मैंने माननीय लेखी को दिए अपने उत्तर में यह भी कहा है कि

हम स्थानीय स्तर पर उद्योग के साथ मिलकर रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए, संस्थागत सहभागिता पर विचार कर रहे हैं। मैं हल्के-फुल्के अंदाज़ में यह भी कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य को अपने प्रश्नों को ट्वीट करने की आदत तो है, परंतु यहां उत्तर देने की नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज मेरे जवाब से इसमें बदलाव आएगा।

मैं यहां यह भी जोड़ना चाहूंगी कि हमारे विद्यार्थियों की पसंद को सुविधाजनक बनाने के लिए, समिति हमारे संस्थानों को रेटिंग देने के बारे में बात करती है। हमने भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए, राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचा समर्पित करके ऐसा किया है। मैं यहां यह जोड़ना चाहूंगी कि देश भर में 2,000 से अधिक संस्थान पारदर्शी तरीके से यह साझा करने के लिए आगे आए हैं कि उनके संस्थानों में किस तरह की शिक्षा दी जाती है। साथ ही, वे इंडस्ट्री के लिए किस प्रकार प्रासंगिक बन रहे हैं, ताकि इन संस्थानों से बाहर आने पर बच्चे रोज़गार के लिए अधिक योग्य बन सकें। हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि अगले शैक्षणिक वर्ष से पहले, यह विशेष रैंकिंग देश भर के नागरिकों के लिए उपलब्ध हो सके, ताकि वे उन संस्थानों के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकें, जिनमें विद्यार्थी हिस्सा लेना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी: अध्यक्ष महोदया, जो लिखित उत्तर हमें प्राप्त हुआ है और जो मेरी जानकारी है, उससे अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि एआईसीटीई एक सुपर बॉस की तरह काम कर रही है और जानबूझकर अप्रूवल को पैंडिंग रखती है। संस्थाओं की सहायता करने की बजाय भ्रष्टाचार के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास होता है। इस बात को वर्तमान सरकार ने समझा और इसीलिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। निश्चित रूप से बहुत सारी सिफारिशें आई हैं और उनसे सुधार होगा।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि विगत एक वर्ष में कितनी संस्थाओं के अप्रूवल पेन्डिंग हैं और इन संस्थाओं का कितनी बार निरीक्षण किया जा चुका है।

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : महोदया, मुझे इस बात का अहसास है कि माननीय सदस्य ने इस सदन में जो चिंतायें इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से प्रकट की हैं, उन्हीं चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी का गठन

किया गया। यह भी कहना उचित होगा कि रेग्युलेटरी बॉडी सरकार से भिन्न है। सरकार रेग्युलेटरी बॉडी के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती है। इसीलिए सरकार हर रोज रेग्युलेटरी बॉडी को बुलाकर यह नहीं पूछती है कि आपने किस-किस का, क्या-क्या प्रपोजल पेन्डिंग रखा है, प्रोसेस किया है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार का यह आदेश और यह निवेदन रेग्युलेटर को रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशन या व्यक्ति एआईसीटीई से सम्पर्क करे, सम्पर्क की पूरी सुविधा ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट ढंग से प्राप्त हो। एआईसीटीई से संबंधित सारे कॉज आरटीआई कंप्लाइंट हैं और मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमने अक्रेडटैशन को मैनडेटरी बनाया है और साथ ही एआईसीटीई का काम हमने फैसिलिटेटर के रूप में राष्ट्र में प्रोत्साहित किया है। आदरणीय सांसद महोदय शायद यह जानकार खुश होंगे कि एआईसीटीई ने स्वयं स्टेक होल्डर्स के साथ चेन्नई, बेंगलुरू, मुंबई, दिल्ली में अगस्त-सितम्बर के महीने में इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत करके, कैसे हम अपनी रेग्युलेटरी सिस्टम को और आधिक सुविधाजनक और ट्रांसपेरेंट उनके लिए बना सकते हैं, इस प्रकार की बैठके भी की हैं।

(प्रश्न संख्या 103)

श्री धर्मवीर : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्योंकि आज सारा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है, जैसा कि जवाब दिया गया है और हर साल शिक्षित और आशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन बेरोजगारों की समस्या के लिए, इन्हें नौकरी देने के अलावा क्या केन्द्र सरकार गम्भीरता से इस बात पर विचार करेगी कि जब तक उनको, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को कोई रोजगार न मिले तब तक इनको कोई बेरोजगारी भत्ता दिया जाए?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदया, 11वीं पंचवर्षीय योजना में और 12 वीं पंचवर्षीय योजना में कितना-कितना इम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टारगेट था और कितना इम्प्लॉयमेंट जनरेशन टारगेट हुआ है, वह अपने उत्तर में मैंने उनको बता दिया है। साथ ही साथ मैं अपने माननीय सदस्य जी को एक बात और बताना चाहता हूं कि आज अपने देश में सारी जितनी जो लेबर फोर्स है, वह लेबर फोर्स 48 करोड़ है। इसमें से हमको अभी तक इम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स किसी न किसी इम्प्लॉयमेंट में वे काम करते रहते हैं, वे 47 करोड़ हैं। अभी जो अनइम्प्लॉयमेंट लोग हैं, वे लगभग एक करोड़ तक हैं। हम लोगों के सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी ने तीन फ्लैगशिप प्रोग्राम लिए हैं। एक है मेक इन इन्डिया प्रोग्राम, दूसरा स्किल इन्डिया प्रोग्राम है और तीसरा डिजिटल इन्डिया प्रोग्राम है। इसमें स्किल इन्डिया प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्किल इन्डिया प्रोग्राम में हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी ने इसमें प्रायोरिटी सेक्टर बनाए हैं। इस प्रायोरिटी सेक्टर में इरीगेशन, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, टेक्सटाइल, आई.टी., रोड्स आदि को लिया है। मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट देने में हमारे को एक बहुत बड़ा विषय है कि अंडर इम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी जरूरत है। माननीय सदस्य ने जो रोज़गार भत्ते की बात कही है, वह तो मुश्किल है, लेकिन स्किल

डैवलपमैंट के लिए जवाब में दिया है कि कितने सैक्टर्स में हम लोग कितना स्किल दे रहे हैं। यह सारा जवाब में दिया गया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा कि बेरोज़गारी भत्ता के बजाय रोज़गार देने की कोशिश हो रही है।

श्री धर्मवीर : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह केवल 2012 तक का दिया है, 2015 तक का नहीं दिया है। अभी तक तीन सालों में यह संख्या और बढ़ गई है।

दूसरा, हमारे दिल्ली के नज़दीक गुड़गाँव, फरीदाबाद, रेवाड़ी और बागपत समेत एन.सी. आर. रीजन का जो इलाका पड़ता है, यहाँ पर जो लेबर पहले काम करते थी, अब लोग आई.टी.आई. के माध्यम से डिग्री और डिप्लोमा लेकर फैक्ट्रियों के पास जाते हैं तो वे पहले ही कह देते हैं कि हमारे पास कोई जगह नहीं है। हालांकि जब किसानों की ज़मीन ली जाती है तो ये सबसे पहले कहते हैं कि हम आपको रोज़गार देंगे। उसमें हरियाणा प्रदेश के लोगों को, खासकर रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुड़गाँव के लोगों को भर्ती नहीं किया जाता। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल यह कहना चाहता हूं कि वे ऐसी डायरैक्शन इश्यू करें कि यहाँ के उद्योगपति प्राथमिकता के तौर पर जिन लोगों की ज़मीन जाती है, पहले उनको रोज़गार देने का कष्ट करें।

श्री बंडारू दत्तात्रेय **:**अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे पास सैन्सस का डाटा होता है या नेशनल सैम्पल सर्वे का डाटा होता है। मैंने नेशनल सैम्पल सर्वे का डाटा उनको दिया है। लेकिन हमारे पास लेबर ब्यूरो की तरफ से क्वार्टरली डाटा आता है। वह डाटा भी हम क्वार्टरली मेनटेन करते हैं। वह डाटा मैं उनको भेजूँगा।

दूसरी बात यह है कि रोज़गार प्राथमिकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसमें विशेषकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में माइग्रैन्ट वर्कर्स की बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए भी मैंने बताया कि स्किल डैवलपमैंट प्रोग्राम के लिए प्रधान मंत्री जी ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई और उसके लिए बजट का भी अलग प्रावधान किया। उसमें प्रायारिटीज़ भी दी गई हैं और उसमें नए इनीशियेटिव्स काफी आए हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एस.राठौड़ - उपस्थित नहीं।

श्रीमती रंजीत रंजन।

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहती हूं कि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उसमें लिखा है कि श्रम ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार 2012-13 और 2013-14 में कार्यबल 4.37 करोड़ बढ़ा है। उसमें आपने मैन्शन किया है कि हुनर है तो कदर है। आपने 2014-15 में लगभग 51.50 लाख व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की बात की है कि उनको हुनरमंद बनाया। आपने एक तरफ लोगों को हुनरमंद तो बना दिया और दूसरी तरफ आपने लिखा है कि हुनर है तो कदर है। मेरा प्रश्न है कि 2014-15 में कितने हुनरमंद लोगों की कदर हुई, यानी उनको काम मिला?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : अध्यक्ष महोदया, 2014-15 में कितने लोगों को रोज़गार दिया, वह डाटा अभी उपलब्ध नहीं है, 2013-14 का उपलब्ध है। दूसरी बात है कि मैंने बताया कि कितने लोगों को स्किल देने का प्रावधान किया। एक बात और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमने एक नया इनीशियेटिव लिया है कि नेशनल कैरियर काउंसलिंग सैन्टर के माध्यम से जो इंप्लायमैंट एक्सचेन्जेज़ हैं, उनको मॉडर्नाइज़ करके जाब सीकर्स और जाब प्रोवाइडर्स दोनों को एक प्लेटफार्म पर बुलाकर, काउंसलिंग करके ऑनलाइन हमारे पोर्टल पर जाब सीकर्स और जाब प्रोवाइडर्स करीब 3 करोड़ तक आए हैं। उनकी काउंसलिंग करके, कि नई जाब्स कहाँ और क्या हैं, वह समाचार प्राप्त करने का नया इनीशियेटिव हमने उठाया। उसमें काफी लोग इस बार आ चुके हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती आर. वनरोजा: माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मुझे यह मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अम्मा के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने, युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण हेतु अम्मा योजना' नामक एक योजना शुरू की है। इससे राज्य के हज़ारों युवाओं को रोज़गार पाने में मदद मिली है। माननीय अम्मा के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार राज्य में बेरोज़गार युवाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वे इस

अच्छी तरह से स्वीकृत योजना को आगे बढ़ाने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष : यह एक सुझाव है।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदया, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। लेकिन यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि हम भी एक नई पहल कर रहे हैं। यह नई पहल, विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के संबंध में, अधिक कौशल विकास के लिए है। देश में बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक हैं। उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए रिकगनीशन ऑफ प्रायर लिविंग स्कीम पर आप जैसे राज्यों को पैसे देने के लिए, बजट देने के लिए आप पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं कि जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का सैस एमाउंट ज़्यादा राज्य सरकारों पर है और अभी तक कम से कम 16 हज़ार करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का सैस एमाउंट राज्य सरकार के पास रखा है। इस प्रायर लिविंग स्कीम मान्यता में हमने साइट स्तर पर निर्माण श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया है और हम उन्हें प्रति बजे 35 रुपये देंगे। दूसरे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मजदूरी न खोएं, हमने पाँच बजे का प्रशिक्षण दिया है। इसलिए, उसे 35 x 5 घंटों की दैनिक मजदूरी धनराशि मिलेगी। तीसरा, प्रशिक्षण होगा

15 दिनों के लिए प्रदान किया जाए, ताकि वह अधिक मज़दूरी कमा सके। इसी तरह, कई अन्य क्षेत्रों में हमने नई पहल शुरू की है और इन पहलों के साथ हमारा मुख्य विचार और ध्यान यह है कि मार्जिनल वर्कर्स को भी स्किल ज्यादा मिलना चाहिए, ताकि उनको ज्यादा नौकरियां मिल सकें।

माननीय अध्यक्ष : क्वश्चन नं. 104

श्री हरीश द्विवेदी अनुपस्थित

श्री भैरों प्रसाद मिश्र।

(प्रश्न संख्या 104)

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी ने जिन-जिन तीर्थस्थलों को विकसित करने का यहां ब्यौरा प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन जो चीज़ मैं जानना चाहता था, मैं जिस क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के चित्रकूट से चुनकर आता हूं तो मैंने जानना चाहा था कि अयोध्या के लिए और चित्रकूट के लिए आखिरकार क्या-क्या योजनाएं लागू की गई हैं, उसका ब्यौरा इसमें नहीं है। चूंकि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, यह मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, यह देश का प्रमुख आध्यात्मिक केन्द्र है, जहां पर भगवान राम का वनवास काल 14 वर्ष था और 12 वर्ष उन्होंने वहीं बिताये थे और निश्चित तौर से बहुत ही प्रमुख केन्द्र है और जब से उत्तराखण्ड अलग हो गया, तब से एक तरह से वह पर्यटन केन्द्र भी हमारे उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्यटनस्थल है, जहां नदियां हैं, झरने हैं और मंदाकिनी नदी बहती है, प्राकृतिक सौन्दर्य है तो उसके विकास के लिए आखिरकार सराकार क्या कर रही है, मैं माननीय मंत्री जी से विशेष तौर से यह जानना चाहता हूं?

डॉ. महेश शर्मा: माननीय सदस्य की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से खास तौर से अयोध्या और चित्रकूट का विषय माननीय सदस्य ने उठाया है। भारत सरकार ने इस वर्ष धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से 13 पिलग्रिमेज साइट्स का उत्थान करने का निर्णय लिया है, जिसमें अमरावती, कामाख्या, गया, पटना, द्वारिका, पुरी, अमृतसर, अजमेर, कांचीपुरम, वेलंकिनी, केदारनाथ, मथुरा और वाराणसी हैं। उसकी दूसरी योजना स्वदेश दर्शन के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को महत्व देते हुए कई विशेष सर्किट भी बनाये गये हैं, जिसमें एक कृष्णा सर्किट, एक बुद्ध सर्किट, एक रामायण सर्किट भी बनाया गया है। जिसके तहत अयोध्या और चित्रकूट का विकास निश्चित है। 2012-13 में अयोध्या फैजाबाद सर्किट को 656 लाख रुपये की योजना सैंक्शन की गई थी। वर्ष 2013-14 में अयोध्या को एक पर्यटक स्थल फैज़ाबाद में करने के लिए 125 लाख रुपए की योजना

निश्चित की गयी थी। चित्रकूट और रामघाट के सौन्दर्यीकरण के लिए 309.88 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गयी, जिसमें से 61 लाख रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। कामदगिरी परिक्रमा पर चित्रकूट के लिए भी 361 लाख रुपए की योजनाएं घोषित की गयी थी।

मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि खासतौर पर जो रामायण सर्किट बनाया गया है, उसके माध्यम से राम वनगमन पथ और नेपाल से लेकर श्रीलंका तक के राम वनगमन पथ को रामायण सर्किट के माध्यम से विशेष रूप से विकसित किया जाएगा।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : महोदया, माननीय मंत्री जी ने चित्रकूट के लिए जिन योजनाओं की घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन, मुझे जानकारी है कि राम वनगमन मार्ग केवल चित्रकूट तक ही किया गया है और उसका आधा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में आता है, उसे मैहर तक आगे बढ़ाया जाए।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उसे सतना होते हुए मैहर तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चित्रकूट दो भागों में बंटा हुआ है? क्या उसे वहां तक बढ़ाने के लिए उसे उस योजना में शामिल करेंगे?

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो 'स्वदेश दर्शन' स्कीम बनायी है, तो क्या रेलवे दर्शन में भी चित्रकूट धाम स्टेशन सम्मिलित है या नहीं? अगर नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी उसे उसमें शामिल कराने की कृपा करेंगे?

डॉ. महेश शर्मा : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, तो इन सभी सर्किटों पर विशेषज्ञ समितियां बनायी गयी हैं, जिनमें इतिहासकार और उस से जुड़े हुए अन्य विशेषज्ञ भी शामिल हैं। ये अपनी राय दे रहे हैं। चूंकि अभी इस सर्किट की घोषणा ही हुई है, और ये दोनों योजनाएं इस बार हमारी सरकार के लिए और प्रदेश सरकारों के लिए नयी थीं, तो इस पर अभी काम जारी है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसे इसमें सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करूंगा।

जहां तक चित्रकूट धाम का रेलवे के संबंध में विषय है, तो मैं इसे रेल मंत्रालय के सहयोग से आगे बढ़ाकर इसका प्रस्ताव करूंगा कि रेलवे चित्रकूट धाम को पर्यटक स्थल के रूप में एक स्टेशन बनाए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदया, माननीय मंत्री जी ने इस योजना के अंतर्गत विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 13 तीर्थस्थलों की पहचान की है। आप इस योजना के तहत दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ शामिल क्यों नहीं कर सकते हैं? यह स्वामी विवेकानंद जी का सपना था और रामकृष्ण परमहंस जी का नाम दक्षिणेश्वर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे यहां रहा करते थे। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी भी चुनाव से पहले बेलूर मठ में आशीर्वाद लेने गए थे और चुनाव के बाद उन्होंने गोलपार्क रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती, वर्तमान में बहुत बीमार स्वामी आत्मस्थानंदजी महाराज से मुलाकात भी की थी।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन को आपके द्वारा घोषित सूची में शामिल किया जा सकता है? यह गंगा नदी के किनारे स्थित है, जहां कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का अंतिम संस्कार निमतला घाट पर किया गया था और रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार रतन बाबू घाट पर किया गया था। ये सभी स्थान एक ही सीमा पर हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पर्यटकों और आगंतुकों के लिए बहुत सकारात्मक आध्यात्मिक स्थान बनेंगे।

मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 में, आपने पश्चिम बंगाल राज्य के लिए एक भी रुपया आवंटित नहीं किया है। यह हमारे राज्य के संबंध में यह दो वर्षों के लिए खाली है। zयह अब एक समाजवादी (कम्युनिस्ट) राज्य नहीं है। अब स्थिति बदल गई है। राज्य में धार्मिक स्थल और आध्यात्मिक स्थल हैं। सरकार इन दोनों स्थानों के लिए और अधिक आवंटन पर विचार क्यों नहीं कर सकती? पिछले दो वर्षों में, इसके लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया है।

डॉ. महेश शर्मा: महोदया, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और गुरु रविन्द्र टैगोर से जुड़े स्थानों को शामिल करने के लिए माननीय सदस्य की भावनाओं का सम्मान करते हुए, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि प्रसाद

योजना एक सतत प्रक्रिया है। पहले चरण में, केवल 13 स्थानों को शामिल किया गया है और हम अधिक स्थानों को शामिल करने की प्रक्रिया में हैं। निकट भविष्य में जब भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी, मैं इसे इसमें शामिल करने का प्रयास करूंगा।

जहां तक विभिन्न राज्यों के लिए धन की उपलब्धता का प्रश्न है, यह समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) उपलब्ध कराने तथा धन के उपयोग पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। कभी-कभी राज्यों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र देरी से प्राप्त होते हैं या डी.पी.आर. तैयार करते समय, उन्हें समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

मैं यह सुनिश्चित करूंगा। मैं माननीय सदस्य से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे सुनिश्चित करें कि डी.पी.आर. समय पर भेजी जाए। मैं माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित राज्यों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर भेजे जाएं। हम भेदभाव नहीं करते। भारत एक है। भारत एक रहेगा। इसलिए, साम्यवादी (कम्युनिस्ट) और गैर-साम्यवादी (कम्युनिस्ट) राज्यों के बीच भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। हम सब एक हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : माननीय अध्यक्ष जी, रिलीजियस टूरिज्म को विकसित करने की सरकार की जो पॉलिसी है, वह बहुत अच्छी है। देश भर में इसकी बहुत प्रशंसा हो रही है। मंत्री जी ने उत्तर में रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट के बारे में बताया है। देश में सबसे पहले जब सिखिज्म शुरू हुआ, सबसे पहले अगर कोई रिलीजियस सर्किट बना तो पांच प्यारे देश के अलग-अलग प्रदेशों से आए, अलग जातियों से आए। श्रीआनंदपुर साहिब एक ऐसी जगह है, जहां सब धर्मों के स्थान तीस किलोमीटर के अंदर-अंदर हैं। टूरिज्म के लिए, वहां से जम्मू-कश्मीर को जाने के लिए, कुल्लू-मनाली को जाने के लिए और पहाड़ी क्षेत्र से जब नीचे आते हैं, तो यह फर्स्ट हाल्ट स्टेशन है। श्री आनंदपुर साहिब जो देश में सब धर्मों के टूरिज्म के तौर पर और सबसे ज्यादा संख्या में

रिलीजियस लोग वहां जाते हैं, नैना देवी को, चिंतपूर्णी जी को, बाबा बालकनाथ और गुरू रविदास जी के खरालगढ़, श्रीआनंदपुर साहिब, होला मोहल्ला, बैसाखी के दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालू वहां जाते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां की सड़कों को डेवलप करने के लिए और ब्यूटीफाई करने के लिए सरकार की क्या कोई पॉलिसी है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपस की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। केवल माननीय मंत्री जी का उत्तर ही रिकॉर्ड में जाएगा।

… (*व्यवधान*)...*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी महोदय, आप उत्तर दीजिए। यह ठीक है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। केवल माननीय मंत्री जी का उत्तर ही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)... *

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया जवाब सुनें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी, उत्तर सुनिए।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा : माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, उस विषय में बताना चाहता हूं कि अमृतसर के महत्व को देखते हुए इस वर्ष भारत सरकार ने ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चन्दूमाजरा जी, आपने प्रश्न पूछा है। आप उत्तर तो सुनिए, उनसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या वह मिनिस्टर हैं? आप इधर सुनिए।

... (व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा: इस वर्ष के जो 13 स्थान चयनित किये गए हैं, उसमें अमृतसर को जगह दी गई है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने आनन्दपुर साहिब जी का जो विषय उठाया गया है, इस विषय को भी मैं प्रयास करूंगा कि जांच करके इस विषय को भी जोड़ा जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा: माननीय सदस्य से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय में हमारे मंत्रालय को थोड़ी सी और जानकारी उपलब्ध करायें तो हम विषय को भी जोड़ने का प्रयास करंगे।

[अनुवाद]

श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदया, हैदराबाद देश के सर्वोत्तम हवाई अड्डों में से एक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में हैदराबाद और उसके आसपास कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हैं। भद्राचलम में एक राम मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि यहां से रावण ने सीता का अपहरण किया था। हमारे विकाराबाद में कालेश्वरम अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। श्रीशैलम, वेमुलावाड़ा में एक शिव मंदिर है। फिर, हमारे पास बहु-राष्ट्रीय हुसैन शाह वली दरगाह और प्रसिद्ध मक्का मस्जिद भी है।

क्या मंत्री जी महोदय के पास हैदराबाद और उसके आसपास पर्यटन सर्किट विकसित करने तथा उन्हें बढ़ावा देने की कोई योजना है?

डॉ. महेश शर्मा: हैदराबाद पहले से ही पर्यटन के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर है। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को शामिल न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने दो-तीन स्थानों का उल्लेख किया है। हम उन्हें आध्यात्मिक पर्यटन या रामायण पर्यटन के नाम पर किसी न किसी सर्किट में शामिल करने का प्रयास करेंगे। मैं आपके सुझाव स्वीकार करता हूं और हम उन्हें शामिल करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम: महोदया, यह सवाल मुख्यतः उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है। इसमें एक शब्द है सहित, इसलिए उत्तराखंड के बारे में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। उत्तराखंड में वर्ष 2013 में भयंकर आपदा आई थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहब उस क्षेत्र के अन्दर हैं। वर्ष 2016 आने वाला है, लेकिन अभी तक वहाँ यात्री जा नहीं पा रहे हैं। केदारनाथ में सिर्फ हेलीकॉप्टर से जाते हैं, बद्रीनाथ में एक जगह रामबाड़ा है, वहाँ से आगे अक्सर नहीं जा सकते हैं। इस बीच कई सड़कें प्रदेश सरकार को दे दी गई हैं। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक जाने के लिए सड़क की व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के पास है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी जानना चाहता हूं कि इन तीन सालों में यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? ये बड़े-बड़े तीर्थ स्थान हैं। वहां लोग जा नहीं पाते हैं, वहां की सड़कें खराब हैं, वहां की सड़कें टूटी हुयी हैं, वहां आने-जाने की व्यवस्था नहीं है, तीन सालों से कुछ नहीं हो रहा है। आपने केन्द्र सरकार के अधीन वहां पर क्या काम किये हैं और जो काम आपके अधीन नहीं है, उन्हें कराने के लिए प्रदेश सरकार ने क्या किया है।

डॉ. महेश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, उत्तराखंड भूमि का धार्मिक महत्व सर्वव्यापी है। भारत सरकार हमारे चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, दोनों धार्मिक शहर ऋषिकेश, हरिद्वार और हेमकुंड साहिब का

विकास करने के लिए एक विशेष योजना बना रही है। पिछले साल जो घटना केदारनाथ में हुयी थी, उसके लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से विशेषतौर पर 100 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी है। अभी तुरंत प्रभाव से केदारनाथ को ट्रॉली व्यवस्था से जोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपये की एक विशेष योजना, मैं आज से करीब सात दिन पहले उत्तराखंड गया था, वहां मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों से विचार-विमर्श होकर, यह योजना भी लगभग शुरू हो चुकी है, जिससे केदारनाथ को ट्रॉली के माध्यम से जोड़ने के लिए शुरुआत की गयी है।

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल: महोदया, तीर्थस्थलों और पूजा स्थलों को बढ़ावा देने वाली 'प्रसाद योजना' और 'स्वदेश दर्शन योजना' के संबंध में, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से मुझे पता चला कि उन्होंने 21 स्थानों का चयन किया है। 21 स्थानों में से, कोई भी एक जगह केरल से नहीं है। आप जानते हैं कि प्रति वर्ष करीब पाँच करोड़ लोग साबरीमाला आते हैं। आप गुरुवायूर मंदिर के बारे में जानते हैं। ये केरल के दो प्रमुख मंदिर हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि आपने जिन 21 स्थानों का चयन किया है, उनमें से सबरीमाला सूची में नहीं है; गुरुवायूर सूची में नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इस वर्ष सबरीमाला और गुरुवायूर को शामिल करने पर विचार करेंगे।

डॉ. महेश शर्मा: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि केरल को इस वर्ष की सूची में शामिल नहीं किया जा सका। मैं वादा करता हूं कि केरल के साथ उचित न्याय किया जाएगा। हमें गुरुवायूर और सबरीमाला मंदिरों को इसमें शामिल करने के लिए विशेष अनुरोध या सुझाव प्राप्त हुआ है। मैंने स्वयं हाल ही में, लगभग एक महीने पहले, गुरुवायूर मंदिर का दौरा किया था। हम इसमें गुरुवायूर मंदिर को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखते हैं। हमने अब तक सबरीमाला की कोई यात्रा नहीं की है क्योंकि यह एक मौसमी यात्रा मानी जाती है। … (*व्यवधान*) सबरीमाला के आध्यात्मिक महत्व पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हमने अपने अधिकारियों की एक टीम के साथ गुरुवायूर मंदिर और पद्मनाभस्वामी मंदिर का व्यक्तिगत दौरा किया है। हम जल्द ही सबरीमाला मंदिर का

भी दौरा करेंगे। मैं माननीय सदस्य से कुछ और सुझाव लूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछली योजनाओं में केरल के लिए जो देरी हुई है, उसकी इस बार भरपाई की जाएगी।

(प्रश्न संख्या 105)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: महोदया, शिक्षा के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाना एक स्वागत योग्य पहल है और वास्तव में यह समय की माँग है। निश्चित रूप से भारतीय विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे भारतीय मूल के कई और विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे और वहां की सर्वोत्तम शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, मेरी चिंता यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया के विद्यार्थियों, या कहें कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का भारत में आवागमन बढ़ाने के लिए भी ठोस प्रयास किये जाने चाहिए। साथ ही, भारतीय संस्थानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 100 संस्थानों में कोई स्थान नहीं बना पाए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते से उच्च शिक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता किस हद तक बढ़ेगी तथा विकसित देशों के बीच भारत को एक पसंदीदा शिक्षा गंतव्य के रूप में पेश करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: माननीय अध्यक्ष महोदया, आस्ट्रेलिया के साथ हमारे संबंधों के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा मुझसे पूछे गए प्रश्न में व्यक्त सुझाव और चिंता से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। जहां तक उनकी इस चिंता का सवाल है कि दुनिया भर में शीर्ष रैंकिंग वाले संस्थानों में बहुत कम भारतीय संस्थान जगह बना पा रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मुझे लगता है कि यह मुझे वैश्विक एजेंसियों के बीच रैंकिंग के संबंध में अपने उत्तर का विस्तार करने में मदद मिलेगी। वैश्विक एजेंसियों के बीच रैंकिंग के लिए एक मापदंड अनुसंधान है। विदेशी संकाय का समावेश। हमारे अधिकांश संस्थान भारतीय, घरेलू छात्रों को सेवा प्रदान करते हैं; उनके लिए,

मुख्यतः संकाय भारतीय प्रकृति का है। राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थान हैं, निजी संस्थान हैं जो विदेशी संकाय कहते हैं।

प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में, मैंने ज्ञान के बारे में बात की, जहां भारत सरकार विदेशी संकाय को सुविधा प्रदान कर रही है। जिस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता, जिसे हमने दुनिया भर में संस्थानों का मूल्यांकन करने वाली विदेशी एजेंसियों के साथ साझा किया है, वह यह है कि हमारा अधिकांश शोध कार्य मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है। जब क्षेत्रीय भाषा में अनुसंधान, सहयोग की बात आती है, तो शैक्षिक संस्थानों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वे अंग्रेज़ी में कार्य नहीं करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वे संस्थान भारत के लिए, घरेलू रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं; ये न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार के लिए, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वे ऐसी संस्थाओं से लाभान्वित होते हैं।

इसके अतिरिक्त, रैंकिंग प्रणाली में एक सूचकांक है जो इस बात का संज्ञान लेता है कि हमारे भारतीय संस्थानों में कितने विदेशी विद्यार्थी पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानती हैं माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे अधिकांश संस्थान, विशेष रूप से जो सरकारों द्वारा पूरी तरह से समर्थित हैं, वे चाहे केंद्र स्तर के हों या राज्य स्तर के, विशेष रूप से, चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करते हैं जिनके पास निजी क्षेत्र में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन नहीं होता है और चूंकि उनमें अधिकांशतः सैन्यकर्मी बच्चे होते हैं जो संभवतः समावेशी पृष्ठभूमि से होते हैं, इसलिए हमारे संस्थान की समावेशी प्रकृति का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। इसलिए, हमने एक राष्ट्रीय रैंकिंग रूपरेखा शुरू की है जो भारतीय संस्थानों की समावेशी प्रकृति को ज़ोर देती है, जो हमारे देश में प्रदान की जाने वाली विभिन्न भाषाओं पर ज़ोर देती है, और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है।

उदाहरण के लिए, हमारे पास शास्त्रीय तमिल की एक संस्था है, जो शायद अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भले ही अच्छी न हो, लेकिन हम किसी भी तरह से यह नहीं कह सकते कि वह संस्था हमारे लिए राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए, उनकी चिंता कुछ ऐसी है जिस पर हमने इन संस्थाओं के साथ चर्चा की है और

उन्हें बताया है कि हमारे लिए शिक्षा लाभ का क्षेत्र नहीं है। ग्राहकों के रूप में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए हम रैंकिंग नहीं देखते हैं। वास्तव में, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, हमारे संस्थान देश की भावी पीढ़ी की सेवा करते हैं।

शिक्षा के पहलू पर विदेशी राष्ट्रों के साथ हमारे सहयोग के संबंध में, पिछले डेढ़ वर्षों में, जब से मैं इस पद पर हूं, हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जहां हम विदेशों में भारतीय छात्रों के आवागमन का समर्थन करें, वहीं हम अपने संस्थानों में विदेशी छात्रों के आवागमन का भी स्वागत करते हैं। हम अपने देश भर में विभिन्न दूतावासों के साथ संपर्क में रहते हैं, तथा विदेशी विद्यार्थियों के प्रवास या हमारे देश में आवागमन को सुविधाजनक बनाते हैं।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न केवल शोध पर था। मुझे माननीय मंत्री जी से संतोषजनक उत्तर मिला है।

माननीय अध्यक्ष : बहुत अच्छा।

श्री राहुल शेवाली – उपस्थित नहीं।

अब प्रश्न संख्या - 106

श्रीमती पी. के. श्रीमती टीचर – उपस्थित नहीं हैं।

श्री योगी आदित्य नाथ – उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी, आप अपना उत्तर सभा पटल पर रख सकते हैं।

(प्रश्न संख्या 106)

माननीय अध्यक्ष : अब, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: पूरे देश में एक समान राष्ट्रीय वेतन लागू करना एक स्वागत योग्य कदम है। भारत सरकार हमारे देश के श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करते हुए, संपूर्ण श्रम कानूनों में संशोधन करने जा रही है। भारत में कार्यबल की आशंका यही है। अधिकांश संशोधन जो प्रस्तावित हैं या जिन पर चर्चा हो रही है, उनका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी लाना है। यहां तक कि जब वाणिज्यिक अदालतों की बात आती है. जो अभी शुरू की जा रही हैं, तो माननीय मंत्री जी भी व्यापार करने में आसानी के पक्ष में हैं। क्या भारत सरकार इस संसद को आश्वस्त करेगी कि जीवन स्तर के अनुसार राष्ट्रीय समान वेतन जल्द से जल्द प्रकाशित या अधिसूचित किया जाएगा?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री बंडारू दत्तात्रेय: मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि श्रम कानून सुधारों को लागू करते समय हमारा सर्वोपरि हित श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। लेकिन इसके साथ ही, देश में रोज़गार सृजन के लिए अनुकूल माहौल और कारोबार में आसानी भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य के लिए ही श्रम कानून में सुधार किये जा रहे हैं और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मज़दूरी पर श्रम संहिता है, जिसके बारे में आज प्रश्न आया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस मज़दूरी संबंधी श्रम संहिता में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, इन सभी कानूनों को समाहित, सरलीकृत तथा युक्तिसंगत बनाया जाएगा। साथ ही, मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं भी श्रमिकों के अधिकार नहीं छीने जाएंगे; केवल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

———————

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 107 से 120,
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जी (श्री कलराज मिश्र) : अध्यक्ष महोदया, मैं कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 61क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:--

(1) ओम्नीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादर एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ओम्नीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादर एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे

तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3239/16/15]

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री जी (श्री बंडारू दत्तात्रेय): महोदया, मैं वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उप-धारा (6) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. वेतन भुगतान (खान) (संशोधन) नियम, 2015, जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..351(ई) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 1 सितंबर, 2015 के अधिसूचना संख्या सा.का.नि..672(ई)में दिया हुआ है (केवल हिन्दी संस्करण में)।

2. वेतन भुगतान (हवाई परिवहन सेवाएं) (संशोधन) नियम, 2015 जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..352 (ई) में प्रकाशित हुए थे।

3. मजदूरी का संदाय (रेल) (संशोधन) नियम, 2015, जो 1मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..353(ई) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3240/16/15]

पेट्रोलियम और प्राधृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री जी (श्री धर्मेंद्र प्रधान): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956:- की धारा 619क की उप-धारा (1) के तहत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3241/16/15]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2015 जो 5 नवंबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का,नि. 838 (ई) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3242/16/15]

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जी (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्स्पोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्स्पोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3243/16/15]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के लिए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3244/16/15]

(3) (एक) सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बैंगलोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3245/16/15]

(4) (एक) बेसिक केमिकल्स फार्मास्युटिकल्स ,कास्मेटिकस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स फार्मास्युटिकल्स कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3246/16/15]

(5) (एक) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर प्रोजेक्ट इंपलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर प्रोजेक्ट इंपलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3247/16/15]

(7) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2015 जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.647(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 3248/16/15]

(8) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2015, जो 20 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं., सा.का.नि..564 (ई) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 12 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..627(ई) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 3249/16/15]

(9) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत भारतीय बॉयलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 26 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.664(ई) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 3250/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री जी (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3251/16/15]

(3) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान महाराष्ट्र, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान महाराष्ट्र, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3252/16/15]

(5) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़- राज्य परियोजना कार्यालय (स्टेट प्रोजेक्ट ऑफ़िस), रायपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, छत्तीसगढ़- स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3253/16/15]

[हिन्दी]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री जी तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री जी (श्री विष्णु देव साय) : अध्यक्ष महोदया, मैं कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:--

(1) (एक) एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन,लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3254/16/15]

(2) (एक) के.आई.ओ.सी.एल. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) के.आई.ओ.सी.एल. लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3255/16/15]

(3) (एक) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन,लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3256/16/15]

(4) (एक) एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन,लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3257/16/15]

(5) (एक) एम.ओ.आई.एल. लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.ओ.आई.एल. लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन,लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3258/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री जी (डॉ. रामशंकर कठेरिया): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण्) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3259/16/15]

(2) योजना और वास्तुकला विद्यालय आधिनियम, 2014 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत योजना और वास्तुकला विद्यालय (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2015 जो 23 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का.आ. 2605(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 3260/16/15]

———————

अपराह्न 12.02 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

23वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री जी तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जी (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 ½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

189वें से 192वां प्रतिवेदन

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): महोदया, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) दिल्ली पुलिस के कार्यकरण के बारे में 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 189वां प्रतिवेदन।

(2) जम्मू और कश्मीर में बाढ़ और भू-सख्लन के पश्चात बचाव कार्य, पुनर्वासन और पुनर्निर्माण के बारे में 182वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 190वां प्रतिवेदन।

(3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान के माँगों (2015-16) के बारे में 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 191वां प्रतिवेदन।

(4) गृह मंत्रालय की अनुदान की माँगों (2015-16) के बारे में 185वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 192वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

269वां तथा 270वां प्रतिवेदन

श्री एस. पी. मुदाहनुमेगौड़ा (तुमकुर): महोदया, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदान की माँगों (2015-16) के बारे में समिति के 266वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई संबधी दो सौ उनसठवां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदान की माँगों (2015-16) के बारे में समिति के 265वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबधी दो सौ सत्तरवां प्रतिवेदन।

———————

अपराह्न 12.03 ½ बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

(एक) 77वाँ प्रतिवेदन

श्री विनसेंट एच. पाला (शिलौंग): महोदया, मैं लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का सतहत्तरवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री विनसेंट एच. पाला: महोदया, मैं लोकपाल और लोकायुक्तों तथा अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित प्रधान मंत्री जी रोज़गार सृजन कार्यक्रम पी.एम.ई.जी.पी.) स्कीम के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 260वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।*

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जी (श्री कलराज मिश्र): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :--

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित प्रधानमंत्री जी का रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीजीएमईजीपी) स्कीम के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 260वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. क्रमशः 3261/16/15 और एल.टी. 3262/16/15

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी) स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति क 261वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जी (श्री कलराज मिश्र): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :--

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 261वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. क्रमशः 3261/16/15 और एल.टी. 3262/16/15

अपराह्न 12.05 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं प्रस्ताव करती हूं:-

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———————

अपराह्न 12.06 बजे

सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

(एक) वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग विधेयक, 2015*

विधि और न्याय मंत्री जी (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए वाणिज्यिक न्यायायों, उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग स्थापित करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

> "कि विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों, उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग स्थापित करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———————

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2 दिनांक 7.12.2015 में प्रकाशित

<u>अपराह्न 12.06$^{1/2}$ बजे</u>

अध्यादेश के बारे में विवरण: वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अध्यादेश ,2015*

विधि और न्याय मंत्री जी (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 8) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यातमक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.07 बजे

सरकारी विधेयक- पुर:स्थापित... जारी

(दो) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015*

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री जी (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के अनुमति दी जाये।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: मैं [3]* विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 7.12.2015 में प्रकाशित

[3]*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 12.08 बजे

(तीन) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015[$]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री जी (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं प्रस्ताव करती हूं कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के अनुमति दी जाये।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

" कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

———————

[$] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 7.12.2015 में प्रकाशित

अपराह्न 12.09 बजे

(चार) परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015*

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कार्यालय में राज्य मंत्री जी, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री जी, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री जी तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री जी (डॉ. जितेन्द्र सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के अनुमति दी जाये।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———————

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 7.12.2015 में प्रकाशित

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है। 2 दिसंबर, 2015 को 12 बजकर 5 मिनट पर यहां जो बहस हुई थी, उसमें पेज नंबर 277 प्रोसीडिंग का.....

माननीय अध्यक्ष : आपने न कोई नोटिस दिया है और न कुछ कहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अभी ज़ीरो ऑवर में मैं रेज कर रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी ज़ीरो मैंने डिक्लेअर भी नहीं किया। मैंने कुछ आगे बोला ही नहीं है। ज़ीरो ऑवर में मैं एलाउ कर दूंगी। लेकिन आपका कुछ भी नोटिस मेरे पास नहीं आया है। अब शून्यकाल शुरु करते हैं।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): माननीय अध्यक्ष जी, सूखे पर चर्चा की जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरे देश के किसान सूखे से पीड़ित हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सूखे के विषय पर चर्चा पहले ली जाए।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। शून्यकाल के बाद यदि आप सभी सहमत होते हैं तो लेते हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री जी तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जी (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है लेकिन साथ साथ सदन की कार्यवाही में बिल्स पास कराने भी आवश्यक है, जैसा कि हमारे प्रतिपक्ष के और हमारे बाकी साथियों से विचार-विमर्श हुआ है, अगर आपकी सहमति हो, सदन की सहमति हो तो शून्यकाल के तुरंत बाद सूखे पर चर्चा कर लें, लेकिन यह बड़ा आवश्यक है कि चार बजे से जो अधूरा बिल है, उसको हम ले लें और आगे बिलों को समाप्त करके फिर हम इस चर्चा को जारी रखें। अगर सदन की सहमति होगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यदि आप सभी सहमत हों तो हम इसे 4 बजे तक आगे बढ़ाएंगे।

… (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उन्होंने कहा कि 4 बजे के बाद हम विधेयक लेंगे लेकिन चर्चा जारी रहेगी। हम केवल दो बजे तक प्रतिबंधित नहीं हो सकते। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वह देख लो लेकिन चार बजे से ज्यादा समय हो जाता है।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैंने कहा कि हम 4 बजे चर्चा बंद करके विधेयक पर विचार करेंगे। उसके बाद, हम दो या तीन विधेयक लेकर जाएंगे, जो कल के लिए सूचीबद्ध हैं, वे छोटे विधेयक हैं, लेकिन हमें विधायी कार्य पूरा करना होगा। इसलिए, अगर सदन इससे सहमत है, तो हम भी इससे पूरी तरह से सहमत हैं। … (*व्यवधान*) हमारे पास पर्याप्त समय है। हमारे पास पूरा सप्ताह है। यह प्रशंसनीय है कि यह सभा अच्छी तरह से चल रहा है। हम आपके प्रयास की सराहना करते हैं और यहां उपस्थित सभी लोगों द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

[हिन्दी]

सभी लोग यदि इसी प्रकार से मिल-जुलकर तय करो तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। मेरे लिए भी ठीक है।

डॉ. थोकचोम मेन्या (आंतरिक मणिपुर): माननीय अध्यक्ष जी, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया है कि किस बारे में आप बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूं कि जो प्रोसीडिंग में है, रूल 380 के तहत ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, कृपया सभा की दिनांक 2 दिसंबर, 2015 की 1205 बजे की कार्यवाही का संदर्भ लें, जिसमें मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत निम्नलिखित मामला उठाया था - केंद्रीय मंत्री जी श्री वी.के. सिंह द्वारा *दलित* समुदाय के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई। (*व्यवधान*) सुन तो लीजिए। मैं कोई गलत बात नहीं बता रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं आपके नोटिस में ला रहा हूं।...(व्यवधान) मैं आपको दे रहा हूं। पेज 277 प्रोसीडिंग में जो बात मैंने यहां पर रखी थी,...(व्यवधान) वह बात इसमें आई नहीं है। इसलिए मैं आपके नोटिस में ला रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं। ऐसे नहीं होता है। ज़ीरो ऑवर में कैसे क्या नोटिस देंगे? एडजर्नमेंट मोशन पर मैं दे चुकी हूं। अभी ज़ीरो ऑवर में कोई रूल नहीं चलता है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसीलिए मैं आपके नोटिस में ला रहा हूं...(व्यवधान) कि रूल 380 और 381 के तहत आप एक्सपंज नहीं कर सकते। यह मैं बता रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शून्यकाल चल रहा है। शून्यकाल में किसी नियम की बात ही नहीं होती। आप क्या मैटर उठा रहे हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे इस पर गौर करना होगा।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : शून्यकाल चल रहा है। आप मुझे यह लिखित में दे सकते हैं। मैं इस पर गौर करूंगा। मैं 'मना' नहीं कह रही हूं, लेकिन इस तरह नहीं।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं इसे आपको सौंप दूंगा। लेकिन मैं केवल इस हिस्से को पढ़ना चाहूंगा। … (*व्यवधान*) फिर, मैं इसे आपको सौंप दूंगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*)*

माननीय अध्यक्ष: आपको यह मुझे लिखित में देना होगा।

… (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय अध्यक्ष महोदया, हम खड़गे जी का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन यदि सदन में यही प्रक्रिया अपनाई गई, तो यह 'सबके लिए खुली' स्थिति होगी। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रही हूं।

… (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदया, अगर इसी तरीके स सभा चलाना है और किसी भी मुद्दे को उठाकर उसपर बोलना है, तो यह स्वीकार्य स्थिति नहीं होगी। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

माननीय अध्यक्ष: ज़ीरो ऑवर में ये क्या नियम की बातें कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैडम, न नोटिस है, न सूचना है और न आपसे विमर्श किया गया है और उसके पश्चात इस विषय को उठा रहे हैं। फिर तो कोई भी सदस्य कोई भी विषय यहां पर उठाएंगे।...(व्यवधान)

महोदया, आपने बिलकुल ठीक रूलिंग दी है।...(व्यवधान) ऐसे नहीं होता है कि आप किसी भी विषय को बीच में ले आएंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री खड़गे, पहले आप मुझे यह दीजिए। मुझे देखने दो कि यह क्या है।

… (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी : स्पीकर मैडम को भी सूचना नहीं है और न ही आपसे विमर्श हुआ है और न आपकी जानकारी में यह बात लाई गई है।...(व्यवधान) हम उनकी खड़गे साहब की कद्र करते हैं, लेकिन इस प्रकार विषयों को बिना सूचना के लाना बिलकुल अनुचित है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : बाद में मैं आपको अनुमति दूंगी। आप मुझे यह दीजिए। तभी, मैं देख पाऊंगी। मैं आपको इस तरह से इस विषय को उठाने नहीं दूंगी।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मैं कुछ भी नहीं जानती कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अब आपको अनुमति नहीं दे सकती। नोटिस कभी पढ़कर नहीं दी जाती है। आप रूल के मुताबिक नोटिस दीजिए, तो मैं इसे देखूंगी।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, डॉ. थोकचोम मेइन्या।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, यह घोर अन्याय है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : यह इनजस्टिस नहीं है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, आपने कई सदस्यों को मौका दिया। कृपया मुझे अब इसे उठाने की अनुमति दें। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भी मौका दूंगी। मैं पहले इसे देख लूं, समझ लूं। अभी रूल के हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह लोक सभा की कार्यवाही है जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं। … (*व्यवधान*) यह बहुत अनुचित है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप इसे मुझे दे दीजिए। मैं इसे देखूंगी और फिर मैं अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं नहीं जानती कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : करूणाकरन जी, आप भी कैसी बात कह रहे हैं। वे नियम की बात कह रहे हैं लेकिन शून्यकाल में कोई नियम नहीं होता है। मुझे विषय भी नहीं मालूम है। शून्यकाल में यहां विषय दिए गए हैं। जब मुझे विषय ही नहीं मालूम है, कोई नोटिस ही नहीं है, तो मैं कैसे अलाऊ कर सकती हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप मुझे नोटिस दीजिएगा। मैं जरूर देखूंगी और अगर उचित होगा तो आपको विषय उठाने का मौका भी दूंगी।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप बुरा मत मानिएगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं बुरा कभी नहीं मानती हूं। ऐसा नहीं होता है। आप सदन के रिकार्ड की बात कह रहे हैं। तो, मुझे यह पता होना चाहिए। आप कोई सामान्य बात नहीं कह रहे हैं। आप सदन के रिकार्ड की बात कह रहे हैं, किसी पेज की बात कह रहे हैं। आप इस बात को समझो कि मुझे पहले देखना पड़ेगा। आप लोक सभा की कार्यवाही के रिकार्ड में दर्ज किसी गतिविधि का उल्लेख कर रहे हैं। मुझे इसके माध्यम से जाना होगा। आप मुझे यह दीजिए। मैं इसे देख लूंगी। श्री खड़गे जी, मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी।

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय (दमदम): आप उल्लेख करते हैं कि नियम 377 के अधीन मामलों को अब लिया जाएगा। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, डॉ. थोकचोम मेइन्या।

डॉ. थोकचोम मेन्या (आंतरिक मणिपुर): धन्यवाद, मैडम। माननीय अध्यक्ष (लोक सभा), मैं सार्वजनिक महत्व का एक अत्यंत आवश्यक मामला उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पुरुल, मणिपुर के स्वर्गीय श्री एल. पौमई का मृत शरीर 1 दिसंबर, 2015 को राजधानी अस्पताल, भुवनेश्वर, ओडिशा में पाया गया था। श्री पौमई 29 नवंबर को डिमापुर से रेल से बैंगलोर की यात्रा कर रहे थे। उसी दिन, उन्होनें लगभग 4.55 बजे अपने परिवार के एक सदस्य को फोन किया और पाँच व्यक्तियों द्वारा धमकी दिए जाने की शिकायत की। तत्पश्चात, कथित तौर पर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई।

श्री पौमई कहीं नज़र नहीं आए, हालांकि जिस रेलगाड़ी से वे यात्रा कर रहे थे वह 30 नवंबर को बैंगलोर पहुँच गई थी। मुझे लगता है कि हमलावरों ने श्री पौमाई को चलती रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया था। पुलिस में मामला दर्ज किया गया।

मैं इस सम्मानित सभा से आग्रह करूंगा कि वह उक्त क्रूर घटना की निंदा करे।

अपराधी तो अपराधी ही होते हैं। मुकदमा दर्ज करके उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही, कड़ी से कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, यह मामला नस्लीय भेदभाव का स्पष्ट मामला प्रतीत होता है। मुख्य भूमि में उत्तर-पूर्व के लोगों पर हमले बारम्बार होते हैं। यहां तक कि राजधानी दिल्ली भी इससे बची नहीं है। महोदया, आपको याद होगा कि इस तरह के नस्लीय हमलों के कारण बेंगलुरु जैसे शहरों से उत्तर-पूर्वी लोगों का पलायन हुआ था।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोग अलग दिखते हैं। हमारी संस्कृति और परंपराएं अलग-अलग हैं। हमारी खाने-पीने की वस्तुएं भिन्न हैं, किंतु अत्यंत स्वादिष्ट हैं। हमारे मुख्य भूमि के मित्र हमेशा हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं आदि की बात करते हैं, मानो उनके पास ऐसा कुछ नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र का इतिहास देश के बाकी हिस्सों में ज्ञात नहीं है और इसे पूरी तरह से समझा भी नहीं गया है। क्या यह सचमुच गंभीर बात नहीं है?

मुख्य भूमि, विशेषकर महानगरों में इन नस्लीय हमलों के बाद भारत सरकार ने एम.पी. बेजबुरुआ समिति का गठन किया था और इसके प्रतिवेदन और सिफारिशें पहले से ही सरकार के पास हैं।

अब मैं इस माननीय सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे केंद्र सरकार से एम.पी. बेजबुरुआ समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करें तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए देश में तत्काल एक कठोर नस्ल-विरोधी कानून बनाएं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः प्रहलाद पटेल जी, क्या आप एक ही बात को जोड़ना चाहते हैं या यह कोई अलग बात है?

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के...(व्यवधान) यह मणिपुर की ही घटना है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसके बारे में तो नहीं है। इसलिए अभी बैठ जाइए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आप इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं।

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): महोदया, मैं इस मुद्दे पर सहमत हूं।

माननीय अध्यक्ष: हां, आप इसका समर्थन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आया हूं। हमारी भारत की राजधानी के भीतर जो प्रदूषण फैला हुआ है और इसकी वजह से, टीवी पर या आज हर किसी को चिन्ता है, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र का आनन्द विहार इलाका, जहाँ प्रदूषण का लेवल भारी मात्रा में बताया जाता है। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आज इस प्रदूषण के लिए जिस प्रकार से निर्णय लिये गये हैं कि गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है। पर बहुत-से ऐसे प्रदूषण भी हैं, जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का प्रदूषण है, जो ओखला में स्थित हैं। वर्ष 2013 में जिन प्लांटों की समयसीमा समाप्त हो चुकी थी, फिर वे चल रहे हैं। उनसे ऐसे गैस उत्पन्न होते हैं, जो कैन्सर जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। पाँच लाख से ज्यादा आबादी पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे कई सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जिनके लिए कोई निर्णय नहीं लिये गये हैं। हाल में एक निर्णय लिया गया है कि ओड और ईवन नम्बर की गाड़ियाँ एक दिन चलेगी और एक दिन नहीं चलेगी।

मैं उन लोगों की तरफ से केवल एक बात बताना चाहता हूं, जो यह निर्णय लिया गया कि एक दिन ओड नम्बर की और दूसरे दिन ईवन नम्बर की गाड़ियाँ चलेंगी, इससे तो अमीरों को कोई नुकसान नहीं होगा, वे एक दिन ओड नम्बर की गाड़ी चलाएंगे और एक दिन ईवन नम्बर की गाड़ी चलाएंगे। पर जो लाखों लोग नौकरियों पर जाते हैं, जो गरीब मजदूर हैं, जो बाईक पर जाते हैं, इन सबका ध्यान रखे बगैर जो निर्णय लिया गया है, मुझे लगता है कि इसमें एक सामूहिक निर्णय होना चाहिए ताकि इन लाखों गरीबों के हित को भी ध्यान में रखकर नियम बने। प्रदूषण की चिन्ता बेहद गंभीर है, पर उन गरीबों का भी ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। मैं यह ध्यान में लाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : सर्व श्री केशव प्रसाद मौर्य, शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, गणेश सिंह, निशिकांत दुबे, भैरों प्रसाद मिश्र, सदाशिव लोखंडे, सी.आर. चौधरी, अर्जुनलाल मीणा, अरविन्द सावंत, श्रीरंग आप्पा

बारणे, पी.पी. चौधरी, राहुल कास्वां, राजीव सातव, गजेन्द्र सिंह शेखावत तथा श्रीमती मीनाक्षी लेखी को श्री महेश गिरी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरठ में देश की बड़ी तथा प्रमुख दवा निर्माता कंपनियों की नक्ल करके असली दिखने वाली पैकिंग के साथ बेचने वाले माफियाओं के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दिनांक 01.12.2015 को आई.बी.एन.-7 द्वारा ऑपरेशन यमराज के नाम से किये गये स्टिंग ऑपरेशन द्वारा यह खुलासा किया गया है। मैं इस खुलासे के लिए आई.बी.एन.-7 को बधाई देता हूं।

इस स्टिंग ऑपरेशन में नकली दवा माफियाओं के जो विवरण सामने आये हैं, वे बहुत ही चिन्ताजनक हैं। ये माफिया लोग 45 रुपये में बिकने वाली खांसी के सिरप को मात्र 7.50 रुपये में बेच रहे हैं। दस हजार शीशियों की आपूर्ति केवल पाँच-छः दिन में कर सकते हैं। माल को किसी भी स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी लेता हुआ दिखाया गया है। बुखार, खांसी, हृदय किडनी, लीवर जैसे रोगों से संबंधित बिल्कुल असली दिखनेवाली नकली दवाओं की आपूर्ति का वे भरोसा दिला रहे हैं। नकली दवाओं का इतने व्यापक स्तर पर निर्माण और उसकी बेख़ौफ़ आपूर्ति चिकित्सा एवं दवा से जुड़े आधिकारियों तथा पुलिस प्रशासन की सांठगांठ के बिना संभव नहीं है। अभी पिछले महीने 18 नवम्बर को भी एक नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गयी थी। परंतु अपराधियों से मिली-भगत के कारण छापा मारने गयी पुलिस टीम को फैक्ट्री में केवल ताले मिले।

सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली दवाओं के सैम्पल अनेक बार फेल हो चुक हैं, परन्तु इन माफियाओं का प्रभाव ऐसा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूरी होती है। बीमारी बांटने वाली नकली दवाओं के सवारधिक शिकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब होते हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा इसकी जांच किया जाना असंभव है, क्योंकि वह स्वयं इस काम में शामिल हैं।

आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराएं तथा यहां बैठे हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता से निवेदन है कि वे सीबीआई जांच की संस्तुति केन्द्र सरकार को कराएं ताकि इस

माफिया को पकड़ा जा सके। मेरा यह भी निवेदन है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले इस अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम दण्ड के प्रावधान किये जाएं।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री निशिकान्त दुबे, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री राजीव सातव, श्री केशव प्रसाद मौर्य, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी - उपस्थित नहीं।

श्री गोपाल शेट्टी।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, मैं देशभर के दृष्टिहीन और अपाहिजों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इसके बारे में मेरा एक प्राइवेट मेम्बर बिल लगा हुआ है, 12 तारीख को मैं एक रिज्योल्यूशन भी मूव कर रहा हूं और सौभाग्य से आज जीरो आवर में भी यह विषय उठाने का मौका मिला है, यह भगवान की ओर से संकेत है कि इन लोगों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए।

जब देश के प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, तो हमारे देशभर में जो दृष्टिहीन लोग हैं, उनकी बहुत ही दयनीय अवस्था आज है। केन्द्र सरकार की एक स्कीम है, जिसमें उनको 300 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है और मैचिंग ग्रान्ट देने के लिए राज्य सरकार को कहा गया है, लेकिन इन दृष्टिहीन लोगों के पास घर न होने की वजह से उनके पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड न होने की वजह से उसमें इनका एनरोलमेंट ही नहीं होता है। आपको पता है कि बहुत से राज्यों में विधवा बहनों को 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, लेकिन दृष्टिहीन लोग, जो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, उनको एक रुपया भी नहीं दिया जाता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन लोगों को हर माह कम से कम 25,000 रुपये मुआवजा देने की व्यवस्था अगर की जाती है तो बहुत बड़ा क्रान्तिकारी काम हो सकेगा। जब प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम देश में सबका साथ-सबका विकास की बात करते हैं तो यह काम होगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वयं इसमें हस्तक्षेप कीजिए और इतने बड़ी संख्या में जो दृष्टिहीन लोग देश में हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा काम होगा। आजादी के 68 साल तक इतने गंभीर विषय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए ताकि मुझे इसमें थोड़ा बल प्राप्त होगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री पी.पी.चौधरी, श्री अरविंद सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भर्तृहरि महताब को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रत्न लाल कटारिया - उपस्थित नहीं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। देशभर में घने जंगलों की संख्या कम हो रही है, वातावरण चेंज हो रहा है, जलवायु चेंज हो रही है। जंगली जानवर जंगलों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं जिससे किसानों की फसलें बहुत खराब हो रही हैं। पंजाब में भी इसी बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। जंगली जानवर जानी नुकसान भी करते हैं और फसलों का भी नुकसान करते हैं। हमारी सरकार ने एक स्कीम बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी थी कि 33 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देगी, 33 प्रतिशत केन्द्र सरकार दे और 33 प्रतिशत पैसा हमारे किसान देने को तैयार हैं, वहां किसानों के खेतों की फेंसिंग करने के लिए जालीदार तार की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इससे लोग बच सकते हैं। आज हमारे लोगों को बहुत परेशानी आ रही है।

दूसरे, जंगली जानवरों के साथ ही आवारा पशुओं की भी बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। देशभर में उनकी संख्या बढ़ रही है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, चूंकि केन्द्र सरकार की नीति है, इसलिए राज्य सरकारें कुछ कर नहीं पा रही हैं। इसी तरह से आवारा कुत्तों की भी समस्या देशभर में। ये तीन मुश्किलें हैं, इनके लिए साझे तौर पर इकट्ठे होकर केन्द्र सरकार को नीति बनानी चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री पी.पी.चौधरी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री आभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभिनन्दन करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया है जो छत्तीसगढ़ राज्य के ढाई करोड़ लोगों के सम्मान और पहचान का विषय है। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के विषय में मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं।

महोदया, छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के साहित्यिक विकास के साथ-साथ संस्कृति के संरक्षण में भी छत्तीसगढ़ी भाषा ने अपना असाधारण योगदान दिया है। उसकी एक झलक, उसका एक उदाहरण 'रामचरित मानस' में भी छत्तीसगढ़ी शब्दों के कई उपयोग हमें देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में कविताएं, नाटक, निबंध, शोध ग्रंथ जैसे विविध साहित्य का एक विशाल भंडार है। सन् 1885 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण आदरणीय श्री हीरा लाल काविपाध्याय द्वारा लिखा गया था। उसका अंग्रेज़ी अनुवाद देश की सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं में से एक 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' में 1890 में प्रकाशित हुआ था।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, एक राज्य की पहचान न केवल उसके आर्थिक और सामाजिक विकास से होती है, बल्कि राज्य की भाषा उसकी संस्कृति की आत्मा होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ लोगों की ओर से कि छत्तीसगढ़ी भाषा को देश के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करके इस भाषा का सम्मान करें।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. बंशीलाल महतो, श्री लखन लाल साहू, श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री आभिषेक सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए बुलाने के लिए धन्यवाद।

महोदया, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र कृष्णागिरि में कोयम्बटूर क्षेत्र के अंतर्गत प्रधान डाकघर, तमिलनाडु सर्कल में दूसरे स्थान पर लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है। कृष्णगिरी में, 38 डाकघर और 263 ग्राम डाकघर कार्यरत हैं। जिनमें से कृष्णागिरि और डेन्कानीकोट्टई डाकघर अपने स्वयं के भवनों में काम कर रहे हैं। शेष 36 उप-डाकघर किराए के भवनों में चल रहे हैं। केआरपी बांध, मथिगिरी, उत्तनगरई और मूकंदपल्ली डाकघरों ने क्रमश: 1976, 1968, 1977 और 1994 में डाकघर और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहित की थी। तब से इस भूमि पर कोई गतिविधि नहीं की गई है।

महोदया, मौजूदा भवन में जगह अपर्याप्त है क्योंकि होसुर एक तेज़ी से विकसित होने वाला औद्योगिक क्षेत्र है और डाक विभाग के लिए अधिक राजस्व प्राप्त कर रहा है। इसलिए, होसुर में लॉजिस्टिक्स (संभार-तंत्र) के माध्यम से अधिक व्यापार विकसित करने के लिए, होसुर-बेंगलुरु राजमार्ग पर स्थित मूकंदपल्ली स्थल का निर्माण करने की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं आपके कार्यालय के माध्यम से माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहित भूमि पर विभागीय भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाएं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष (लोक सभा): श्री सतीश चंद्र दुबे – उपस्थित नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैं ओडिशा में कलंगा जाति नामक एक जाति की मान्यता से संबंधित मुद्दा उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महाराष्ट्र में कलंगा जाति प्रचलित है। वे छत्तीसगढ़ में हैं और मध्य प्रदेश में भी हैं। कलंगा जाति के लोग लंबे समय से राज्य सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखते आ रहे हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। ओडिशा सरकार ने भी 2009 से अनुसूचित जनजाति के रूप में आवश्यक मानदंडों के अनुसार कलंगा जाति को शामिल करने की सिफारिश की है और बार-बार ओडिशा सरकार भी इसका प्रयास कर रही है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि जब तक जनगणना रजिस्ट्रार इसे मान्यता नहीं देते और भारत सरकार को नहीं भेजता, तब तक भारत सरकार भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह मामला उठा रहा हूं कि यहां एक मामला है जहां इस जाति के ये लोग बरगढ़, बोलंगीर और सुंदरगढ़ जिलों में रहते हैं जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के हिस्से से सटे हुए हैं। वे वनवासी हैं। वे प्राचीन आदिवासी हैं।

छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे हमारे पड़ोसी राज्यों में, कलंगा जाति को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में, गोंड जनजातियों के साथ कलंगा जाति को शामिल किया गया है और महाराष्ट्र राज्य में, उन्हें क्रम संख्या 18 पर गोंड जनजातियों के साथ शामिल किया जाता है। साथ ही, पास के अन्य राज्यों में भी, वे अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल हैं। लेकिन ओडिशा में उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि वे उस सूची में शामिल नहीं हैं जिसे पहले अधिसूचित किया गया था।

2009 के बाद से, ओडिशा सरकार ने अपनी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने की सिफारिश की है। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह तत्काल कदम उठाए ताकि ओडिशा और इस देश में हर अनुसूचित जनजाति को जो लाभ मिल रहा है, उससे कलंगा जाति वंचित न रहे। धन्यवाद।

अपराह्न 12.35 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन.....जारी

(दो) बिहार में मोकामा और मुजफ्फरपुर स्थित भारत वैगन लिमिटेड के कारखानों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन के पुनरीक्षण के संबंध में

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, सरकार एक तरफ स्किल इंडिया हुनर से देश के बेरोजगारों और मजदूरों को आगे बढ़ाना चाहती है। बिहार में भारत वैगन मुजफ्फरपुर और मोकामा दोनों इकाई पारम्परिक रूप से वैगन विनिर्माण से जुड़े कारखाने हैं। आभिविन्यास, संयत्र एवं यंत्र-समूह तथा स्थान, इस उत्पाद के लिए आदर्श रूप में उपयुक्त रहा है।

मेरा आपसे आग्रह है कि यहां रेलवे मंत्री जी मौजूद हैं। 1978 में दोनों निजी क्षेत्र रुग्ण वैगन का विनिर्माण हुआ था। लेकिन आज भारत वैगन कंपनी मोकामा और मुजफ्फरपुर के कर्मचारियों की जो स्थिति है, वह रेलवे के उदासीन रवैये के कारण दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। वर्ष 1989 से 1999 तक कई उत्पादक पुरस्कार से सम्मानित एवं लाभांश के बावजूद भी 1997 का वेतन पुनरीक्षण नहीं हो पाया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि 2008 में रेलवे द्वारा शून्य बैलेन्स पर इसे आधिग्रहित किया गया था, इसके बावजूद वेतन पुनरीक्षण एवं बुनियादी सुविधाएं आज तक बहाल नहीं होना भारत सरकार के इन वैगन के कारखानों की इससे बड़ी समस्या कुछ नहीं हो सकती। मैं आपका ध्यान बंगाल की दो कंपनियों ब्रैथवेट और बर्न स्टैंडर्ड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिन्हें रेलवे द्वारा 2010 में आधिग्रहित कर वेतन पुनरीक्षण एवं बुनियादी सुविधाएं दी गईं। जहां 700 कर्मचारियों द्वारा पिछले दिनों 74 एवं 84 (एमपीओएच) वैगन की मरम्मत की गई, वहीं भारत

वैगन ने मात्र 300 कर्मचारियों की मदद से मोकामा 59 एवं 76 वैगन की मरम्मत कर अपने कार्य के प्रति निष्ठा एवं लगन को दर्शाया है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि एक तरफ मेहनत के बदले बंगाल की दोनों कंपनियों में नियमित रूप से वेतन का भुगतान होता है और वहीं पर बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जो हमारा मोकामा है, उसके पुनर्निमाण के लिए सरकार को रिव्यू करना चाहिए, परंतु वह न करके वहां के कर्मचारियों का वेतन भुगतान तक नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वहां की स्थिति बहुत ही बदतर है। जबकि देश के मानचित्र में मुजफ्फरपुर और मोकामा का निर्माण कार्य सबसे उत्कृष्ट रहा है।

मैं रेल मंत्री जी का ध्यान इन दोनों के साथ-साथ मधेपुरा की स्लीपर फैक्टरी की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं, यह फैक्टरी पूरी बन गई है, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। स्लीपर फैक्टरी बन गई, उसमें लागत लग गई, भारत सरकार का पूरा पैसा लग गया और आज तक वह चालू क्यों नहीं हुई? इन तीनों मुद्दों पर मैं भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर, मोकामा और मधेपुरा की स्लीपर फैक्टरी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

अध्यक्ष महोदया आपका संरक्षण चाहते हुए मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से यह मजदूरों से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि बिहार सबसे आधिक माइग्रेट है, अभी मंत्री जी महोदय ने भी कहा है। इसलिए मोकामा, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनका रिव्यू किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजीव सातव को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री जी तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री जी (श्री राजीव प्रताप रूडी) : अध्यक्ष महोदया, जिस विषय को राजेश रंजन जी ने उठाया है, यह सचमुच अपने आपमें एक महत्वपूर्ण विषय है, चाहे मोकामा हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे मधेपुरा की स्लीपर फैक्टरी का मुद्दा हो या बेला का मुद्दा हो, जिसका निर्माण हो चुका है। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश की दो सबसे बड़ी

योजनाएं मधेपुरा और मढ़ौरा में रेल कोच फैक्टरी स्वीकृत की हैं। ये सभी कार्यक्रम रेल मंत्रालय़ के अधीनस्थ हैं। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं और निश्चित रूप से इन सभी पर भारत की सरकार पूरी तरह से कमिटेड है, इसमें जो भी पहल हो सकेगी, जैसे जो बंद हैं या जिनकी स्थिति खराब है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जो 40 हजार करोड़ की लागत से मधेपुरा और मढ़ौरा की रेल फैक्टरी इंजिन के कारखाने की स्वीकृति हो चुकी है, उसका समझौता हो चुका है। इसके अलावा बिहार के लिए जो विशेष पैकेज की बात की गई थी, उसी के तहत भारत सरकार ने इन कार्यों की शुरूआत कर दी है।

———————

[अनुवाद]

श्री एम. के. राघवन (कोझिकोड): महोदया, अध्यक्ष (लोक सभा), मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं स्वच्छ भारत उपकर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा उठाना चाहता हूं। जनता पर एक और उपकर थोपा गया है। मेरा विनम्र निवेदन है कि नए *स्वच्छ भारत उपकर* की पूरी आय केंद्र के पास रहेगी तथा इसे राज्यों के साथ अनिवार्य रूप से साझा नहीं किया जाएगा।

राज्य असहज हैं और सभी राज्यों ने उपकर को वृद्धिशील राजस्व का साधन बनाने के केंद्र के इस कदम पर पहले ही अपने विचार और आपत्तियां व्यक्त कर दी हैं। यह अधिनियम धन का प्रबंधन करने या राजकोषीय सुधार लाने में केंद्र सरकार की अक्षमता को भी दर्शाता है, और तथा यह भी दर्शाता है कि केंद्र सरकार उपकर लागू करके धन जुटाने के सबसे आसान तरीकों का सहारा ले रही है। मेरी आशंका यह है कि यह भी 14$^{वें}$ वित्त आयोग की सिफारिशों को दरकिनार करने का एक प्रयास है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस तरह के कदम राज्यों के हित और देश के संरचित संघवाद के खिलाफ हैं।

हमारे पास पहले से ही शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर हैं, जिसे बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है, अति धनाढ्यों पर 2 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार, सड़क उपकर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर, वायु उपकर आदि को मिलाकर कुल धनराशि 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। उपकर पर निर्भरता

बढ़ाने और राजकोषीय बजट को कम करने से केंद्र को राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता में कटौती करने में मदद मिलती है, जिससे राज्य असुरक्षित बने रहते हैं।

जबकि कुछ ऐसे मानदंड हैं जिनके लिए उपकर वांछनीय है, फिर भी, राज्यों द्वारा एकत्रित धनराशि का वितरण भी सवालों के घेरे में है। इसलिए, यदि केंद्र सरकार अधिभार और उपकर पर जोर दे रही है, तो यह लागत बढ़ाकर मुद्रास्फीति का दबाव पैदा कर रही है। संयोग से बनाए गए सभी उपकर स्थायी रहते हैं।

सरकार ने बड़े जोर-शोर से बड़ी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, आप इतना नहीं पढ़ सकते। आपको केवल मुद्दे का उल्लेख करना है।

श्री एम. के. राघवन: महोदया, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। कृपया मुझे अनुमति दें।

माननीय अध्यक्ष: आप पृष्ठ 2-3 पढ़ रहे हैं।

श्री एम. के. राघवन: इन्हें पूरा करने के लिए, सरकार को धन की आवश्यकता है, और केंद्र पर्याप्त धन देने में असमर्थ है। इसलिए उसे ये उपकर योजनाएं लाने पर मजबूर होना पड़ा है। उपकर की इस संख्या के कारण, उपकर और अधिभार पर निर्भरता बढ़ने की प्रवृत्ति है, जबकि इसके साथ ही राज्य योजनाओं में कुल केंद्रीय सहायता में कटौती करके राज्यों के लिए राजकोषीय गुंजाइश कम हो रही है। इससे मुद्रास्फीति संबंधी लागतें भी पैदा हो रही हैं और इसे कर लगाने के बजाय पिछले दरवाज़े से प्रवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। … (*व्यवधान*)

इसलिए, यह महसूस किया गया कि राज्यों के शोषण और किसी भी वस्तु पर उपकर या अधिभार लगाने या अन्यथा का मामला केवल राज्यों की सहमति से ही किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि केंद्र द्वारा लगाए गए किसी भी उपकर से एकत्रित राजस्व का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि पूरा सभा मेरे साथ होगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी. के. बीजू, एडवोकेट जॉइस जॉर्ज, और श्री राजीव सातव को श्री एम. के. राघवन द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु): माननीय अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में मेरे निर्वाचन-क्षेत्र अराकु में बॉक्साइट खनन में बढ़ती अशांति के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, बॉक्साइट एक केंद्रीय खनिज है। अनुसूची-5 क्षेत्रों में खनन के संबंध में केंद्र सरकार की नीति आज भी निर्धारित नहीं है। केंद्र सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 17 अगस्त 2015, को विशाखापत्तनम जिले के चिंतापल्ली और जेरेला में 1,212 हेक्टेयर वन भूमि को ए.पी.एम.डी.सी. के पक्ष में हस्तांतरित के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है। इस मंज़ूरी के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने ए.पी.एम.डी.सी. को जेरेला में खनन करने की अनुमति जारी करने के लिए सरकारी आदेश संख्या 97 जारी किया है। राज्य एवं केन्द्र सरकार के स्तर पर सरकार का यह कृत्य भारतीय संविधान की अनुसूची-5 के विपरीत है, जो गैर-आदिवासियों को जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसाय करने से रोकता है। जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) का गठन अभी तक नहीं किया गया है, तथा वहां खनन कार्य संचालित करने के लिए टी.ए.सी. का अनुमोदन अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, टी.ए.सी. और पेसा ग्राम सभाओं से प्रस्ताव प्राप्त नहीं किये गए हैं।

जनजातीय क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध हैं। इसलिए, वे राज्य के बाकी हिस्सों का ध्यान आकर्षित करते हैं। आदिवासी लोग खनन के ख़िलाफ़ तीव्रता और उग्रता से विरोध कर रहे हैं। विशाखापत्तनम के जनजातीय क्षेत्रों में बॉक्साइट के प्रस्तावित खनन पर स्थानीय आदिवासियों द्वारा व्यक्त की गई चिंता, क्षेत्र की स्थिति और अन्य चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मानवाधिकार मंच ने भी एक खुला बयान दिया है कि यह वन भूमि के लिए हानिकारक होगा।

अतः महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और खान एवं खनिज मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया इस स्थिति में हस्तक्षेप करें और इन सरकारी आदेशों को खारिज करके आवश्यक कार्रवाई करें;

जनजातीय समुदाय को न्याय प्रदान करें; और मानव अधिकारों की रक्षा करें तथा आंध्र प्रदेश में खनन के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके को सुनिश्चित करें। धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित आविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाने के लिए अनुमति प्रदान की।

महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र गंगा, रामगंगा और काली नदी - इन तीनों नदियों के मध्य का भाग है। हमारे यहाँ फर्रुखाबाद से हरपालपुर होते हुए हरदोई और लखनऊ के लिए जो मार्ग जाता है, उस पर एक ब्रिज की आवश्यकता है और काफी लंबे समय से उस पुल की मांग वहाँ के क्षेत्रीय लोगों द्वारा की जाती रही है। वहाँ पुल न होने के कारण पीपों का पुल बना हुआ है जो कि बरसात में खत्म हो जाता है। इस कारण वहाँ के लोगों को 60-70 किलोमीटर की आधिक दूरी तय करके आना पड़ता है। वैसे हरपालपुर और फर्रुखाबाद के बीच की दूरी मात्र 15 से 20 किलोमीटर की है। इसी तरह हमारे यहाँ कमालगंज और कड़हर के बीच की दूरी मात्र 10 किलोमीटर की है। वहाँ भी पुल न होने के कारण लोगों को 50 से 60 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। इस तरह से यदि ये दोनों पुल - गंगा और रामगंगा पर बन जाते हैं, एक अर्जुनपुर में बन जाता है और दूसरा कड़हल और कमालगंज के बीच में बन जाता है तो वहाँ के किसानों को फर्रूखाबाद से मुख्यालय से जुड़ने में बहुत कम समय लगेगा और उनकी उपज का उनको वाजिब मूल्य मिलेगा। इससे उस क्षेत्र का विकास भी होगा। अतः मेरी भारत सरकार से मांग है, यहाँ माननीय मुलायम सिंह जी बैठे हैं, इनसे भी मांग है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, कि आप यह पुल बनवा देंगे तो उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री मुकेश राजपूत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : महोदया, नेशनल हाईवेज़ के उन्नयन और चौड़ाईकरण के लिए काम चल रहे हैं और लगभग सभी कार्य निधाररित समय में पूर्ण नहीं होकर विलंब से चल रहे हैं जिससे आम जनता को यातायात और परिवहन में भारी असुविधा हो रही है।

उदाहरण के तौर पर राजस्थान के अंदर नेशनल हाईवे नं. 8 का काम पिछले छः-सात साल से चल रहा है, परंतु इसके बावजूद भी यह कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ। आम लोगों से टोलटैक्स वसूला जाता है। इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश रहता है। जयपुर से दिल्ली के बीच छः से सात बजे से आधिक समय लगता है। ऐसे समय में मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे में टोल टैक्स न वसूला जाए और शीघ्र ही इन कार्यों को पूरा किया जाए।

महोदया, हमारे ही क्षेत्र चुरू के अंदर एन.एच. 65 जो अब एन.एच. 52 हो चुका है, उसके अंदर भी कार्य अगस्त 2014 को आबंटित हुआ था किन्तु आज तक कार्य की स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। फाइनैंशियल प्राबलम्स के कारण कॉन्ट्रैक्टर ने काम बंद कर रखा है, काम चालू नहीं है। रोड पर एक्सीडैंट्स होते हैं और समस्याएँ आती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इनकी फाइनैंशियल प्राबलम्स को देखकर सॉल्व किया जाए और ऐसे कार्यों को जल्दी पूर्ण किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कँवर सिंह तँवर (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 हापुड़-मुरादाबाद के बीच में पड़ने वाले बंद पड़े पुराने गंगा पुल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

एन.एच. 24 के ब्रजघाट पर गंगा नदी के ऊपर बने पुराने पुल की हालत अत्यंत खराब हो जाने के कारण यहाँ नए पुल का निर्माण कराया गया था तथा इस फोर लेन हाईवे का पूरा ट्रैफिक नए पुल पर डाइवर्ट करके पुराने पुल को बंद कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो कि दिल्ली से लखनऊ और ननीताल

को जोड़ता है। इस रास्ते से विदेशी पर्यटकों का भी भारी संख्या में आवागमन होता है। हर महीने यहां पर नहान होता है तो उसमें बहुत भीड़ होती है। एन.एच.24 पर आने जाने वाला दोनों तरफ का ट्रैफिक नए पुल से गुज़रने के कारण इस पुल पर लोड बढ़ जाता है तथा दोनों तरफ से वाहन एक ही पुल से गुज़रने के कारण अक्सर यहां दुर्घटनाएँ होती रहती हैं तथा स्थानीय पर्यटकों को अक्सर लंबे जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि ब्रजघाट पर गंगा के ऊपर बंद पड़े पुराने पुल का नवनिर्माण जल्द से जल्द कराया जाए ताकि दोनों पुलों पर आवागमन हो सके तथा दुर्घटनाओं एवं जाम की स्थिति से लोगों को राहत मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री कँवर सिंह तँवर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही मार्मिक, मानवता के लिए ज़रूरी और संवेदनशील मामले को सदन के सामने रखना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि सदन मेरी बात से सहमत होगा।

मणिपुर एक सुंदर राज्य है लेकिन मणिपुर प्रदेश के चुरचांदपुर जिले में पिछले 96 दिन से नौ नौजवानों का लाश रखी हुई है जिनकी अंत्येष्टि नहीं हो सकी है। 31 अगस्त को चार नौजवान मारे गए थे, 1 सितम्बर को तीन और बाद में दो। मुझे आश्चर्य है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी अभी तक कोई समाधान उसमें नहीं निकल सका है। मणिपुर का प्रभारी होने के नाते अनेक बार मुझे वहां जाने का मौका मिलता है। अभी वहां उप-चुनाव हुए, उप-चुनाव के जुलूस पर फायरिंग हुई, जिस पर वहां कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सिर्फ लॉ एण्ड ऑर्डर का मामला नहीं है। इसके पहले भी मैंने सदन में विषय उठाया था, इम्फाल में एक नौजवान की डैड बॉडी की 56 दिन बाद अन्त्येष्टि हुई थी, मैंने उसको उठाया, तब जाकर बामुश्किल वहां पर सात पुलिस वाले सस्पेंड किये गये, तब उसकी अन्त्येष्टि हो सकी, लेकिन 96 दिन हिन्दुस्तान के किसी दूसरे राज्य में अगर यह मामला होता तो मैं समझता हूं कि न जाने क्या परिस्थिति बनती।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान चाहूंगा और मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहूंगा कि कम से कम आपकी सरकार वहां है, अगर पुलिस की गोली से कोई मरता है, मैं उसको राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, ऐसे मुद्दों पर हम क्यों गम्भीर नहीं होते, हम क्यों संवेदनहीन हो जाते हैं, वहां का प्रशासनतंत्र, वहीं की सरकार संवेदनशील हो गई है। अगर पुलिस की गोली से मरे हैं तो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और मध्यस्थता करके इस मानवीय कार्य को पूरा करना चाहिए। वे ट्राइबल्स हैं, जिनकी डैड बॉडी हैं, वे नौजवान हैं, स्टूडेंट्स रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि सदन इस मामले में अपनी सहमति देगा। इस अवसर पर आपने मेरी बात को रखने दिया, अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री रामचरण बोहरा, श्री सदाशिव लोखंडे और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री साधु सिंह।

[अनुवाद]

प्रो. साधु सिंह (फरीदकोट): महोदया, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। पंजाब में, बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के संरक्षण में चलाया जा रहा है। प्रमुख वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन पंजाब सरकार ने इस विश्वविद्यालय का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि पंजाब सरकार को भी अपने स्रोतों से कुछ धनराशि जुटानी पड़ती है।

इस विश्वविद्यालय में एक कैंसर अस्पताल है। वहां प्रतिदिन अनेक कैंसर रोगी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन रोगियों को राजस्थान में स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां एक रेलगाड़ी का नाम कैंसर ट्रेन रखा गया है, क्योंकि अस्पताल में पर्याप्त प्रावधान नहीं किया जा रहा है। निर्माणाधीन भवन का काम आधा रोक दिया गया है। कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्हें अपना वेतन प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन *धरने* पर बैठना पड़ता है। जो डॉ. कैंसर के इलाज में माहिर हैं, वे इस अस्पताल को छोड़ रहे हैं और उन्हें वहां पर रखा

नहीं जा रहा है। मैं इस मुद्दे को भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं क्योंकि पंजाब सरकार ने अपना पूर्ण दिवालियापन घोषित कर दिया है। पंजाब सरकार दिवालिया हो गई है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात हो गई, थोड़े में उठाना होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बस, हो गया। आप दूसरों को क्यों बोलते हैं, आपने अपनी बात अच्छे से उठाई, ठीक बात है। श्री सतीश चन्द्र दुबे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.करुणाकरन, डॉ. ए. सम्पत और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को प्रो. साधू सिंह के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की आति महत्वपूर्ण समस्या की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह केवल मेरे संसदीय क्षेत्र का मामला नहीं है, पूरे उत्तर बिहार का मामला है। गोरखपुर-मुजफ्फरपुर दोहरीकरण का मामला है, वाया बगहा, नरकटियागंज, बेतिया रेलखण्ड को, जो बोर्डर के करीब से होकर जाती है, उसके एक तरफ उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ नेपाल है। इस तरह इस रेल खण्ड का महत्व काफी बढ़ जाता है। इस रेल खण्ड का दोहरीकरण करना बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर इस रेल खण्ड का दोहरीकरण हो जाता है तो लाखों-करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा और साथ ही देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी जरूरी है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इस रेल खण्ड का दोहरीकरण करने की बात एक आम जनसभा में भी कही थी। यह बहुत ही जरूरी है, आज दोहरीकरण नहीं होने के चलते 4-4 घण्टे, 5-5 घण्टे रेल काफी लेट पहुंच रही हैं, एकदम महत्वपूर्ण ट्रेन लेट हो रही हैं। इसका नतीजा यह है कि बहुत से पैसेंजर्स देरी से पहुंचते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सतीश चंद्र दुबे के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. ए. सम्पत (अत्तिंगल): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह मुद्दा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित श्रमिकों के संबंध में है। दो दिन पहले इसी सदन में जब माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि 58 प्रतिशत से अधिक श्रमिक महिलाएं हैं। भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियां राज्य दर राज्य अलग-अलग होती हैं। चूंकि श्रमिकों में अधिकांश महिलाएं हैं, इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि समय को लचीला बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, उनकी मज़दूरी और लाभ बढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें इस देश में लागू किये गए विभिन्न श्रम कानूनों के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। जब हम उन्हें श्रमिक कहते हैं तो उन्हें वे सभी लाभ मिलने चाहिए, जो श्रमिकों को मिलते हैं।

ये लोग, विशेष रूप से महिलाएं, भारत की संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी श्रम कल्याण कानून से कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत नामांकित श्रमिकों के पक्ष में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने में भी मदद का अनुरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.के. बीजू, श्री एम.के. राघवन, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री पी. करूणाकरन और एडवोकेट जोइस जॉर्ज को श्री ए. सम्पत द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी जाती है।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं चेन्नई उड़ानों में विभिन्न विमान कंपनियों की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण शोषण का मुद्दा उठाना चाहूंगा। चेन्नई में बाढ़ की गंभीर स्थिति के कारण, चेन्नई हवाई अड्डा काम नहीं कर रहा है और कई लोग बेंगलुरु में पास के हवाई अड्डे पर निर्भर हैं। यह देखना शर्मनाक है कि इस भयानक प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों की मदद करने के बजाय, एयर इंडिया सहित कई विमान कंपनियां यात्रियों पर अत्यधिक शुल्क लगा रही हैं। निजी विमान सेवा कंपनियों ने अपने हवाई किराए में कई

गुना वृद्धि कर दी है। दिल्ली और बेंगलुरु के बीच आने-जाने की टिकट 58,000 रुपये से 75,000 रुपये के बीच है। बेंगलुरु चेन्नई का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है और अब यहां से भारी संख्या में हवाई यातायात आ रहा है। चूंकि 30 नवंबर से बाढ़ के कारण चेन्नई हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है, इसलिए यात्री बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने का विकल्प चुन रहे हैं। गो एयर पर दिल्ली से बेंगलुरु के बीच आने-जाने की फ़्लाइट टिकट की कीमत 34,000 रुपये से 42,000 रुपये के बीच है। जेट एयरवेज़ में, इसी फ़्लाइट टिकट की कीमत 46,000 रुपये से 75,000 रुपये के बीच है। इसी मार्ग पर स्पाइसजेट की उड़ान की कीमत 45,000 रुपये से 56,000 रुपये के बीच है।

यह इस बात का उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि पिछले महीने की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने विमान ईंधन पर वैट में पाँच प्रतिशत की वृद्धि की है। 17 नवंबर से प्रभावी हुई वृद्धि के बाद, एक किलोलीटर विमान ईंधन की कीमत अब 1795 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 44,846 रुपए प्रति किलोमीटर हो गई है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां वेतन वृद्धि 300 प्रतिशत से अधिक है। आपातकाल के दौरान विमान कंपनियों को यात्रियों से अधिक शुल्क नहीं लेना चाहिए। त्योहारों के दौरान कीमतों में बढ़ोतरी को हम समझ सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के दौरान यह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और विमान कंपनियों के ख़िलाफ़ आवश्यक कार्रवाई करे।

माननीय अध्यक्ष :श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी.के. बीजू, श्री जोस के. मणि, श्री एम.के. राघवन, एडवोकेट जॉइस जॉर्ज, श्री पी. करूणाकरन और श्री प्रेम दास राई को श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी जाती है।

श्री के.आर.पी. प्रभाकरन (तिरूनेलवेली): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे तिरूनेलवेली निर्वाचन-क्षेत्र में पनागुडी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित है। यह शहर एक व्यापारिक केंद्र बन गया है, जहां विभिन्न उद्योग स्थापित हैं, जैसे, के.के.एन.पी.पी., इसरो, अनेक टाइल कारखाने, पवन चक्कियां आदि। पनागुड़ी के प्रवेश

और निकास बिंदु पर अंडरपास की अनुपलब्धता के कारण, इस स्थान पर अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें अधिक मौतें भी होती हैं।

तिरुनेलवेली निर्वाचन-क्षेत्र में मदुरई-कन्याकुमारी चार लेन सड़क का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। कई जगहों पर सड़क का हिस्सा, बोर्ड आदि क्षतिग्रस्त हैं और कई वर्षों से इनकी मरम्मत नहीं की गई है जिससे बार-बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और जान-माल की हानि होती है।

इसलिए, मैं माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे पनागुड़ी के प्रवेश और निकास बिंदु पर तुरंत अंडरपास के निर्माण पर विचार करें ताकि और अधिक जान-माल की हानि से बचा जा सके। साथ ही, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, सड़कों को अच्छी स्थिति में बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा अपराह्न 2:03 बजे पुनः समवेत हुई।

[**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले[4*]

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय. सदस्यगण, नियम 377 के अंतर्गत मामले सदन के पटल पर रखे जायेंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के तहत मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सदन के पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ सदन के पटल पर सौंप सकते हैं। केवल उन मामलों को ही सदन के पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनका पाठ निर्धारित समय के भीतर सदन के पटल पर प्राप्त हो गया हो; शेष मामलों को निरस्त माना जाएगा।

… (*व्यवधान*)

[4*]सभा पटल पर रखा माना गया।

(एक) सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में कृषि विश्व विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सिवान (बिहार) में कृषि विद्यालय का सपना जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ राजेन्द्र प्रसाद जी ने देखा था, वह अभी भी अधूरा है। ज्ञात हो कि भारत रत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपने गॉव जिरादेई के किसानों को कृषि का गुर सिखाने के लिए सन 1955 में कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखा थी और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भारत की आत्मा गॉवों में बसती है और गॉव के लोग कृषि पर निर्भर है। इसलिए गृहस्थी को चलाने के लिए कृषि को सजोना बहुत आवश्यक है। सिवान के किसानों को नई तकनीक एवं विशेषज्ञों की सलाह मिले, इसके लिए सिवान में कृषि महाविद्यालय की स्थापना आवश्यक है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सिवान में कृषि महाविद्यालय की स्थापना कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं जिससे भारत रत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के देखे गए स्वप्न और किये हुए प्रयास सार्थक हो सकें।

(दो) राजस्थान में विश्व धरोहर स्थल, कुम्भलगढ़ में और अधिक पर्यटक सुविधाएं देने और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का प्रदर्शन किये जाने आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द): मैं विश्व विख्यात और अजेय दुर्ग कुंभलगढ़ जो पिछले दिनों विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया है, के विकास के संदर्भ में अपनी बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहता हूं। इस किले की प्राचीर ग्रेट वॉल ऑफ

चीन के बाद लम्बाई में दूसरे स्थान पर है और किला चारों ओर से सघन वन से घिरा होने के कारण देशी व विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। आज भी यहॉ बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों का आवागमन होता है। इस किले में महाराणा कुंभा द्वारा पूजित विशाल शिव मंदिर के साथ-साथ जैन व अन्य मंदिर स्थित हैं। ये मंदिर भी पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र है। इन मंदिरों के भी रखरखाव की समुचित आवश्यकता है। इस किले में सुविधाओं के साथ-साथ म्यूजियम व अन्य दर्शनीय सामग्री उपलब्ध करायी जाए तो बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को इस ओर आकर्षित किया जा सकता है जिससे रोजगार के नए आयाम खड़े होंगे।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हमारी इस ऐतिहासिक और आद्वितीय धरोहर को सही रूप में विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए तो पर्यटकों की दृष्टि में इसे ग्रेट वॉल ऑफ चीन के समकक्ष खड़ा कर पाने में सफलता हासिल की जा सकती है।

(तीन) सीकर संसदीय क्षेत्र राजस्थान के रसीदपुरा में प्याज के भंडारण की सुविधाएं स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सीकर में राजस्थान राज्य की सबसे उत्तम प्याज की पैदावार होती है। उत्पादन की दृष्टि से यह जिला पूरे प्रदेश में दूसरे नम्बर पर आता है। यहॉ की प्याज मीठी होती है। उसमें पानी की माँग आधिक होती है जिस कारण उचित भण्डारण न होने के कारण जल्दी खराब होने की समस्या रहती है। पिछले कई वर्षों से सीकर के रसीदपुरा में प्याज मण्डी का प्रस्ताव चल रहा है। मैं भी इस विषय को इस पवित्र सदन में उठा चुका हूं। प्याज के भण्डारण के बिना किसान को भारी मात्रा में आर्थिक हानि हो रही है। ऐसी परिस्थति में शीध्र सीकर के रसीदपुरा में प्रस्तावित प्याज मण्डी की स्थापना करायी जाए।

(चार) उत्तर प्रदेश में बरेली और सीतापुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 को चार लेन का बनाए जाने के निर्माण कार्य में तेजी लाए जान की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के बरेली-सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग न. 24 की ओर दिलाना चाहती हूं जिसको फोर लेन बनाने का निर्णय आज से 11 वर्ष पूर्व लिया गया था। इस पर निर्माण कार्य एक मार्च, 2011 में शुरू हुआ था। आज इस हाइवे की एक साइड खुदी हुई पड़ी है तथा दूसरी सिंगल साइड से राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा ट्रैफिक गुजारा जा रहा है। इस मार्ग पर सबसे ज्यादा मुसीबत करीब 156 किलोमीटर मार्ग को लेकर है जो बरेली से सीतापुर तक आता है। यहॉ 72 किलोमीटर हिस्से में सिर्फ टू लेन पर कोलतार की एक परत डल सकी है। अधूरे निर्माण से जहॉ यातायात की रफ्तार थमी है, वहीं मुसाफिरों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं.24, उत्तर प्रदेश के तीन जिलों बरेली, शाहजहॉपुर और सीतापुर को जोड़ता है और लखनऊ का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। दिल्ली से लोग बरेली तक सरपट पहुंच जाते हैं लेकिन यहॉ से आगे की यात्रा किसी पहाड़ से कम नहीं है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा से सिर्फ लोगों की दुश्वारी नहीं बढ़ रही है बल्कि उनकी जिंदगी पर भी बन आई है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक साल में 350 से आधिक हादसे हुए हैं। इन हादसों में 227 लोगों की जिन्दगी छिन गई है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोजाना जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ता है, जगह-जगह खुदी पड़ी सड़क, धूल का उड़ता गुबार सांस फुला रहा है। बीमार व्यक्ति का समय पर अस्पताल पहुँचना असंभव है। इस कंपनी का निर्माण कार्य बहुत सुस्त और घटिया है जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है।

अतः मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग संख्या 24 बरेली-सीतापुर के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने हेतु संबधित आधिकारियों को निर्देश देने की कृपा की जाए।

(पाँच) उत्तराखंड को एक विशेष सहायता पैकेज प्रदान किये जाने और 2013 की भयंकर आपदा से प्रभावित राज्य के लोगों के ऋण माफ किये जाने की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): वर्ष 2013 में केदारनाथ घाटी (उत्तराखण्ड) में भयंकर जल प्रलय आयी थी जिससे पूरी घाटी का सामाजिक, आर्थिक जीवन तहस-नहस हो गया था। इस भयावह त्रासदी में जहां दस हजार से आधिक लोगों ने अपने प्राण गवाएं, वहीं कई हजार लोग लापता हुए थे। इस जल प्रलय से प्रदेश को भयंकर आर्थिक क्षति हुई थी। केवल पर्यटन क्षेत्र में 12 हजार करोड रूपए की हानि का प्राक्कलन किया गया है।

आज भी वहॉ के लोग इस भयावह त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहॉ के बस, टैक्सी, होटल लॉज मालिकों से बैंकों द्वारा कर्ज वसूलने हेतु लोगों की सम्पत्ति को जब्त किया जा रहा है तथा उन्हें नोटिस देकर उनकी रही सही सम्पत्ति कुर्क की जा रही है। क्षेत्रीय लोग बैंको के इस अमानवीय व्यवहार से त्रस्त हैं। राज्य सरकार प्रभावितों की मदद करने की बजाय राहत निधि को खुर्द-बुर्द करने में जुटी है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शीध्र क्षेत्र के लिए राहत पैकेज दिया जाए, कर्जे माफ किये जाएं और राहत धनराशि की निगरानी को केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले।

(छह) देश के सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): देश की आधी आबादी कहलाने वाली महिलाओं की फैसले लेने में हिस्सेदारी एक चौथाई भी नहीं है। सरकार से लेकर संसद, विधान सभा या विधान परिषदों, माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा हों या बैंक, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैसले लेने वाले उच्च पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी उनकी आबादी की तुलना में बहुत कम है। केन्द्रीय मंत्री जीपरिषद में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 17 प्रतिशत है। लोक सभा में 11 प्रतिशत सदस्य ही महिलाएं हैं। दूसरी और राज्यों की विधान सभाओं और विधान परिषदों में महिलाओं की हिस्सेदारी और भी कम मात्र 9 प्रतिशत ही है।

देश के उच्च न्यायालयों में महिला जजों की संख्या 11 प्रतिशत है। माननीय उच्चतम न्यायालय में केवल एक महिला जज है। देश के आठ माननीय उच्च न्यायालयों में एक भी महिला जज नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 14 प्रतिशत और बैंकों में महिला आधिकारी केवल 20 प्रतिशत ही है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधत्व बहुत ही कम है। केन्द्र सरकार ने केवल केन्द्रीय सुरक्षा बलों में ही 33 प्रतिशत महिलाओं को हिस्सेदारी दी है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी देकर देश की इस आधी आबादी को गौरवान्वित किया जाए।

(सात) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक हवाई अड्डा स्थापित किये जाने की आवश्यकता।

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद): इलाहाबाद में बमरौली में हवाई अड्डा है परन्तु वायु सेना के नियंत्रण में होने के कारण यहॉ रात में उड़ान नहीं हो पाती। विगत कई वर्षों से इलाहाबाद में नया हवाई अड्डा बनाये जाने की योजना की घोषणा हुई है परन्तु उसके निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हो पायी है। इलाहाबाद एक शैक्षणिक, धर्मिक व आति प्राचीन नगरों में से है। ब्रिटिश शासन काल में इलाहाबाद राजधानी भी इस हेतु चयनित हुई थी। इरादतगंज में उस समय हवाई पट्टी की निर्माण हुआ था। इस स्थान से संगम, माननीय उच्च न्यायालय समीप हैं तथा तीन पावर कारपोरेशन भी यमुनापार के इसी क्षेत्र में है एवं भारत पैट्रोलियम की रिफायनरी भी यहॉ शीघ्र प्रारम्भ होने वाली है। मध्य प्रदेश का रीवा तथा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चित्रकूट नगर एवं मिर्जापुर जनपद भी यहॉ से नजदीक है। यहॉ नया हवाई अड्डा बनाया जाना उचित एवं आवश्यक है। हवाई पट्टी के पास अभी करीब 1300 एकड़ भूमि अभी खाली भी पड़ी है।

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इलाहाबाद में नया हवाई अड्डा बनाने की दिशा में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें तथा इलाहाबाद को कोलकाता मुम्बई, अहमदाबाद, बंगलूरू तथा देहरादून आदि स्थानों के लिए हवाई मार्ग से जाड़ा जाए।

(आठ) सौ तक की आबादी वाली ढाणियों/मंजरों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किये जाने और इस स्कीम के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री सी. आर. चौधरी (नागौर): मैं अपने राज्य से संबंधित मामला माननीय वित्त मंत्री जी एवं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह सवरविदित है कि "प्रधानमंत्री जी ग्रामीण सड़क योजना " पूर्व प्रधानमंत्री जी सम्माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रारम्भ हुई थी। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इस योजना के तहत सभी ग्राम प्रंचायतों एवं राजस्व ग्रामों एवं 350 की आबादी के ऊपर की ढ़ाणियों (आबादी) को पक्की डामर की सड़क से जोड़ा गया है।

इस योजना के तहत अभी काफी कार्य होने हैं क्योंकि आज छोटी से छोटी आबादी वाली बस्ती के निवासी भी कनेक्टीविटी चाहते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि 100 तक की आबादी वाली ढ़ाणियों/मंजरों को भी पक्की सड़क से इस शानदार योजना के मार्फत जोड़ा जाए। साथ ही इस योजना के तहत आधिक बजट आवंटित किया जाए। बजट के अभाव में राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। संभवतः भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत बजट का आवंटन इस आशा में कम रखा गया था कि राज्यों की हिस्सा धनराशि बढ़ाई गई है परन्तु राज्य अपनी वित्तीय समस्याओं से परेशान है एवं उनके सामने अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र भी हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस शानदार योजना के लिए राज्य की मांग के अनुरूप बजट दिया जाए ताकि राज्य में हर गॉव एवं ढ़ाणी पक्की सड़को से जुड़ सकें। इससे कृषि उत्पाद एवं दुग्ध उत्पाद बढ़ाने एवं विकसित राज्य बनने में मदद मिलेगी।

(नौ) क्रमशः बिहार और झारखंड में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड का प्रभागी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): पटना (बिहार) में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसका प्रभागीय कार्यालय रॉची (झारखण्ड) में अवस्थित है। क्षेत्रीय एवं प्रभागीय कार्यालयों के दो राज्यों में अवस्थित होने की वजह से कूप खुदाई, अन्वेषणात्मक कार्यों यथा पानी में आसेरनिक एवं फ्लोराइड तत्वों से बिहार एवं झारखण्ड के बहुतायत जिले प्रभावित हैं, जिसके निदान हेतु अपेक्षित काम दोनों राज्यों को नहीं मिल पा रहा है। देश के प्रायः सभी राज्यों में क्षेत्रीय एवं प्रभागीय दोनों ही कार्यालय अवस्थित हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र बक्सर (बिहार) आसेरनिक एवं फ्लोराइड दोनों तत्वों से प्रभावित है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का "प्रभागीय कार्यालय" बक्सर, पटना, अथवा भागलपुर (बिहार) में तथा रॉची (झारखण्ड) में "क्षेत्रीय कार्यालय" खोलने हेतु यथोचित कार्रवाई की जाए ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जी सिंचाई योजना, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण को नई दिशा प्रदान की जा सके।

(दस) अनूपगढ़-बीकानेर वाया छत्तरगढ़ रेल लाइन परियोजना को अगले वर्ष के रेल बजट में शामिल किये जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में अनपूगढ़ से बीकानेर नई रेल लाइन बिछाने की मॉग वर्षों से हो रही है। इसके लिए सर्वेक्षण भी पहले हो चुका था लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं हुई है। अनूपगढ़-बीकानेर तक की रेल लाइन भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़ी हुई होने के कारण भारतीय सेना के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारतीय सेना ने भी अपनी प्राथमिकता से अपने बजट से जो नई रेल लाइन के प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय को सौंपे हैं, उनमें अनूपगढ़-बीकानेर नई रेल लाइन का प्रोजेक्ट भी सम्मिलित है।

अतः मेरा माननीय रक्षा एवं रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि अनूपगढ़-बीकानेर वाया छतरगढ़ रेल लाइन जिसकी सहमति प्राथमिक तौर पर भारतीय सेना ने रेल मंत्रालय को दे रखी है, उसकी घोषणा आगामी रेल बजट में की जाए जिससे इस क्षेत्र के निवासियों और सेना की आवश्यकता को देखते हुए रेल की सुविधा का लाभ उनको प्राप्त हो सके और सामरिक दृष्टि से भारतीय रेल की आधारभूत संरचना सुदृढ़ हो सके।

(ग्यारह) मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक महाराजा टोडरमल के सम्मान में एक स्मृति डाक टिकट जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): भू-राजस्व के जनक महाराजा टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के कस्बा लहरपुर में हुआ था। वह राजा अकबर के वित्त मंत्री जी तथा नवरत्नों में से एक थे। वित्त मंत्री जी रहते हुए उन्होंने भू-राजस्व आभिलेखों की संरचना की थी। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने " चाय पर चर्चा कार्यक्रम " के दौरान लोगों द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब देते समय सीतापुर के समीप के कस्बा-केसरीगंज के एक व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा था कि महाराजा टोडरमल के बारे में आप क्या जानते हैं? तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया था कि महाराजा टोडरमल उत्तर प्रदेश के जिला-सीतापुर के कस्बा लहरपुर के निवासी थे और उन्होंने भू-राजस्व आभिलेखों की संरचना की थी। उनके द्वारा की गयी भू-आभिलेखों की संरचना को आधार मानकर अभी भी पूरे देश में संचालित किया जाता है। ऐसे व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को पूरा देश जाने, इस हेतु मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महाराजा टोडरमल के नाम से डाक टिकट जारी करने की कृपा की जाए।

(बारह) मध्य प्रदेश के धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फसल में लगने वाले वायरस के कारण मिर्च और टमाटर की फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को मुआवज़ा प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती सवित्री ठाकुर (धार): मेरे संसदीय क्षेत्र धार में मालवा और निमाड़ का बड़ा क्षेत्र आता है। इस साल यहॉ वायरस ने और निमाड़ का बड़ा क्षेत्र आता है। इस साल यहॉ वायरस ने मिर्च की 12 हजार हेक्टयर और टमाटर की लगभग 7 हजार हेक्टेयर फसल को पूर्णतया बर्बाद कर दिया है। राजस्व विभाग द्वारा किसान भाइयों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वायरस द्वारा हुए नुकसान का राजस्व पुस्तिका में कोई प्रावधान नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान का राजस्व पुस्तिका में कोई प्रावधान नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान ने किसान भाइयों को कर्ज में डुबो दिया है जिससे किसान अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वायरस द्वारा हुए नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा दिया जाए और भविष्य के लिए भी इस प्रकार हुए नुकसान को राजस्व पुस्तिका में शामिल करने का प्रावधान किया जाए।

(तेरह) चित्रकूट धाम क्षेत्र में आने वाले तीर्थ यात्रियों को लाने और ले जाने वाले वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत चित्रकूट धाम आता है जो देश का प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है। यह तीर्थ स्थल प्रदेश व उत्तर प्रदेश दोनों की सीमाओं में बंटा है। आधे तीर्थस्थल व पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश की सीमाओं में हैं और आधे केवल मध्य प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत हैं जो भी यात्री वाहनों द्वारा आते हैं वहॉ उन्हें उनकी प्रदेश की सीमा खत्म हो जाने की बात कहकर रोक दिया जाता है। फलस्वरूप तीर्थयात्रियों को बा दूसरे प्रान्त की सीमा के अन्दर स्थित तीर्थों व पर्यटन स्थलों तक पहुँचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए भी दोनों प्रान्तों की सीमा का हवाला दिया जाता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूरे चित्रकूट धाम क्षेत्र को आवागमन के लिए फ्री जोन घोषित कर दोनों राज्य सरकारों द्वारा एक संयुक्त कार्य बल इस हेतु नियुक्त किया जाए।

(चौदह) केरल के कोझिकोड में प्रस्तावित लाइट मेट्रो परियोजना के लिए निधियां जारी किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड): कोझिकोड एक तेज़ी से विकसित हो रहा द्वितीय श्रेणी का शहर है, जहां कई अस्पताल और शैक्षणिक केंद्र हैं। इस रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 60,000 से अधिक यात्री आते हैं तथा यह सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करता है। हालांकि, शहर के भीतर उचित आधुनिक परिवहन सुविधाओं का बहुत अभाव है।

पहले मोनो रेल सुविधा के लिए प्रस्ताव किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर लाइट मेट्रो योजना कर दिया गया। हालांकि, कुछ चर्चा की गई है, लेकिन शीघ्र कार्यान्वयन हेतु प्रगति अभी भी लंबित है।

मैं समझता हूं कि केरल की सरकार पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुकी है और केंद्र सरकार को प्रस्ताव के लिए अपना 20% हिस्सा प्रदान करना आवश्यक है।

मैं इस अवसर पर माननीय शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया आवश्यक धनराशि जारी करें ताकि कोझिकोड के लिए लाइट मेट्रो परियोजना एक वास्तविकता बन सके।

(पंद्रह) तमिलनाडु में तूतीकोरिन हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता।

श्री जे. जे. टी. नटर्जी (थूथुकुडी): तूतीकोरन एक व्यस्त और उत्पादक बंदरगाह शहर है जो तमिलनाडु में तीव्र औद्योगिक प्रगति के लिए जाना जाता है। एक नए हवाई अड्डे के टर्मिनल का निर्माण करना और इसे मालदीव, श्रीलंका, सुदूर पूर्व और मध्य पूर्व के देशों के लिए लगातार हवाई सेवाओं के साथ एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करना और एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांस-शिपमेंट एयर कार्गो टर्मिनल के रूप में तूतीकोरन के विभिन्न संगठनों की एक महत्वपूर्ण माँग है।

तूतीकोरन स्थित वर्तमान हवाई अड्डे को विकसित करने की आवश्यकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपने विस्तार और भविष्य के विकास के लिए पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए। यह रनवे बोइंग और एयरबस सेवाओं के संचालन के लिए अपर्याप्त है और बड़े अंतरराष्ट्रीय विमानों को समायोजित करने के लिए इसके विस्तार की आवश्यकता है। परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए एक उन्नत उपग्रह आधारित स्वचालित निर्भर निगरानी प्रसारण प्रणाली (ए.डी.एस.-बी) डॉपलर वी.ओ.आर. प्रणाली की आवश्यकता है। नाइट लैंडिंग सुविधाओं के साथ इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम (आई.एल.एस.) स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, निजी ऑपरेटरों और एयर इंडिया के लिए फिर से ईंधन भरने की सुविधा के साथ तूतीकोरन से सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(सोलह) तमिलनाडु में मइलादुथरई में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता।

श्री आर. के. भारती मोहन (मइलादुथुरई): मइलादुथुरई तमिलनाडु का आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा जिला है। इस जिले के बच्चे केंद्रीय विद्यालय (के.वी.) में पढ़ने से वंचित रह गए हैं। इसलिए, मैं माननीय मानव संसाधन और विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र तमिलनाडु के मइलादुथरई में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। यह भी अनुरोध है कि तमिलनाडु में केंद्रीय विद्यालय के पाठ्यक्रम में 'तमिल' को एक विषय के रूप में पेश किया जाए तथा मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में 'तमिल' को शिक्षण का माध्यम बनाए।

(सत्रह) नए नेपाली संविधान के विरोध में मधेशी और थारू आंदोलन के कारण नेपाल में अशांति से उत्पन्न स्थिति के बारे में

प्रो. सौगत राय (दमदम): भारत-नेपाल सीमा पर स्थिति चिंताजनक है, जो पाँच भारतीय राज्यों, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कवर करती है। नेपाल ने 20 सितंबर, 2015 को नया संविधान लागू किया। इस अधिसूचना का दक्षिणी नेपाल के तराई क्षेत्र के मधेशियों और थारूओं सहित कुछ जातीय समूहों ने विरोध किया। सितंबर से ही इन समूहों के विरोध और अशांति के कारण भारत-नेपाल सीमा पर विभिन्न प्रवेश-निकास मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए थे। इससे नेपाल में ईंधन, खाद्यान्न और दवाओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत सरकार ने इस विरोध प्रदर्शन पर चिंता जताई है। सीमा पार रहने वाले भारत के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रखने वाले मधेसियों के विरोध के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।

(1) राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कमज़ोर होना;

(2) नागरिकता के संदर्भ में भेदभाव; और

(3) प्रांतीय सीमाएं।

भारत ने नवंबर 2015 में, यू.एन.एच.आर.सी. से सिफारिश की थी कि नेपाल सरकार को संविधान निर्माण प्रक्रिया में सभी वर्गों को शामिल करना चाहिए। हमें अपने कूटनीतिक प्रयास तेज़ करने होंगे ताकि नेपाल सरकार सहमत हो और शांति बहाल हो।

(अठारह) भारतीय रेल में कनिष्ठ अभियंताओं की स्थिति में सुधार किये जाने की आवश्यकता

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): जूनियर इंजीनियर भारतीय रेलवे के गुमनाम नायक हैं। यदि हर दिन एक करोड़ लोग सुरक्षित रूप से रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसा इन इंजीनियरों के अथक परिश्रम के कारण है, चाहे वे ट्रैक की देखभाल करने वाले सिविल इंजीनियर हों, सिग्नलिंग और दूरसंचार की देखभाल करने वाले सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर हों, कोच, वैगन और डीज़ल इंजन की देखभाल करने वाले मैकेनिकल इंजीनियर हों, या इलेक्ट्रिकल इंजन, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइनों, कोचों की लाइटिंग और ए.सी. की देखभाल करने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हों। किसी भी समय, किसी की भी लापरवाही आपदा का कारण बन सकती है।

हालांकि, वर्षों से, उनके वेतन पैकेज कम कर दिए गए हैं और रेलवे बिरादरी के भीतर सामाजिक स्थिति कम हो गई है।

यह बहुत दुख की बात है कि रेलवे में डिप्लोमा इंजीनियर को जूनियर इंजीनियर के पद पर और डिग्री इंजीनियर को सीनियर सेक्शन असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर भर्ती किया जाता है। डिप्लोमा, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने के बाद ही असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं। जूनियर इंजीनियर को एस.एस.ई. तक पहुंचने के लिए 5-10 वर्ष लगते हैं और सहायक इंजीनियर बनने की कोई गारंटी नहीं है।

अन्य विभागों में केवल डिप्लोमा इंजीनियरों को जूनियर इंजीनियर के रूप में लिया जाता है और 5 वर्षों में वे सहायक इंजीनियर बन जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा, छठे वेतन आयोग में विसंगति के कारण, जूनियर इंजीनियर का वेतन नर्सों, स्टेशन मास्टरों के बराबर रखा गया था, जो कम योग्यता रखते हैं और तकनीकी रूप से योग्य नहीं हैं। स्टेशन मास्टर को अगली पदोन्नति स्टेशन प्रबंधक (राजपत्रित) के रूप में मिलती है।

इसलिए, सातवें वेतन आयोग की प्रतिवेदन के कार्यान्वयन से पहले वेतन विसंगति को तुरंत सुलझाया जाना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर तथा सीनियर इंजीनियर से पदोन्नत सहायक अभियंताओं को ग्रुप 'बी' अधिकारी माना जाएगा।

(उन्नीस) हमारी फार्मास्यूटीकल ड्रग नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता।

श्री राहुल शेवाले (मुंबई दक्षिण मध्य): हाल ही में सरकार ने आयात और स्वदेशी रूप से इसके निर्माण सहित थोक दवा और फार्मास्यूटीकल नीति की समीक्षा की है। हम फार्मास्यूटीकल क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली अधिकांश दवाओं के लिए पूरी तरह चीन (चीन) पर निर्भर हैं। भारत ने पिछले चार वर्षों में चीन से 38,000 करोड़ रुपये से अधिक की थोक दवाएं और सक्रिय फार्मास्युटीकल सामग्री (ए.पी.आई.) का आयात किया है। इनमें से लगभग 80 से 90% आवश्यक दवाएं हैं और केवल चीन से आयात की जाती हैं। आयातित अधिकांश ए.पी.आई. और थोक दवाएं घटिया स्तर की पाई गई हैं। इस मुद्दे को दोनों देशों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठकों में सुलझाया जाना है। दोनों देशों के बीच आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों का कथित गठजोड़ इस व्यापार में काम कर रहा है। सरकार को फार्मा क्षेत्र में आयातकों और व्यापारिक घरानों के एकाधिकार पर अंकुश लगाना चाहिए। चीनी सरकार भी इन व्यापारिक घरानों का समर्थन कर रही है और यू.एस.एफ.डी.ए. और ई.डी.क्यू.एम. द्वारा निरीक्षण में देरी करने के लिए यू.एस.एफ.डी.ए. निरीक्षकों के वीज़ा पर प्रतिबंध लगा रही है। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार को भारत को आपूर्ति की जाने वाली ए.पी.आई. और दवाओं के आवधिक निरीक्षण के लिए भारतीय विशेषज्ञों की टीम चीन (चीन) भेजनी चाहिए। भारत के एन.एस.ए. श्री अजीत डोभाल ने ए.पी.आई. के

लिए चीन पर भारत की लगभग पूर्ण निर्भरता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम बताया है। दूसरे शब्दों में, चीन को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे लोगों को इतना कमज़ोर बनाना है कि वे चीन का विरोध करने में सक्षम न हो सकें। चीन (चीन) की योजना ए.पी.आई. की कम और घटिया आपूर्ति के साथ भारत का दम घुटने की है। एक क्षेत्र जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी की स्वप्न परियोजना 'मेक इन इंडिया' के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता है, वह है फार्मास्युटिकल उद्योग, जो हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य से संबंधित है।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि फार्मास्यूटिकल एवं औषध नीति की समीक्षा करने तथा ए.पी.आई. के क्षेत्र में स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास औषध क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं।

(बीस) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कपास उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिए जाने की आवश्यकता।

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले): भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) का उद्देश्य कपास किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके उनकी मदद करना है, जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। लेकिन, हो तो इसका उल्टा ही रहा है।

इस मौसम में 77 लाख गांठ कपास का उत्पादन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुआ, लेकिन सी.सी.आई. 'अधिक नमी सामग्री' के आधार पर खरीद से बेच तक रहा है, जबकि अधिक नमी पर खरीद करने का निर्देश है।

सी.सी.आई. पिछले वर्ष की 87 लाख गांठों की तुलना में केवल 20-25 लाख गांठें ही खरीद रहा है, जिससे किसानों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है, जो मजबूरी में अपनी उपज बेच रहे हैं और यदि उन्हें उनकी लागत भी नहीं मिलती है, तो वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं।

सीसीआई को आंध्र प्रदेश में 43 केंद्र खोलने के लिए कहा गया था, लेकिन केवल 25 केंद्र खोले गए थे। मैं शेष केंद्रों को तुरंत खोलने का अनुरोध करता हूं।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र में शुरू की गई पायलट परियोजना को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी लागू करें, जिसमें किसान अपनी उपज सीधे व्यापारियों को बेचते हैं और यदि धनराशि एम.एस.पी. से कम है, तो सी.सी.आई. किसान बैंक खाते में अंतर की धनराशि जमा करेगा। इससे भ्रष्टाचार कम होगा। किसानों को भुगतान उनके खातों में ऑनलाइन किया जाना चाहिए और सीसीआई को उन किसानों से सीधे खरीददारी करनी चाहिए जिनके पास पट्टादार पासबुक/पहचान पत्र हैं।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, क्या मुझे नियम 377 के तहत एक छोटा उल्लेख करने की अनुमति दी जा सकती है? मेरा नाम वहां है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: वे अगले विषय पर चर्चा करना चाहते हैं।

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: तत्पश्चात वे इस पर विचार करेंगे। मेरा एक छोटा-सा मामला है। आप कभी-कभी अनुमति दे सकते हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : यह सब ठीक है। कभी-कभी हम अनुमति दे रहे हैं लेकिन मैंने अब मामलों को सदन के पटल रखने की घोषणा की है।

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: अगली बार जब आप पीठासीन होंगे, तो हम अपने मुद्दे उठाने की उम्मीद कर सकते हैं। … (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैं आपके ध्यान में कुछ लाना चाहता हूं। सरकार को इसमें कितना समय लगेगा और उन्हें कितना समय चाहिए? … (*व्यवधान*) 282 सदस्यों और उनके सहयोगियों के साथ होने के बावजूद ऐसा हो रहा है। … (*व्यवधान*)

महोदय, एन.डी.ए. में कुल मिलाकर 352 या 353 सदस्य हैं। इसके बावजूद...

माननीय उपाध्यक्ष : कभी-कभी ऐसा होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कभी-कभी नहीं, शुक्रवार को भी हमने सहयोग किया। यह आपको पता है ।

माननीय उपाध्यक्ष : सदन में कोरम है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सदन में कोरम पूरा होने में पाँच मिनट लगे.... (*व्यवधान*) यह अनुचित है। ... (*व्यवधान*)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): श्री खड़गे ने एक बहुत ही वैध मुद्दा उठाया है। यह हमेशा वांछनीय होता है कि संसद के अधिकतम सदस्यों को सदन में उपस्थित होना चाहिए। हम हर प्रयास करते हैं, चूंकि हम लोक सभा से हैं, इसलिए कि सदस्य आते हैं, लेकिन ऐसा भोजनावकाश (मध्याह्न भोजन) के बाद होता है। हमारे पास 282 सदस्य हैं, जो काफी बड़ी संख्या है, लेकिन कांग्रेस के पास भी 45 सदस्य हैं और केवल चार सदस्य ही उपस्थित हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि उनके सदस्यों की भागीदारी भी हो।

अपराह्न 02.06 बजे

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे की स्थिति

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसा कि सदन ने सहमति व्यक्त की है, अब हम देश के कई भागों में सूखे की स्थिति के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा शुरू कर सकते हैं। चर्चा श्री शंकर प्रसाद दत्ता और श्री जनार्दन मिश्र के नामों से स्वीकार की गई है। श्री पी. करूणाकरन ने श्री शंकर प्रसाद दत्ता की ओर से, माननीय अध्यक्ष (लोक सभा) से अनुरोध किया है कि वे श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया को, उनकी ओर से चर्चा प्रारम्भ करना करने की अनुमति दें। यदि सभा सहमत हो जाता है, तो मैं चर्चा शुरू करने के लिए श्री सिंधिया जी को बुला सकता हूं।

कई माननीय सदस्य : जी ,महोदय

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्व माधवराव सिंधिया (गुना): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राष्ट्र की नींव के साथ जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। आज देश का किसान संकट की स्थिति से गुजर रहा है, किसान चक्रव्यूह का सामना कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करते हैं, हमारा देश समृद्धशाली देश जरूर है लेकिन उस समृद्धि को जानने के लिए इतिहास को समझना होगा जब तक हम इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का भविष्य गांवों में बसता है, उसी सोच और विचारधारा के साथ इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति इस देश में लाई। प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी दूध की क्रांति इस देश में लाए, उसी के आधार पर आज हमारा किसान समृद्ध बन चुका है। वर्ष 2008-09 में जब विश्व में आर्थिक संकट का वातावरण पैदा हो गया था, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश छिन्न-भिन्न हो चुका

था लेकिन उस समय भारत पर कोई आंच नहीं आई। आर्थिक मोर्चे पर हमारा देश 8% की दर से वृद्धि कर रहा था, उसका एकमात्र कारण यही था कि हमारा ग्रामीण अंचल मजबूत था, हमारे किसान मजबूत थे। इस देश में जो इंटरनल कन्जप्शन हो पाई, वह ग्रामीण अंचल की साख और ग्रामीण किसान की मजबूती के कारण ही इस देश पर कोई आंच नहीं आई। वर्ष 2004 में यूपीए सरकार सत्ता में आई, हमारा मिशन किसानों को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने का था, हमने कई कदम उठाए, लेकिन केवल चार कदमों का उल्लेख करना चाहता हूं, समर्थन मूल्य में वृद्धि करना, ऋण माफी योजना लागू करना और भारत निर्माण की योजना को लागू करना और ग्रामीण रोजगार योजना को लागू किया था। हमें इस देश का नागरिक होने का गर्व है कि आज भारत विश्व में दूध के उत्पादकों में पहले नम्बर पर है। देश में 100 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है, आज भारत में 150 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन होता है और विश्व में द्वितीय स्थान पर है, 255 मिलियन टन अनाज का उत्पादन होता है, इसमें हमारा देश तीसरे नम्बर पर है, यह सवरविदित है कि अगर कोई देश की रीढ़ है तो वह किसान है। अगर हम पिछले 18 महीनों का इतिहास देखते हैं तो जहां एक तरफ किसान ओलावृष्टि, आतिवृष्टि और सूखे का सामना कर रहा है वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान की कमर टूट रही है। सरकार का दायित्व ही नहीं बल्कि यह धर्म है कि वह किसान की रक्षा करे, किसान को समृद्धशाली बनाए, किसान को सशक्त बनाए, लेकिन आज सरकार धर्म से अधर्म की तरफ जा रही है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अध्यक्ष महोदया और उपाध्यक्ष जी के संरक्षण में आज सदन में चाय पर चर्चा नहीं हो रही है, गाय पर चर्चा नहीं हो रही है बल्कि सूखे पर चर्चा हो रही है। मैं जब कुछ कहता हूं तो निशीकांत जी को बड़ी उत्तेजना होती है इससे उनमें भी स्फूर्ति आ जाती है और वे भी समृद्ध हो जाते हैं। इनर्जी इधर से उधर जा रही है, यह खुशी की बात है। इस तरफ जो 45 बचे हैं वे 280 का सामना कर लेते हैं, यही प्रजातंत्र का कमाल है, यहां एक आवाज हो और वहां 280 आवाज हो, उसका मुकाबला किया जा सकता है। यह शक्ति हमें संविधान ने दी है। आज देश का 50 प्रतिशत क्षेत्र अल्पवर्षा के कारण सूखे की चपेट में है, 18 राज्य इससे प्रभावित हो चुके हैं, 640 जिलों में से 302 जिले में इस वर्ष 20% कम वर्षा हुई है। अगर देशव्यापी आंकड़े हम देखें तो इस वर्ष 14% कम वर्षा हुई है, पिछले वर्ष 12% कम वर्षा हुई थी। विभिन्न राज्यों ने 180 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है

जबकि वास्तव में इनकी संख्या कहीं कहीं ज्यादा है। हमारे कृषि मंत्री जी महोदय ने सदन के समक्ष आंकड़े रखे हैं, इन आंकड़ों के अनुसार करीब 190 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ में 31,00,000 हेक्टेयर, कर्नाटक में 33,00,000 लाख हेक्टेयर, निशिकान्त जी, लाख और हजार में अंतर को समझिए, यही आपकी कठिनाई है। यदि आप इस अंतर को समझते तो आज किसान की यह स्थिति नहीं होती। आप लाख को हजार कर देते हैं और हजार का एक-दो कर देते हैं। वह आंकड़े भी मैं आपके सामने रखूंगा, आप कृपा करके सुन लीजिए। ...(व्यवधान) मैंने 190 लाख हैक्टेयर, कहा था, यह आंकड़ा आपके कृषि मंत्री जी ने स्वयं रखा है। यदि आप उनसे सहमत नहीं हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए। मैं उन्हीं के द्वारा रखे गए आंकड़ें को पेश कर रहा हूं। अगर इसमें विरोधाभास है तो आप उनसे चर्चा कर लीजिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वैसे आप विरोधाभास करते ही रहते हैं। आप उसी तारतम्य को आगे चलाते रहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे कृषि मंत्री जी महोदय ने आंकडे पेश किये है कि 190 लाख हैक्टेयर भूमि सूखे से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में 31 लाख हैक्टेयर, कर्नाटक में 33 लाख हैक्टेयर, मध्य प्रदेश में 28 लाख हैक्टेयर, महाराष्ट्र में 53 लाख हैक्टेयर, ओडिशा में 9 लाख हैक्टेयर, तेलंगाना में 15 लाख हैक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 22 लाख हैक्टेयर भूमि है। अगर इस 190 लाख हैक्टेयर में बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित भूमि को भी सम्मिलित करें, तो हमें इन आंकडों में 32 लाख हैक्टेयर भूमि आतिरिक्त सम्मिलित करनी पड़ेगी, मतलब पूरे देश के स्तर पर 222 लाख हैक्टेयर भूमि बाढ़, ओला और सूखे से प्रभावित हो चुकी है। अगर इन आंकडों को देखा जाये तो पूरे देश में 1 हजार 40 लाख हैक्टेयर खरीफ फसल का रकबा है, जिसमें से 20 प्रतिशत जमीन इन तीनों प्राकृतिक विपदाओं से आज प्रभावित हो चुकी है। अब समाधान क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय, सात राज्यों ने केन्द्र सरकार के सामने चीख-चीख कर 25 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मांग रखी है। छत्तीसगढ़ ने 6090 करोड़ रुपये, कर्नाटक ने 3831 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश ने 4822 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र ने 4 हजार करोड़ रुपये, ओडिशा ने 1680 करोड़ रुपये, तेलंगाना ने 1550 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश ने 2060 करोड़ रुपये की मांग केन्द्र सरकार के समक्ष रखी है। केन्द्र

सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। सरकार असहिष्णुता पर चुप्पी, ओलावृष्टि पर चुप्पी, आतिवृष्टि पर चुप्पी, सूखे पर चुप्पी साधे हुए है। वास्तविकता यह है कि ...(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी (श्री राधा मोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से उत्तर दूंगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार या मैं चुप नहीं हूं। यह मैं तत्काल आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहले कर्नाटक ने हमें मेमोरेंडम भेजा। हमारी टीम वहां गयी और हमने उन्हें 1500 करोड़ रुपये की सहायता भेजी। आधिकतर राज्यों से हमारी टीम दौरा करके आयी है। ...(व्यवधान)

मैं विस्तार से उत्तर दूंगा। ...(व्यवधान) लेकिन अभी आप सत्ता में नहीं हैं, सोये हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सोये हुए हैं। ...(व्यवधान) हम जागे हुए हैं। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेज़ी में एक कहावत है-- 'कप और ओंठ के बीच कई बार फिसलन होती है' इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ निश्चित या आशाजनक लगती है, तब भी अक्सर अप्रत्याशित बाधाएं या असफलताएं आती हैं, जो सफलता प्राप्त करने से पहले हो सकती हैं।' यह सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है। ...(व्यवधान) देश की जनता आज क्रियान्वयन चाहती है। ...(व्यवधान) यह सरकार घोषणाओं का पुलिंदा है। लेकिन यह सरकार क्रियान्वयन क्षमता में शून्य बटा शून्य हो चुकी है और उसका भी मैं उल्लेख करने वाला हूं। ...(व्यवधान) मंत्री जी कर्नाटक के बारे में छाती तानकर जो कह रहे हैं, तो उसकी 40 प्रतिशत धनराशि भी इन्होंने नहीं दी। इन्होंने जो नियम भी बनाये हैं, उनका भी मैं उल्लेख करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सूखे के पूर्व असमय वर्षा के आधार पर मार्च-अप्रैल में भी हमारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। गेहूं, चावल और कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि न आने के आधार पर किसान वैसे ही परेशान था। अब सूखे ने उस किसान की कमर ही तोड़ दी। अगर हम इस बार रबी की फसल की बुआई के आंकडे देखें, तो रकबा में जो बुआई हुई है, उसमें बहुत कमी आ चुकी है। गेहूं के क्षेत्र में 20 प्रतिशत, दाल के क्षेत्र में 12 प्रतिशत की कमी और दलहन के क्षेत्र में करीब 13 प्रतिशत की कमी आयी है। देश में खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जहां एक तरफ किसान सूखे, ओलावृष्टि और आतिवृष्टि का सामना कर रहा है,

वहीं दूसरी तरफ महंगाई की दूसरी मार किसान के ऊपर पड़ रही है। दाल का दाम 200 रुपए देख लीजिए, प्याज और टमाटर का दाम देख लीजिए। हिंदी में कहावत है - घर की मुर्गी दाल बराबर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय देश की जनता को कहा था - न खाऊंगा और न खाने दूंगा। आज वही स्थित पूरे देश में निर्मित हो चुकी है। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक समर्थन मूल्य में वृद्धि आई है। कांग्रेस सरकार भारी वृद्धि लेकर आई थी और इसके आधार पर पैदावार भी बढ़ी थी। जब पैदावार बढ़ी तो गरीबी उन्मूलन पर भी इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और कृषि क्षेत्र में मजूदर की विकास दर में बढ़ोतरी आई थी। लेकिन पिछले 18 महीने में क्या स्थिति हुई? अगर हम कृषि विकास दर को देखें तो हमने सरकार से निकलने के समय विरासत में कृषि की विकास की दर 4.7 प्रतिशत छोड़ी थी। 18 महीने में कृषि की विकास दर पिछले वर्ष 70 प्रतिशत गिर चुकी है, 1.1 प्रतिशत तक आ गई। क्या यह सरकार के देश की जनता के लिए अच्छे दिन हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बातें की जाती हैं कि हम देश में डबल डिजिट ग्रोथ लेकर आएंगे। अगर हम डबल डिजिट ग्रोथ चाहते हैं तो वह तभी संभव हो पाएगा, जब कृषि की विकास दर कम से कम 4 प्रतिशत होगी। इसके बिना यह संभव नहीं हो पाएगा।

महोदय, अब हम ग्रामीण क्षेत्र को देखें, वर्ष 2014 में ग्रामीण मजदूरी वृद्धि दर 20 प्रतिशत थी। 15 महीने में, सितंबर 2015 का आंकड़ा है कि कृषि मजदूरी की विकास दर 20 प्रतिशत से 3.3 प्रतिशत हो गई है। अब कृषि के निर्यात को देखें, वर्ष 2004 में कृषि का निर्यात 7 बिलियन डॉलर था। दस साल में 7 बिलियन डॉलर से हमने निर्यात को बढ़ाकर 42 बिलियन डॉलर यानी छः गुना बढ़ा कर दिया। पिछले 15 महीने में कृषि निर्यात में गेहूं, चावल और मक्का फसलों के उत्पादन में 29 प्रतिशत गिरावट आ चुकी है यानी 145 लाख टन की गिरावट केवल इन तीन फसलों के निर्यात के क्षेत्र में हुई है। आज समय की क्या मांग है, समय की मांग है कि हम किसान का ढांढस बढ़ाएं, किसान के साथ संकट के समय खड़े रहें। इसके लिए हमें नई योजनाएं लानी होंगी, नई नीति लानी होगी, नई सोच लानी होगी और इनका क्रियान्वयन करना होगा। उदाहरण के तौर पर चाहे हम मनरेगा की ओर देखें या समर्थन मूल्य में वृद्धि को देखें। मनरेगा विश्वरूपी सबसे बड़ी रोजगार की

योजना ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हो चुकी है, सारे आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं लेकिन दुर्भाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह कांग्रेस की विफलताओं का प्रतीक है और इसे मैं गांव-गांव तक ले जाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य के बाद सरकार क्या करती है? इसी सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय एनसीएएआर (नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च) के साथ मिलकर वर्ष 2015 में रिपोर्ट निकालता है जिसमें उल्लेख किया जाता है कि केवल महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के आधार पर देश में 32 प्रतिशत गरीबी कम हुई। वही रिपोर्ट उल्लेख करती है कि अकेले इस योजना ने डेढ़ करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बचाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं आजादी के बाद अगर सबसे अग्रणीय देश में योजना रही है तो वह महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना रही है। यही सरकार अपने एक साल के बुलेटिन में निकालती है सरकार से सबसे बेहतरीन सक्सेस स्टोरी अगर देश में है तो वह महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। अगर यह यू-टर्न नहीं है तो क्या है? अगर यह सच्चाई है तो आप बता दीजिए कि सच्चाई क्या है? अगर यह सच्चाई है तो मैं तीन प्रश्न करना चाहता हूं। आपने इस योजना के बजट के प्रावधान को कम क्यों किया? ...(व्यवधान) उन्होंने माना कि कम हुआ है, डिमांड बेस्ड है। निशिकांत जी, आप इकोनॉमिक अर्थशास्त्र समझते हैं।...(व्यवधान) आपको मालूम है डिमांड बेस्ड है। पूरे देश में व्यापक सूखा है, ओलावृष्टि है और आप कह रहे हैं कि 3200 करोड़ रुपये कम किया तो ठीक किया। मुझे तो आश्चर्य है कि मैं आपका एक अर्थशास्त्र के आधार पर मान-सम्मान करता हूं और आप सदन के सामने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं।...(व्यवधान) इतना भी ज्यादा बुरा डिफेंस आप मत करिए।

प्रश्न यह है कि बजट का प्रावधान क्यों कम किया गया? प्रश्न यह है कि जो पिछले वर्ष 232 पर्सनडेज रहा, क्योंकि उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों काम करती हैं। महिलाओं को भी मान-सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और यह जो मैनडेज-मैनडेज हम लोग कहते हैं, इसको बदलना चाहिए और पर्सनडेज हमें बनाना चाहिए। 232 करोड़ के जो पर्सनडेज थे, वे आज 45 प्रतिशत घटकर 132 करोड़ क्यों हो गया? सूखे का वातावरण, ओलावृष्टि का वातावरण, बाढ़ का वातावरण और पर्सनडेज को आपने घटा दिया। इसलिए मैं प्रश्न

पूछना चाहता हूं कि आपके पेमेंट में आज डिले क्यों हो रहा है? इस सदन के पटल पर मेरे प्रश्न के उत्तर में आपके मंत्री जी ने स्वयं माना है कि 72 प्रतिशत डिले हुई है। ...(व्यवधान) इतना कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपसे प्रश्न भी कर लिया, फटकार लगा दी कि 3200 करोड़ रुपये का जो डिलेड पेमेंट है, वह जल्दी से जल्दी आप दिलवाइए और उसका आज भी जवाब नहीं दिया गया। देश के तीन मुख्य मंत्रियों-राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों ने आपको चिट्ठी लिखी है कि आपका पेमेंट डिले हो रहा है और आप जल्द से जल्द दो। इसीलिए आज यह देश की जनता इस योजना के तहत भी आपसे प्रश्न करना चाहती है। असलियत यह है कि देश के किसानों के साथ यह क्रूर मजाक किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि सरकार की नीति और नीयत, चाल और चरित्र, कथनी और करनी में कितना अंतर है। इसी के साथ समर्थन मूल्य का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है।

प्रधान मंत्री जी महोदय ने अपने कैम्पेन के दौरान 6 अप्रैल 2014 को कहा था और मैं उनको कोट करूंगा: “क्यों हमारे किसानों को उचित दाम नहीं मिलता? क्या उन्होंने काम नहीं किया?" यह प्रश्न प्रधान मंत्री जी ने ट्विटर के आधार पर 6 अप्रैल 2014 को वर्तमान यू.पी.ए. सरकार से किया था। घोषणा-पत्र में भाजपा ने लिखा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम यह करेंगे कि उत्पादन लागत के ऊपर 50 प्रतिशत एम.एस.पी. का मार्जिन रखा जाएगा और 21 फरवरी 2015 को, 8 महीने सरकार में आने के बाद अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के पक्ष में जवाब देते हैं कि यह तो मायाजाल है। यह कभी संभव ही नहीं हो पाएगा। अगर सरकार ऐसा उलटफेर करेगी तो किसानों का क्या होगा? वास्तविकता यह है कि अगर हम एम.एस.पी. की स्थिति को देखें, वर्ष 2013-14 में देशी कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि। यू.पी.ए. सरकार ने 100 रुपये की थी। इस सरकार ने केवल 50 रुपये की है। तूर और अरहर के क्षेत्र में देखें तो 450 रुपये एम.एस.पी. में बढ़ोतरी यू.पी.ए. सरकार लेकर आई थी, इस सरकार ने केवल 75 रुपये की। ...(व्यवधान) यानी 15 प्रतिशत। मूंग के क्षेत्र में 100 रुपये हम लेकर आए थे, यह सरकार केवल 50 रुपये लेकर आई है। मकई के क्षेत्र में 135 रुपये लेकर आए थे। यह सरकार केवल 15 रुपये। बाजरा के क्षेत्र में 75 रुपये यू.पी.ए. सरकार

लेकर आई थी और यह सरकार केवल 25 रुपये तथा काली सोयाबीन के क्षेत्र में तो आश्चर्यजनक वृद्धि यानी 300 रुपये हम समर्थन मूल्य में वृद्धि लेकर आए थे, यह सरकार शून्य बटा शून्य लाई है। मूंगफली में 300 रुपये हम लेकर आए थे, 30 रुपये यह सरकार लेकर आई है।

वातावरण यह है कि जहां प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम कोआपरेटिव फैडरेलिज्म में विश्वास रखते हैं। भारत तभी सशक्त होगा, जब हर राज्य सशक्त होगा। यह कथनी और करनी देखिए कि सरकार में आने के बाद पहला आदेश जो इस भाजपा की सरकार ने दिया, वह यह दिया कि जिस राज्य में बोनस किसान को दिया जाएगा, उस राज्य से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीददारी पूरी तरह से बंद कर देगी। बोनस की प्रक्रिया समाप्त कर दी और को-ओपरेटिव फेड्रेलिज्म की बात की जाती है। मेरी संवेदना मंत्री जी के साथ है कि कृषि मंत्रालय के बजट में 15 प्रतिशत कटौती की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में दस हजार करोड़ रुपयों से साढ़े चार हजार करोड़ रुपए, करीब 55 प्रतिशत की कटौती की है। किसान कैसे मजबूत हो पाएगा? आज हम किस तरह के कदम उठाने की सरकार से आशा करते हैं? नौ राज्यों ने अपने इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सात राज्यों ने 25 हजार करोड़ रुपयों की मांग रखी। अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं नियम बदल रहा हूं। पचास प्रतिशत नुकसान पर मुआवजे के मापदंड में कमी करके 33 प्रतिशत नुकसान होने पर मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन वह घोषणा आज तक केवल घोषणा ही रही है। आज जमीन स्तर पर न मुआवजा, न सर्वे और कुछ नहीं हो पाया है इसलिए हम कहते हैं कि यह सूट-बूट की सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, दिवाली का त्योहार निकल गया, दशहरे का त्योहार निकल गया। ईद का त्योहार निकल गया। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री जी महोदय अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आप लोग मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। वे देश के कृषि मंत्री जी हैं, वे स्वयं उत्तर देने में सक्षम हैं।...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, मैं आपकी बातों को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी असत्य बातों को सुनने का मेरे पास धैर्य है, क्योंकि मुझे अभी जवाब देना है। लेकिन यह कहना असत्य की सीमा को पार करना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, वह सही नहीं है क्योंकि कर्नाटक को इसी आधार पर बहुत बड़ी धनराशि दी गई। वह धनराशि उन्हीं नार्मस के आधार पर दी गई है जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। आप असत्य भी बोलिए तो एक मर्यादा के अंदर बोलिए ताकि हम सहन के साथ सुन सकें। आपने असत्य बोलने की मर्यादा पार कर ली है, इसलिए मुझे मजबूरी में बोलने के लिए खड़ा होना पड़ा।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का सम्मान करता हूं। जब कटोरी दुख से पूरी तरह भर चुकी हो और उसकी तुलना हम एक बूंद से करें। अगर ये समझते हैं कि आज देश का हर किसान सरकार के समाधान के साथ खुश है, तो फिर ये मायाजाल में अपना जीवन जी रहे हैं।...(व्यवधान) हमारा दायित्व है कि हम जनता की आवाज उठाएं और वह आवाज हम उठाएंगे। अगर ये समझते हैं कि देश के सारे किसान इनकी नीतियों से खुश हैं तो बिहार में इन्हें जवाब मिल गया है।...(व्यवधान) गुजरात में इन्हें जवाब मिल गया है और आने वाले समय में भी इन्हें जवाब मिलता ही जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने अभी दिवाली मनाई, दशहरा मनाया और ईद भी मनाई है लेकिन किसान के घर में एक दीप नहीं जला है। किसान दो सूखे का सामना कर चुका है। ओलावृष्टि और आतिवृष्टि का सामना भी हमारे देश का किसान कर चुका है लेकिन राहत के लिए किसान आज भी सरकार की तरफ ताक रहा है। हमारी अपेक्षा है कि आज बिजली का बिल और बैंक का कर्ज सरकार माफ करे। चुनाव आता है तो आप छाती तान कर चिल्लाते हैं।...(व्यवधान) मैं वह बात नहीं कहूंगा क्योंकि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करता

हूं।...(व्यवधान) मुझे मालूम है कि रीअर व्यू मिरर से आपका ध्यान नहीं हटेगा, इसलिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा।...(व्यवधान) आपको मौका दिया गया है, आप कृपया देश को सुदृढ़ बनाओ और लोगों की बातों को सुन लो।...(व्यवधान) आप कहना चाहते हैं तो आप कहें, मैं बैठ जाता हूं।...(व्यवधान) मैं माफी चाहता हूं रीअर व्यू नहीं है बल्कि सैल्फी है क्योंकि टेक्नोलोजी के आधार पर आगे जा रहे हैं।

अभी भी मैं अतीत की बात कह रहा हूं। लेकिन जब चुनाव होता है, तो भाजपा के लोग कहते हैं कि 'भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ।' ...(व्यवधान) बहुत सारे चुनावों में आपने कहा है। ...(व्यवधान) मैं आपके लिए रिकॉर्ड निकाल दूँगा। ...(व्यवधान) भाई, यदि कर्जा माफ करना सीखना है, तो मेरी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी से सीखो, जिन्होंने 72 हजार करोड़ रुपये किसानों का कर्जा माफ किया। केवल घड़ियाली आँसू बहाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ...(व्यवधान) कोई मंत्री जी-संतरी आज तक खेत-खलिहानों में नहीं गया। वास्तविकता यह है। सरकार का दायित्व होना चाहिए कि अपने-आप, अपनी आत्मा की पुकार को सुनकर किसान तक पहुंचे। लेकिन जब मेरे राज्य में हाहाकार मचा था, तब सारे मंत्री जी पहुंचे और वह भी बंगला और फाइव-स्टार होटलों में रहकर उन्होंने सूखा पर्यटन किया। ...(व्यवधान) गणेश सिंह जी सुन लीजिए।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं भी मध्य प्रदेश का हूं, इसलिए बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : इस वातावरण में बिजली के बिल की वसूली की जा रही है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। ...(व्यवधान) किसानों को चौबीस बजे बिजली मिल रही है? ...(व्यवधान) मध्य प्रदेश में मिल रहा है? ...(व्यवधान) आप मुझे ले चलिए, कौन-से गांव में चौबीस बजे बिजली मिल रही है, मैं अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूं।...(व्यवधान) मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। ...(व्यवधान) आपके मुख्यमंत्री जी ने तो प्रदेश में बिहार के चुनाव में कह दिया कि 1200 रुपये दो और पूरे साल बिजली लो। ...(व्यवधान) इतना बड़ा असत्य हमने कभी नहीं सुना है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सिंधिया जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपकी तरफ देखकर बात कहनी चाहिए। जहाँ मैं गलत हूं, वहाँ मैं अपनी गलती मानता हूं।

बिजली तो नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली का बिल तीन गुणा लिया जा रहा है। जो गरीब किसान उस बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पाता है, उसकी पूरी सम्पत्ति तहसीलदार के द्वारा कुर्क की जाती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मुआवजे की धनराशि मिलनी चाहिए और बीमा की धनराशि भी मिलनी चाहिए। ...(व्यवधान) नन्द कुमार जी कृपा करके बैठ जाइए। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सिंधिया जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए और बीमा-धनराशि जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। किसानों ने बीमा धनराशि भरी, पर उनके होश उड़ गये, जब बीमा-धनराशि के आधार पर सूखा और ओला-वृष्टि की चपेट में 710 रुपये प्रिमियम दिया और उसे केवल 18 रुपये वापस मिले। वह 18 रुपये भी उनको सहकारिता बैंक के कर्ज को चुकाने के लिए देना पड़ा। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की संवेदनशीलता इसी बात का प्रमाण है कि सूखा अगस्त महीने में हुआ और नवम्बर के महीने में केन्द्र की टीम वहाँ सर्वेक्षण करने जा रही है। जब यूपीए की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सूखे के मामले में

एसी पंडाल में अपने मंत्रिमंडल के साथ धरना किया था और संसद तक आए थे। अब जब सूखा है, तो वे क्यों मौन व्रत धारण किये हुए हैं, वे क्यों नहीं वहाँ धरना करते हैं और संसद तक अपने मंत्रिमंडल को लेकर आते हैं? ...(व्यवधान) यह प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान) जहाँ तक हम राज्य सरकार की बात करते हैं, वहाँ केन्द्र सरकार की संवेदनशीलता पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूं।...(व्यवधान) इतने उत्तेजित मत होईए, थोड़ी सहनशीलता रखिए। ...(व्यवधान) मैं केन्द्र सरकार की सहनशीलता की बात करना चाहता हूं।...(व्यवधान) इस साल केन्द्र सरकार ने नया नियम निकाला है। वह यह है कि यदि कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा होगी, तो पहले राज्य आपदा कोष की धनराशि इस्तेमाल की जाएगी, उसके बाद केन्द्र सरकार के पास आईए। यदि केन्द्र सरकार पैसे देगी, तो एक साल में एक ही आपदा के लिए पैसे दिये जाएंगे। एक साल के अंदर दुबारा पैसे नहीं दिये जाएंगे। यह केन्द्र सरकार की नीति है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं - सबका साथ-सबका विकास, उसके साथ एक एस्ट्रिक मार्क लग गया, स्टार मार्क लग गया है कि नीति और नियमों के आधार पर अर्थात टर्म्स एंड कंडीशन्स एप्लाई। जैसे जब हम लोग कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उस पर लिखा होता है। जो केन्द्र सरकार की नीति है, वही प्रदेश सरकार की नीति है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसान मेरा भगवान है और मैं उनका पुजारी हूं, लेकिन वहां भी स्टार मार्क लगा हुआ है - टर्म्स एंड कंडीशन्स एप्लाई। क्या टर्म्स एंड कंडीशन्स हैं? मध्य प्रदेश ने सूखे पर एक नई नोटिस, नया आदेश निकाला है। मध्य प्रदेश शासन, राजस्व मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन दिनांक 06 नवम्बर, 2015 के दिए गए निर्देश के परिपालन एवं प्राकृतिक आपदा में फसलों के नुकसान के लिए, ओलावृष्टि, आतिवृष्टि, असामयिक वर्षा एवं सूखे के कारण फसलों की हानि होने पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना है। निम्नानुसार खातेदारों को राहत धनराशि की पात्रता नहीं होगी : नम्बर एक - शासकीय सेवक। नम्बर दो- सेवानिवृत्त शासकीय सेवक। नम्बर तीन- व्यापारी। नम्बर चार- प्राइवेट स्कूल संचालक। नम्बर पांच - पेट्रोल पम्प संचालक। नम्बर छः - गैस एजेंसी संचालक। नम्बर सात - पुजारी अथवा धार्मिक स्थान में सेवारत। नम्बर आठ - आतिक्रमिक। नम्बर नौ- पदाधिकारी, समस्त राजनीतिक दल। नम्बर दस - सेवा भूमि। नम्बर 11- पटेल। नम्बर 12 - दूध डेयरी संचालक। नम्बर 13 - आयकर एवं वृत्तकर दाता। नम्बर 14- समस्त प्रकार के बड़े दुकानदार। नम्बर 15 -

ट्रैक्टर या चार पहिए वाहन वाला। नम्बर 16- खेती या आतिरिक्त अन्य कोई धंधा। नम्बर 17- क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले खातादार। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे आश्चर्यजनक है नम्बर 18 - अन्य। अर्थात कौन बचा? इसी के साथ कहा गया है :

> "सर्वदल को आदेशित किया जाता है कि उक्त खातेदारों को राहत वितरण सूची में शामिल नहीं किया जाए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो सम्बन्धित सर्वदल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। "

उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह स्थिति होगी तो कौन बचेगा? वास्तविकता है कि समय बीत रहा है और किसान का ढाढस खत्म हो रही है। आज किसान आत्महत्या की कगार पर है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने यह बताया है कि पांच राज्यों में से तीन राज्य जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वे राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं, ये तीनों राज्य भाजपा शासित राज्य हैं जहां 70 प्रतिशत आत्महत्याएं हुई हैं। सरकार ने दो हेक्टेअर फसल तक मुआवजे का नियम बना दिया है, जिसके आधार पर 50 प्रतिशत किसान इसके दायरे से बाहर हो चुके हैं। वास्तविकता यह है कि जब हम आंकड़ों की बात करें, मैं तू-तू, मैं-मैं में नहीं लगना चाहता, मैं समझता हूं कि अगर एक किसान ने भी आत्महत्या की है तो वह हमारे माथे पर कलंक है। जो आंकड़े आपने पेश किये हैं, समय की सीम है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसमें अगर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो यह वास्तविकता है कि 12360 किसानों ने पिछले वर्ष आपके शासनकाल में आत्महत्या की।...(व्यवधान) हमारी सरकार के समय 11700 किसानों ने आत्महत्या की। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तू-तू, मैं-मैं में नहीं पड़ना चाहता। आपके शासन काल या हमारे शासन काल में अगर एक भी किसान ने आत्महत्या

की तो वह माथे पर कलंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा के कृषि मंत्री जी और तीन बार किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, ... [5*]का एक वक्तव्य है :

"आत्महत्या एक अपराध है भारतीय कानून के हिसाब से। ऐसे लोग कायर होते हैं और सरकारी जैसी संस्था ऐसे कायर आदमी के साथ, ऐसे अपराध के साथ नहीं खड़ी हो सकती।"

अगर यह आपत्तिजनक भाषा नहीं है तो फिर क्या है? वास्तविकता यह है कि सुख के समय में हम किसान के साथ रहें या न रहे, लेकिन दुख के समय में किसान के साथ कन्धे से कन्धा लगाकर दुख बांटने का काम करना चाहिए। वास्तविकता यह भी है कि सूखे का वातावरण है, ओलावृष्टि, आतिवृष्टि है, लेकिन जहां किसान पस्त वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी विदेशों में मस्त। आज यह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। हम चाहते हैं कि सरकार अपनी कुम्भकर्ण वाली नींद से उठे। इस देश में दो स्तम्भ हैं - जवान और किसान। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था - जय जवान और जय किसान। आज जवान पिट रहा है बेरोजगारी- महंगाई से और किसान पिट रहा है सरकार की गलत नीतियों से। हम 'मेक इन इंडिया' की बात करते हैं, 'मेक इन इंडिया' कैसे सम्भव हो पाएगा, जब तक आप 'मेकर्स ऑफ इंडिया' को सशक्त नहीं बनाएंगे, समृद्धशाली नहीं बनाएंगे। मेरी आपसे अपील है कि उन मेकर्स ऑफ इंडिया को सम्मान दो, मान दो और उन्हें शक्तिशाली बनाओ।

उपाध्यक्ष जी, अंत में मैं शमीम जयपुरी की दो पंक्तियों को यहां सुनाकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

सबको बुलंदियों का सलीका नहीं शमीम,
वो सिर पर चढ़ रहे थे, लेकिन दिल से उतर गए।

[5*]अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस गम्भीर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। इस सदन में दो विषय चर्चा के लिए विचारार्थ थे, सूखा और महंगाई। सदन में पहली सूखे पर चर्चा हो रही है, यह जरूरी भी है, क्योंकि महंगाई सूखे की वजह है, सूखा पड़ता है तो महंगाई भी बढ़ने लगती है।

जहां तक सूखे का सवाल है, लगातार पिछली तीन फसलें आतिवृष्टि, ओलावृष्टि और सूखे की चपेट में आकर बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और किसानों को नुकसान हुआ है। मौसम का मिजाज काफी बदल गया है। मौसम में यह परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ, एकदम से यह स्थिति नहीं पैदा हुई है। यह स्थिति लगातार 70 वर्षों से देश में प्राकृतिक वातावरण को बिगाड़ने से हुई है। इसका प्रमुख कारण अंधाधुंध जंगलों की कटाई और अंधाधुंध प्राकृतिक स्रोतों का दोहन भी है। इस वजह से मौसम में काफी परिवर्तन हो रहा है। यह कहना कि सूखे की वजह सरकार की विफलता है, ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि यह देश की विफलता है, इस देश की नीतियों की विफलता है। हमारे देश में सूखा और प्राकृतिक आपदाओं का जाल फैल गया है। इस जाल से बचने के लिए केवल राजनीति के चश्मे से देखने के बजाए पिछली नीतियों का विश्लेषण और आगामी नीतियों को राजनैतिक विचारधारा की दृष्टि से ऊपर देखकर चलना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देश प्राकृतिक आपदाओं से बच नहीं सकता और कोई बचा भी नहीं सकता।

जिस तरह की बातें इस बारे में कही जा रही हैं, वे केवल राजनैतिक संघर्ष की बातें हैं। मैं यहां राजनैतिक संघर्ष की बात नहीं करूंगा, न ही मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के रूप में कोई बात कहने जा रहा हूं। आज किसान आत्महत्या करने को क्यों मजबूर हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि नकदी फसलों और दाने के उत्पादन के अलावा किसान के आतिरिक्त संसाधन समाप्त हो चुके हैं। उसके पास सबसे बड़ा सहायक संसाधन पशुधन था, जो खत्म होने की कगार पर है। देश में दूध उत्पादन के बारे में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि बहुत ज्यादा दूध उत्पादन हमारे देश में हो रहा है। शायद सदन में हुक्मदेव नारायण यादव जी बैठे होंगे। मैंने संसद की कृषि संबंधी स्थाई समिति की बैठक में कहा था कि हमारा देश दूध उत्पादन में विश्व में नम्बर

एक स्थान पर है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। नीतियां कैसी बनीं, काम कैसे हुए, हमने जर्सी गाय का आयात किया। जो जर्सी गाय जीरो डिग्री सेल्सियस के तापमान में रहने वाली है, वह कैसे यहां 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जिंदा रह सकती है। इस कारण हमारे देश में करीब-करीब जर्सी गाय खत्म हो रही है। पहले जहां गांवों में एक-एक घर में जर्सी गाय पाई जाती थी, आज एक भी नहीं बची। हमारे देश में देशी नस्ल की गाय जो पांच से 15 लीटर दूध देती हैं, वे बेचारी मारी-मारी फिर रही हैं।

हम उदाहरण देते हैं कि गीर नस्ल की गाय को ब्राजील ले गया और उससे वह देश अपने यहां 60 लीटर दूध का उत्पादन कर रहा है। क्या हम उस गीर की गाय पर कोई शोध वगैर नहीं कर सकते थे, क्या हम 60 लीटर दूध देने वाली देशी नस्ल की गाय का संरक्षण और संवर्द्धन नहीं कर सकते थे, लेकिन हम यह नहीं कर सके। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है और जिन सरकारों ने इस पर कोई नीति नहीं बनाई और इस पर गौर नहीं किया,... *आज हमारी गाय आधा लीटर दूध या 40 मिलीग्राम दूध ही दे पाती हैं, जो कि अनुपयोगी है, अनुत्पादक है। वह अनुपयोगी है, अनुत्पादक है, इस वजह से आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। आज हल बंद हो गये हैं, ट्रैक्टर का फैशन आ गया है। जिस किसान के पास एक एकड़ जमीन है, वह भी ट्रैक्टर से खेती करता है। वह मशीनों से अपने गेहूं और सोयाबीन की कटाई करता है। अब उसे क्या लाभ होगा। एक एकड़ के खेत में उसने किराये के ट्रैक्टर से चार बार जुताई करा ली, मशीन से दो बार कटाई-गहाई करा ली, उसे क्या मिलेगा। हल बंद हो गये, बैल खत्म हो गये। इस परम्परा को हमने खत्म किया है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि यह परम्परा हमारे जीवन का आभिन्न अंग है और यह किसानी का प्राणतत्व है। इसे खत्म करने का काम जिन लोगों ने किया, जिस नीति ने किया, उन्हें इस देश में पैर रखने का आधिकार नहीं है। किसानों का सर्वनाश करने की नीतियां बनाई गईं। किसानों को आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ। जो लोग गांधी की बातें करते हैं, उन्होंने गांधी की गाय को खत्म किया, उन्होंने गांधी के बैल को खत्म

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया, उन्होंने गांधी के हल को खत्म किया, उन्होंने गांधी की तकनीक को खत्म किया और इसी वजह से आज किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, विपत्ति का समय है, पता नहीं जो लोग आज यहां बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, वे लोग कभी किसानों के घर में गये कि नहीं गये। मैंने तीन सौ से ज्यादा गांवों में वर्षा सत्र और शीत सत्र के बीच में भ्रमण किया, तीन सौ से ज्यादा गांवों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसान की फसल को बर्बाद होते हुए देखा है। अभी खरीफ की फसल की बुआई भी नहीं हुई है। जो आंकड़े राज्य सरकारों से आ रहे हैं, केन्द्र सरकार तो राज्य सरकारों के आंकड़ों पर निर्भर है, पता नहीं वे आंकड़े कितने सही या गलत हैं। लेकिन खरीफ की फसल की बुआई नहीं हुई है। मेरे खुद के जिले में 52 गांव ऐसे हैं, जहां एक दाना ज्वार और धान का नहीं बोया गया। आज यह स्थिति गांवों की है। आज इस स्थिति से बचने के लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद दूंगा कि पिछले वर्ष हमारी रबी की फसल नष्ट हुई, गेहूं खत्म हुआ। जो गेहूं सात सौ रुपये क्विंटल भी बाजार में नहीं बिक सकता था, उसे केन्द्र सरकार ने 1450 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा और 33 प्रतिशत जिस खेत में नुकसान हुआ, उसको शत-प्रतिशत मानकर नुकसान की भरपाई हुई और गेहूं, चना, अरहर और धान खरीदा गया। इसलिए यह कहना कि उस निर्देश का पालन नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि यह तथ्यों से परे की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि तीन सौ जिलों में सूखा है। पिछले दिनों माननीय कृषि मंत्री जी का बयान आया था कि दो सौ जिलों में सूखा है, बाकी जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार ने अभी रिपोर्ट नहीं भेजी है। आज भेजी है कि नहीं भेजी, मुझे मालूम नहीं है। परंतु मैं उन सभी राज्यों से अपील करना चाहूंगा, यहां सभी राज्यों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जिन जिलों को भू वैज्ञानिकों ने सूखाग्रस्त माना है, उन राज्य सरकारों से मेरा निवेदन है कि वे तत्काल अपने यहां की सर्वे रिपोर्ट भिजवायें, यदि न भी हो, तब भी भिजवायें, यदि कम हो तो भी भिजवायें। यह मापदंड कि एक सेंटीमीटर पानी आधिक बरसा या एक सेंटीमीटर पानी कम बरसा, इसका सवाल नहीं है। सवाल यह है कि किसान कैसे जीयेगा। आज कोई भूतलक्षी या भविष्यलक्षी योजनाओं की भी जरूरत नहीं है। आज जरूरत यह है कि इस वर्ष किसान जिंदा

कैसे रहे, इस वर्ष किसान को राहत कैसे मिले, इस वर्ष किसान अपने खेत में अन्न का उत्पादन कैसे कर सके, आज इस पर विचार की आवश्यकता है। भविष्य में क्या होगा, केन्द्र सरकार की योजनाएं क्या हैं, उनसे भविष्य में कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी, इस पर आज विचार करने की जरूरत नहीं है, आज जरूरत है कि एक-एक किसान को कैसे राहत दी जाए। एक-एक मजदूर को कैसे राहत दी जाए। निश्चित रूप से आज लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मजदूरों के लिए एक साधन हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत बैरिकेट्स हैं। जिसका जॉब कार्ड नहीं होगा, उसे मजदूरी नहीं मिलेगी। यह नियम इस योजना के प्रारम्भ काल से ही लागू है। मैं केन्द्र सरकार से अपील करना चाहूंगा कि उस नियम में परिवर्तन करे और जैसा मध्य प्रदेश सरकार ने अभी अंतरिम आदेश में कहा है कि जिसे काम चाहिए, उसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम दिया जाए। यह सबसे पहला काम है, जिस पर विचार होना चाहिए। यदि कोई नियम है, राज्य सरकारों के नियम हैं, केन्द्र सरकार के नियम हैं, इस योजना के फंडामेंटल नियमों में यह है तो उसमें परिवर्तन किया जाए। हर आदमी, जो कोई भी काम माँगे, उसे काम दिया जाए।

दूसरा, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार एक-एक किसान को बिजली उपलब्ध करा रही है। 24 बजे बिजली मिलती है, 22 बजे बिजली मिलती है या 21 बजे बिजली मिलती है, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना है कि मध्य प्रदेश में हर किसान के खेत को पानी मिल रहा है, हर किसान के खेत को बिजली मिल रही है। मध्य प्रदेश में हर एक किसान बिजली के माध्यम से अपने ट्याूबवेल से, अपने नाले से, अपने कुएं से, अपनी गड़ही से, अपने खरिया से पानी खेत में पहुँचा रहा है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार या और भी सरकारें हो सकती हैं, गुजरात की सरकार कर रही है, छत्तीगढ़ में 24 बजे बिजली है, अन्य दूसरी राज्य सरकारों द्वारा भी किसान को बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। जिन राज्यों में बिजली नहीं है, जिन राज्यों में दो, तीन, चार, छः या आठ बजे बिजली है, मैं उन राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता हूं और वहाँ क्यों बिजली नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन

उन राज्य सरकारों को भी केन्द्र सरकार बुलाए कि वह किसान के खेत के लिए, सिंचाई के लिए, ट्याूबवेल के लिए, कुएं के लिए आनिवार्यतः बिजली उपलब्ध कराये। जिससे किसान के पास जो भी थोड़ा-बहुत पानी है, उससे खेत में फसल का उत्पादन कर सके।

तीसरा, कृषि बीमा योजना की धनराशि कुछ राज्यों ने पचास प्रतिशत तक उपलब्ध कराई है, कुछ राज्यों ने इस पर काम नहीं किया है और लाखों किसानों के कृषि बीमा का क्लेम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कृषि बीमा की जानकारी भी आज बहुत सारे किसानों को नहीं है। जिन राज्य सरकारों ने किसानों के कृषि बीमा का पैसा अदा नहीं किया है, उन राज्य सरकारों को बुलाकर आविलम्ब कृषि बीमा की जो धनराशि किसानों को नहीं दी गई है, उस धनराशि का पेमेंट करवाया जाए, जिससे उन्हें कुछ न कुछ लाभ मिल सके।

महोदय, पेयजल का भीषण संकट सामने खड़ा होने वाला है। आज गाँव के कुंए और किसान का हैंडपंप सूख रहे हैं। ऐसी स्थिति में पेयजल के लिए एक आपातकालीन व्यवस्था बनाई जाए और पेयजल त्वरित मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। जो लोग गरीब, किसान और मजदूर की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि सूखा इस देश में बहुत वर्षों से पड़ रहा है। गाँव का मजदूर, किसान का खेत आधिया में, बंटाई में लेता है। सूखे की धनराशि हो, चाहे बाढ़ की धनराशि हो, चाहे ओलावृष्टि की धनराशि हो, राहत धनराशि उस मजदूर को नहीं मिलती है। इसलिए मैं इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था कराई जाए, जिससे मजदूरों को भी राहत धनराशि मिले। किसान को मिले, किसान की फसल के मूल्यांकन के अनुसार उसको राहत धनराशि मिलनी चाहिए।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

लेकिन मज़दूर को भी धनराशि मिले, ऐसी कोई व्यवस्था आप करें। कानून मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के कानून मंत्रियों को बुलाकर इस पर निर्णय किया जाए कि उन मज़दूरों को भी राहत धनराशि मिल सके जो मज़दूर वर्ष भर खेत में खटता है, उसको भी राहत धनराशि मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में रोझों के आतंकवाद पर कहना चाहता हूं। यहाँ सभी प्रकार के आतंकवादों पर चर्चा होती है लेकिन रोझ भी आतंकवादी जैसा हैं, यह किसान की फसल बरबाद कर देते हैं। किसान खेत में फसल उगाता है, रात भर जगता रहता है, लेकिन एक मिनट के लिए अगर उसकी आँख बंद हुई तो उसकी सारी की सारी फसल आँख खुलने के बाद खत्म मिलती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस तरह से सशस्त्र बलों को आतंकवादियों का सामना करने की छूट है, उसी तरह से किसानों को भी रोझों के आतंक से मुक्ति के लिए छूट मिलनी चाहिए। उस पर यह सदन सर्वसम्मति से निर्णय करे नहीं तो किसान खत्म हो जाएगा। पूरे देश के एक-चौथाई किसान रोझों के आतंक से परेशान हैं लेकिन उनसे मुक्ति के सवाल पर सारे लोग चुप हो जाते हैं, कोई सरकार आज तक निर्णय नहीं कर पाई। इस सदन में आप दसों वर्षों की कार्यवाही देख लें, दसों वर्षों से रोझों से मुक्ति के लिए बात होती रही है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये किसानों को राहत धनराशि देने के लिए मंज़ूर की है, वह इस देश की अन्य राज्य सरकारों के लिए एक अनुपम उदाहरण है। मैं चाहूंगा कि इस तरह की नीति के लिए सारी राज्य सरकारें अपने राज्यों में सूखा राहत का पुनर्मूल्यांकन करे, विधान सभा में इस पर चर्चा हो और उस चर्चा के दौरान ज्यादा से ज्यादा धनराशि अपने संसाधनों में कटौती करके राज्य सरकारें सूखा राहत में लगाएँ। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, सिंधिया जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम कंडीशंस लगाई हैं। ये बहुत सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ से ढूंढ़कर लाए हैं। एक ही कंडीशन उसमें लगी है ...(व्यवधान) आदरणीय नंद कुमार सिंह जी बता रहे हैं कि इनकम टैक्स पेई को भी शर्त से हटा दिया गया है, बाकी कोई शर्त नहीं है। मेरे ज़िले में 15 हजार करोड़ रुपये आज की तारीख तक बँट चुके हैं। मैं इस लोक सभा में बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) हाँ, सॉरी 15 करोड़ रुपये। वह आपको देखकर हज़ार और लाख करोड़ का याद आ जाता है। ...(व्यवधान) वह आप लोगों का चेहरा देखकर मुझको लाखों और करोड़ों का याद आ जाता है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, 15 करोड़ रुपये आज तक मेरे जिले में बँट गए हैं। ...(व्यवधान) 150 करोड़ पूरे प्रदेश में ...(व्यवधान) अरे भाई! मुझे मालूम है, मुझे बोलने दें। ...(व्यवधान) करोड़ों नहीं, मैं जो बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं, वह सही है।

सीमान्त किसान की जो बात इन्होंने की है, 15 डि. तक के किसानों को राहत धनराशि मिली है। आप जाकर रीवा जिले के कलैक्टरेट का हिसाब ले आइए और पूछ लीजिए, 15 डि. के किसानों को मध्य प्रदेश सरकार ने राहत धनराशि दी है। इस तरह से अनर्गल प्रचार और प्रसार से काम नहीं होगा। यह राजनीति का काम नहीं है, किसान आज मर रहा है, एक एक दाने के लिए तरस रहा है। ...(व्यवधान)

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर): वही तो हम कह रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री जनार्दन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को बुलाकर, राजस्व मंत्रियों को बुलाकर, पेयजल विभाग के मंत्रियों को बुलाकर तथा खेतिहर मज़दूरों को राहत धनराशि देने के लिए कानून मंत्रियों को बुलाकर इस काम को कराने का काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से केन्द्र सरकार ने पिछले दो सत्रों में किसानों को बचाने का काम किया है, उनको राहत देने के काम किया है, उससे भी आधिक प्रभावी ढंग से इस विपत्ति में भी किसानों के साथ केन्द्र सरकार खड़ी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 'देश में सूखे की स्थिति' पर इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह ही हमने देश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की थी और अब हम सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। जब हम सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, तब भी दक्षिणी राज्य तमिलनाडु अभी तक बाढ़ के प्रभाव से बाहर नहीं आ पाया है और पड़ोसी राज्य कर्नाटक को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किया गया है।

देश के एक हिस्से में हम भयंकर बाढ़ का सामना कर रहे हैं और दूसरे कई हिस्सों में हम भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। यह एक विचित्र बात है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री एम.बी. राजेश: मैं यह सोच रहा था कि जब सूखे पर यह महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और आठ राज्यों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है, चार राज्य भा.ज.पा. शासित राज्य हैं, तो मुझे नहीं पता कि विशेषकर उन राज्यों के अधिकांश सदस्य अनुपस्थित क्यों हैं। कुछ माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित हैं, वे भी इस चर्चा में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खेद है।

महोदय, यह एक विचित्र स्थिति है। देश के एक भाग में, हम बाढ़ से जूझ रहे हैं और अन्य हिस्सों में हम सूखे का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य तमिलनाडु का एक पड़ोसी राज्य है और कर्नाटक राज्य को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किया गया है और तमिलनाडु राज्य अभी भी बाढ़ का सामना कर रहा है।

मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहूंगा कि किस प्रकार पूरे देश और सभी लोगों ने तमिलनाडु के लोगों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता दिखाई है। शनिवार को, मैं कोचीन शहर में डी.वाई.एफ.आई. –

लोकतांत्रिक युवा महासंघ के कार्यकर्ताओं के साथ एक धन संग्रह कार्यक्रम में भाग ले रहा था। जब हम धन एकत्रित करने के लिए सड़कों पर निकले, तो 20 मिनट के भीतर हम एक लाख रुपये से अधिक एकत्र कर पाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह दोनों राज्यों - केरल और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से चले आ रहे भाईचारे के कारण नहीं है, बल्कि यह इस बात का एक उदाहरण है कि जाति, धर्म और अन्य सभी मतभेदों को दरकिनार करते हुए संकट की घड़ी में हमारे देश के लोग कैसे एक साथ आगे आते हैं। यह मानवीय एकजुटता का ज्वलंत उदाहरण है।

सूखे के मुद्दे पर लौटें, तो हमारे देश के 676 जिलों में से 302 जिले ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं कि रबी के मौसम में भी लगातार फ़सल के नुकसान की आशंका है। आठ राज्य पहले ही सूखा घोषित कर चुके हैं।

महोदय, जून-सितंबर दक्षिण-पश्चिम मानसून में सामान्य की तुलना में 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। यह वर्ष 2014 के बाद, बारिश में कमी का लगातार यह दूसरा वर्ष है। इस प्रकार, इसमें 12 प्रतिशत की कमी है।

महोदय, इस वर्ष 640 जिलों में से 302 जिलों में सामान्य की तुलना में 20 प्रतिशत की कमी आई है। लगातार दूसरे वर्ष सूखा पड़ने के कारण तथा उसके बाद मार्च-अप्रैल में हुई बेमौसम बारिश के कारण हमारी शीतकालीन फ़सलों को नुकसान पहुंचने से कृषि आय में गिरावट आ सकती है। किसान पहले से ही गेहूं, धान और कपास जैसी प्रमुख फ़सलों की कम कीमतों से प्रभावित हैं। हमारे देश में सर्दियों में खराब फ़सल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी में नमी की कमी और पूर्वोत्तर मानसून की कमी से गेहूं, धान और कपास की रोपाई प्रभावित हुई है।

महोदय, एक सप्ताह पहले कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, *रबी* की बुवाई सामान्य क्षेत्र की तुलना में 18 प्रतिशत से अधिक पीछे रही है। गेहूं की रोपाई 28 प्रतिशत कम है, दलहन की बुवाई में नौ प्रतिशत कम है और तिलहन की बुवाई में 12 प्रतिशत की कमी आई है। सर्दियों की फ़सल के खराब होने का मतलब

होगा कि अधिकांश भारतीय किसानों के लिए लगातार चार फ़सलें खराब होंगी। बार-बार फ़सल के खराब होने से उत्पन्न इस संकट के कारण, किसानों के आत्महत्या करने की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक तेलंगाना में, पिछले वर्ष जून से अब तक 1713 आत्महत्याएं हुई हैं। महाराष्ट्र, जो एक भा.ज.पा. (भारतीय जनता पार्टी) शासित राज्य है, में राज्य राजस्व विभाग द्वारा दिए गए आर.टी.आई. जवाब के अनुसार, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं, "इस वर्ष जनवरी से सितंबर के बीच 2234 किसानों ने आत्महत्या की है।" मैं अन्य राज्यों के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों में हेर-फेर करने के बावजूद यह दिखाने के लिए कि किसानों की आत्महत्या वास्तव में कम हो रही है, तथ्य यह है कि किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। माननीय कृषि मंत्री जी एक अच्छे इंसान हैं, बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अच्छा इंसान होने के बावज़ूद, उनकी गलत विचारधारा और नीति ने उन्हें भी किसानों की आत्महत्या को यह कहकर उचित ठहराने पर मजबूर कर दिया कि जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उन्होंने प्रेम में विफलता के कारण ऐसा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हज़ारों किसानों ने प्रेम में विफलताओं के कारण नहीं, बल्कि अपने जीवन में विफलता के कारण आत्महत्या की है। यही कारण है कि उन्होंने आत्महत्या की है। इसलिए, आज हम जिस गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं।

यह स्थिति कृषि विकास को भी नकारात्मक क्षेत्र में ले जा सकती है, जो वर्ष 2014-15 में पहले से ही निराशाजनक 0.2 प्रतिशत है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का यह वक्तव्य देखने आया हूं कि सरकार समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। यदि हमारे किसान समुदाय का 60 प्रतिशत और हमारे 60 प्रतिशत किसान आपके विकास पथ से बाहर रह गए हैं, तो हम किस तरह से समावेशी विकास की उम्मीद कर सकते हैं? प्रधान मंत्री जी समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के अनुसार, हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। तो फिर यह किस

तरह का समावेशी विकास है?इस भयावह स्थिति पर इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? कोई आकस्मिक योजना नहीं बनाई गई है। किसानों को फ़सल के नुकसान का उचित मुआवज़ा भी नहीं मिल पा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी की ओर से जवाब मिलते समय यह जानना चाहूंगा। आठ राज्यों में से छह ने 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की माँग की है। केंद्रीय सहायता जारी करने की स्थिति क्या है? सरकार ने अब तक कितनी धनराशि जारी की है? इससे कृषि विकास दर प्रभावित होने के अलावा, मूल्य वृद्धि की स्थिति और भी खराब हो जाएगी।

दालों की बढ़ती कीमतों के बावजूद, किसानों को अधिकतम बिक्री मूल्य (एम.एस.पी.) बहुत कम मिल रहा है और उपभोक्ताओं को एम.एस.पी. से पाँच गुना से अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि व्यापारी किसानों और उपभोक्ताओं की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। पिछले दो महीनों में, हमारे देश के लोगों द्वारा औसतन चार मिलियन टन दालों का उपभोग किया गया होगा। अगर हम यह मान लें कि किसानों को *अरहर* की दाल की मौजूदा कीमतों के हिसाब से 40 रुपये प्रति किलोग्राम का दाम मिला होता, तो व्यापारियों को प्रति किलोग्राम 180 रुपये का भारी मुनाफा होता। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रसिद्ध पत्रकार और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, श्री पी.साईनाथ ने एक पुस्तक लिखी है। उनकी पुस्तक का शीर्षक है 'एवरीबडी लव्स ए गुड ड्राउट'। ऐसा लगता है कि सरकार और उसके कॉर्पोरेट मित्रों को सूखे के स्थिति पसंद है। जब देश सूखे की चपेट में है, तब इस सरकार के कॉरपोरेट मित्र भारी मुनाफा कमा रहे हैं।

अडानी, विल्मर, टाटा, बिड़ला, रिलायंस, आई.टी.सी. - ये सभी कॉर्पोरेट कृषि-व्यवसाय इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी हैं और वे किसानों और उपभोक्ताओं की कीमत पर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। अचानक, सरकार केवल इन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए स्टॉक होल्डिंग के मानदंडों में ढील दे दी है। ये कॉर्पोरेट, जिन्होंने वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार के चुनाव अभियानों के लिए बड़ी धनराशि का भुगतान किया है, चुनाव के समय दी गई मदद के लिए 10 गुना लाभ कमा रहे हैं। यह उनके निवेश पर शानदार रिटर्न है।

महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इस भयावह स्थिति पर इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? कोई आकस्मिक योजना तैयार नहीं की गई है। मैं सहमत हूं कि बाढ़ की स्थिति से निपटना काफी मुश्किल है। हालांकि, इसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन सूखे की स्थिति से निपटने की तुलना में यह थोड़ा कठिन है। इसलिए, बाढ़ की तुलना में सूखे के स्थिति से निपटना आसान है।

अल्पकालिक उपायों के अलावा, सरकार को कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने सहित कुछ दीर्घकालिक उपाय भी करने चाहिए। कृषि में सार्वजनिक निवेश का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई पर खर्च होता है। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में, विशेष रूप से उदारीकरण के बाद की अवधि में, जब से सरकार ने विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के तहत सार्वजनिक निवेश से तेज़ी से हाथ खींच लिया है, सिंचाई में निवेश बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फिर भी, हमारे स्वतंत्रता पाने के 68 वर्ष बाद भी, हमारे 60 प्रतिशत किसान मानसून की मेहरबानी पर निर्भर हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है? इसका कारण बड़े पैमाने पर कृषि और विशेषकर सिंचाई की उपेक्षा है।

सरकार को, किसानों को तुरंत आय सहायता देनी चाहिए तथा ग्रामीण सड़कों और मनरेगा के माध्यम से खर्च बढ़ाना चाहिए। इस सरकार ने मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन कम कर दिया है। सरकार ने मनरेगा के ख़िलाफ़ हमला बोला है। सरकार को अपनी गलत नीतियों को बदलना चाहिए।

किसानों को उनकी फ़सल के नुकसान का भी मुआवज़ा नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए एक व्यापक बीमा योजना होनी चाहिए। वर्तमान प्रचलित बीमा योजना में केवल बैंक ऋण शामिल है। इससे केवल बैंकों को ही मदद मिलती है। दीर्घकालिक उपायों के भाग के रूप में, एक व्यापक फ़सल बीमा योजना तैयार की जानी चाहिए।

कृषि के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा संस्थागत ऋण की कमी है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक प्रो. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने अधिकतम चार प्रतिशत ब्याज दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का सुझाव दिया था। पिछले दिन मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था और उन्होंने टालमटोल वाला उत्तर दिया था। सरकार एन.सी.एफ. की सिफारिश को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। मैं

माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस सभा को आश्वस्त करेंगे कि सरकार किसानों को चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने संबंधी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी।

महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज जरूरत इस बात की है कि नवउदारवादी नीतियों से उत्पन्न गलत नीतियों को बदला जाए। सरकार हमेशा 'मेक इन इंडिया' और भारत को महाशक्ति बनाने के बारे में बड़े-बड़े दावे कर रही है। ये सभी दावे बार-बार किये जा रहे हैं। अपनी 60 प्रतिशत आबादी - किसानों और कृषकों को पीछे छोड़कर इस देश को महाशक्ति कैसे बनाया जा सकता है? इसलिए, मेरा अनुरोध यह है। समय की माँग है कि सही नीतियां बनाई जाएं, गलत नीतियों को समाप्त कर दिया जाए या बदल दिया जाए। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन दें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिन हमने बाढ़ पर चर्चा की थी और किसी तरह से सूखे पर भी चर्चा हुई थी। आज इसके अलावा, सूखे के मुद्दे पर और अधिक जोर दिया जा रहा है जिसकी प्रशंसनीय है। मैं ऐसा कोई आरोप नही लगाना चाहता जिससे ऐसा लगे कि मैं सरकार को उकसाने या आरोप लगाने की कोशिश कर रहा हूं। वास्तव में ऐसा नहीं है।

प्राकृतिक आपदाएँ वास्तव में किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। एक प्राकृतिक आपदा किसी भी समय देश के किसी भी हिस्से में आ सकती है जैसा कि आपके राज्य तमिलनाडु में हुआ था, जहां चेन्नई शहर बारिश और बाढ़ से बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ था। इसी प्रकार, सूखे ने भी देश के विभिन्न भागों को प्रभावित किया है। किसी के अनुसार यह अनुपात 50:50 है, जिसका अर्थ है कि देश का 50 प्रतिशत क्षेत्र सूखे से व्यापक रूप से प्रभावित है। सूखे से प्रभावित मुख्य राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्से, ओडिशा और मेरे राज्य पश्चिम बंगाल के कुछ जिले शामिल हैं। कुछ अन्य राज्य भी प्रभावित हो सकते हैं।

हमारा अवलोकन क्या है? मैंने अंतिम दिन भी माननीय मंत्री जी से धनराशि जारी करने के आकलन के बारे में पूछा था। यह कैसे तय होता है? हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ.) बाढ़, सूखा या कोई प्राकृतिक आपदा होने पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) को कुछ धनराशि देता है, और यह निधि आम लोगों/प्रभावित लोगों के लाभ और क्षेत्र की देखभाल के लिए आवंटित की जाती है। लेकिन जब कोई बड़ी आपदा आती है, तो एक केंद्रीय टीम वहां भेजी जाती है; जो उस राज्य के सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा करती है; 3-4 दिन वहां रुकती है और फिर दिल्ली वापस आती है; और अंततः एक धनराशि तय करती है, जो वास्तविकता और सच्चाई से कोसों दूर होती है।

मैंने दूसरे दिन इस बात का उल्लेख किया था, और मुझसे पहले ए.आई.ए.डी.एम.के. सदस्य भी आरोप लगा रहे थे कि वास्तव में केवल अधिकतम 20 प्रतिशत या माँगी गई कुल धनराशि से भी कम धनराशि ही आवंटित की जाती है। तो, वास्तविक प्रक्रिया क्या है? आज, हमारे मुख्यमंत्री जी 1-2 बजे में दिल्ली पहुँच रहे हैं। उनसे इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत करने की अपेक्षा की गई है।

मैंने उस दिन कहा था कि किसी तरह से हमें ऐसा महसूस होता है कि स्वतंत्रता के बाद पूर्वी क्षेत्र, अर्थात् बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, त्रिपुरा, आर्थिक पक्ष में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और इस संबंध मेंपश्चिम बंगाल सबसे अधिक प्रभावित है। किसी न किसी तरह, हमें ऐसा लगता है कि इसे निशाना बनाया जा रहा है। हमने दावा किया कि पिछली सरकार का 2,30,000 करोड़ रुपये का ऋण वर्तमान सरकार के कंधों पर आ गया है। इसलिए हमें कोई विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

जुलाई के महीने में बाढ़ ने पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया है और अगस्त के महीने में बर्धमान, पुरूलिया, पश्चिम मेदिनीपुर और बांकुरा जिलों में सूखे ने प्रभावित किया है। स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार ने एक प्रतिवेदन भेजा है, लेकिन राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकार को लिखे गए पत्र के अनुसार अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। लेकिन हमें लगता है कि प्रभावित लोग यह पता लगाने की कोशिश

कर रहे हैं कि वे कैसे जीवित रह सकते हैं और कैसे अपनी आजीविका बनाए रख सकते हैं। किसी राज्य सरकार के लिए ऐसी विनाशकारी स्थिति की चुनौती स्वीकार करना संभव नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं से राज्य कितना प्रभावित होते हैं, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। हम किसानों और आम लोगों को उम्मीद दें, अर्थात् जो लोग खेतीबाड़ी में शामिल हैं कि उन्हें बैंक से ऋण माफी की सुविधा दी जाए तथा सदन की ओर से कुछ सकारात्मक घोषणाएं की जाएं।

हमने अलग-अलग समय पर बार-बार ज़ोरदार अपील की है कि फ़सल बीमा उन किसानों के लिए बड़ी राहतों में से एक हो सकता है, जो बाढ़, सूखे या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। कभी-कभी, आपदाएं हमें अलग-अलग नामों से प्रभावित करती हैं। बंगाल में, *आइला* नाम से एक गंभीर चक्रवाती तूफ़ान था, जो बहुत विनाशकारी था। सुनामी के साथ भी ऐसा ही है, जो अलग-अलग नामों से आता है। इस प्रकार के तूफान हर जगह तबाही मचाते हैं और कोई भी यह आकलन नहीं कर सकता कि ये तूफान किसी राज्य के आर्थिक ढांचे को किस हद तक नष्ट कर सकते हैं। किसी राज्य के लिए इन सभी चीज़ों से निपटना संभव नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को इसके लिए आगे आना होगा। फसल बीमा के मुद्दों पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा। जैसा कि वे आपदा होने पर नुकसान का आकलन करने के लिए प्रतिनिधि भेजते हैं, उसी प्रकार उन्हें फ़सल बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत आने वाले किसानों का प्रतिशत पता लगाने के लिए पहले से ही प्रतिनिधि भेजने चाहिए। राज्य सरकार के साथ सहमति होनी चाहिए। एक केंद्रीय टीम जाकर ऋण लेने वाले किसानों की संख्या और उन किसानों की संख्या का आकलन कर सकती है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर बैंक ऋण माफी सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। यह किसी आरोप या अभियोग का प्रश्न नहीं है।

<u>अपराह्न 3.31 बजे</u> (श्री हुकुम सिंह *पीठासीन हुए*)

आठ राज्य सूखे से प्रभावित हैं। कौन सा राज्य किस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। पीड़ित हमेशा पीड़ित ही रहते हैं। जो भी प्रभावित व्यक्ति है वह भारतीय है, पेशे से किसान है, और उसका मामला मज़बूती से उठाया जाना चाहिए। सरकार को इस अवसर पर पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाना

चाहिए। सरकार को इस अवसर पर सकारात्मक दृष्टिकोण, दूरदर्शिता और सकारात्मक योजना के साथ आगे आना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि यह हमारी योजना है और यह सकारात्मक तरीका है जिससे हम इसे क्रियान्वित करने जा रहे हैं। बाढ़, सूखा या किसी अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई केंद्रीय योजनाएं हैं। विभिन्न केंद्रीय परियोजनाएं हैं। लेकिन उनमें से कितने वास्तव में कार्यान्वित किये जा रहे हैं? सदस्य चिंतित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि सरकार सकारात्मक संकेत देगी ताकि प्रभावित लोग महसूस कर सकें कि सभा में चर्चा के कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। यह केवल बहस का सवाल नहीं है जिसका जवाब मंत्री जी ने देना है, ताकि हमें लगे कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं।

समय आ गया है जब इस मुद्दे को सकारात्मक आयाम दिया जाए। लोग यह देखना चाहते हैं कि इन चर्चाओं और बहसों से परिमाण सामने आ रहे हैं हैं और इनमें सकारात्मक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। उनके द्वारा प्रभावित लोगों और राज्य सरकारों को कुछ सकारात्मक उम्मीद दी जानी चाहिए। अब समय आ गया है कि एक बहुत ही सकारात्मक, योजनाबद्ध प्रणाली बनाई जाए। हमारी स्वतंत्रता के बाद, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना और फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना आई। इस प्रकार, उसके बाद यह क्रम लगातार चलता रहा। ऐसे में, हमें यह तय करना चाहिए कि वे कौन से मामले हैं, जिन्हें हमें अपने नए और स्वतंत्र देश के निर्माण के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू में दूरदर्शिता और प्रबंधकीय दक्षता थी और उन्होंने इन चीज़ों को दूरदर्शिता के साथ लागू किया। इसलिए, कृषि मंत्रालय का एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और, इसे सभा पटल पर रखने के बाद, उस दृष्टिकोण पर चर्चा और बहस की जानी चाहिए, ताकि इसके कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आ सकें।

माननीय मंत्री जी बहुत ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं। मैं उनसे हमारी भावनाओं सहित ऐसे सभी मुद्दों को उठाने का आग्रह करता हूं, जो हम बार-बार कहते रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में पूर्वी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। जबकि

देश के अन्य हिस्सों का ध्यान रखा जा रहा है या बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखा जा रहा है, हर सरकार द्वारा हर बार इन राज्यों की उपेक्षा की जा रही है। इस समय, पश्चिम बंगालभारी ऋण के कारण भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया था। एक तरफ वो ऋण चुकाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विकास के काम भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह ऐसे मुद्दों पर हस्तक्षेप करे। उन्हें एक सकारात्मक जवाब देने दें ताकि बंगाल और पूरे देश के लोग जान सकें कि एक सकारात्मक चर्चा हुई है। हमें इस बहस के बाद कम से कम कुछ राहत महसूस होगी।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, सभा द्वारा कृषि, किसानों की परेशानी, हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की परेशानी पर अलग से चर्चा करना बहुत ही दयालुतापूर्ण था, हालांकि पहले इसे बाढ़ पर चर्चा के साथ जोड़ दिया गया था। सभा ने यह निर्णय लिया और सरकार ने नरम रुख अपनाया। यह बहुत अच्छा संकेत है, जो सभा इस शीतकालीन सत्र में राष्ट्र को दे रहा है।

हमारे पचास प्रतिशत से अधिक जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं। जब हम कहते हैं कि पचास प्रतिशत से अधिक जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं, तो इसका स्तर अलग-अलग होता है। अल्प वर्षा के कारण, कहीं यह 20 प्रतिशत से कम था, और कहीं यह 60 प्रतिशत से कम था। जहां यह साठ प्रतिशत से कम है, उन जिलों में शायद ही कोई *रबी* फ़सल हो सकती है, क्योंकि उस मिट्टी की नमी पूरी तरह खत्म हो गई है।

हमारे ओडिशा के मुख्यमंत्री जी श्री नवीन पटनायक ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को ओडिशा में सूखे की गंभीर स्थिति के संबंध में 20 नवबंर को एक पत्र लिखा था। एक उच्च-स्तरीय अंतर-विभागीय या एक मंत्रिस्तरीय समिति ने 3 दिसंबर को हमारे राज्य का दौरा किया। वे दो समूहों में, नुआपाड़ा, कालाहांडी, बरगढ़ और बोलंगीर नामक चार जिलों में गए। उन्होंने कल से ठीक एक दिन पहले 5 दिसंबर को एक बैठक की। उन्होंने बयान दिया है कि ओडिशा में सूखे की जो स्थिति हमने सोची थी, वह उससे कहीं अधिक गंभीर है। वे उस स्थान पर गए। मैं आपको बताता हूं कि जब इन अंतर-मंत्रालयी अधिकारियों में से अधिकांश खेतों में जाते हैं,

जब वे किसानों के खेतों में जाते हैं, जब वे खेती की ज़मीन पर जाते हैं और जब वे राज्य की राजधानी में वापस आते हैं, तो किसी न किसी तरह वे सच बता देते हैं। लेकिन अंतत: जब वे दिल्ली आते हैं, जब वे केंद्र सरकार को प्रतिवेदन दे देते हैं और जब दूसरी बैठक होती है, -- वह भी अंतर-मंत्रालयी बैठक होती है, मैं कहूंगा कि हमारे अच्छे मित्र कृषि मंत्री जी श्री राधा मोहन सिंह इसे बुरा नहीं मानेंगे - उनके मंत्रालय की बात बहुत कम सुनी जाती है। श्री सुदीप *दा* यह प्रश्न पूछ रहे थे कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। चीजें बदलती रहती हैं क्योंकि अंततः यह वित्त पर निर्भर करता है।

मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि न तो गृह मंत्रालय से कोई यहां मौजूद है और न ही वित्त मंत्रालय से कोई यहां आया है। यही कारण है कि जब हम बाढ़ से संबंधित आपदा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हमने इस बात पर जोर दिया था कि सूखे पर अलग से चर्चा की जाए, क्योंकि हमें लगता था कि कम से कम गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से कोई तो इस पर ध्यान देगा और इस मामले में हस्तक्षेप कर सकेगा। हमे उम्मीद है कि जब कल शाम 4.00 बजे के बाद इस विषय पर चर्चा होगी - हम कुछ विधेयकों पर चर्चा कर रहे हैं - हमारे योग्य कृषि मंत्री जी अपने सहयोगियों से भी आग्रह करेंगे कि वे भी यहां आएं और इस चर्चा में भाग लें, क्योंकि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। भारत में पहली बार लगातार रबी की फ़सल खराब हुई है, खरीफ की फ़सल खराब हुई है, फिर रबी की फ़सल खराब हुई है, और फिर खरीफ की फ़सल खराब हुई है। चार फ़सलें बार-बार खराब हुई हैं। और फिर, हमारे देश के एक बड़े हिस्से में रबी की फ़सल खराब होने जा रही है। बुवाई नहीं होगी। यही हमारी चिंता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रभावित राज्य सरकारों को एक साथ लाकर यह पता लगाने का ठोस प्रयास किया जा रहा है कि और कौन-से बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है।

महोदय, वर्ष 2013 और 2014 में ओडिशा में लगातार फसल नहीं हुई हैं। भयंकर चक्रवातों ने हमें प्रभावित किया। फैलिन और हुदहुद जैसे चक्रवातों ने वर्ष 2013 और 2014 में हमें प्रभावित किया। जैसा कि आमतौर पर होता है, इन चक्रवातों के बाद भारी और लगातार बारिश हुई जिससे अचानक बाढ़ आ गई। इन दो चक्रवातों के कारण हुई तबाही कल्पना से परे थी। यह स्थायी तैयारी के कारण ही था कि हज़ारों लोगों की जान

और संपत्ति बचाई जा सकी, और इसकी सराहना अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा भी की गई। हालांकि, लोगों की आजीविका को हुए नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। जबकि लोग अभी तक उपरोक्त दो बड़ी आपदाओं के सदमें से उबर नहीं पाए हैं, चालू वर्ष में बहुत कम बारिश के कारण ओडिशा में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है।

ओडिशा को वर्ष 1966 में एक गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा था। वह एक अकाल जैसी स्थिति थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी कालाहांडी और नुआपाड़ा गए थे। नुआपाड़ा में भी अब ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। सूखा एक धीमी गति से आने वाली और विनाशकारी आपदा है, जिसका प्रभाव लोगों पर काफी लंबे समय तक रहता है। हालांकि, सूखे के कारण प्राथमिक नुकसान कृषि को ही होगा, अगले वर्ष मानसून तक पानी की बहुत अधिक कमी हों से कई अन्य समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिनमें पीने और अन्य उपयोगों के लिए पानी की कमी, खाद्यान्नों की कमी, कुपोषण तथा मनुष्यों और पशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे शामिल हैं।

महोदय, इस संदर्भ में ओडिशा सरकार ने एक अंतरिम ज्ञापन दिया है, जिसके बाद एक और अतिरिक्त ज्ञापन भी दिया गया है, जिसकी धनराशि 2,200 करोड़ रुपये है। ओडिशा सरकार ने छह मदों यानि कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए 927.779 करोड़ रुपये; फसल ऋण के रूपांतरण के लिए 912.66 करोड़ रुपये; लघु सिंचाई परियोजनाओं के पुनरुद्धार, लिफ्ट और प्रवाह दोनों के लिए 52.49 करोड़ रुपये; चारा और दवा का प्रावधान आदि पर धनराशि की मांग की है इसमें 72 करोड़ रुपए, चारा संसाधनों को मज़बूत करने के लिए 9 करोड़ रुपए, खाद्य सहायता राहत के लिए 200 करोड़ रुपए, आपातकालीन पेयजल आपूर्ति के लिए 24.78 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसकी धनराशि 2,199.66 करोड़ रुपये है।

जैसा कि सुदीप दा ने अभी बताया है कि एक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है, कोई कह सकता है कि आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? 14$^{वें}$ वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, वर्ष 2015-16 के लिए ओडिशा के लिए निधि 747 करोड़ रुपये है। इसमें से राज्य का हिस्सा 186.75 एक करोड़ रुपये और केंद्रीय हिस्सेदारी 560.25 करोड़ रुपये है। इसमें से केंद्र और राज्य के हिस्से की पहली किश्त के रूप में 343.5

करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2015 तक एस.डी.आर.एफ. खाते में प्रारंभिक शेष के रूप में 23.41 करोड़ रुपये उपलब्ध थे। मैं यह समझा रहा हूं क्योंकि यहां एक उदाहरण दिया गया है कि वास्तव में दिल्ली में वास्तव में लेखांकन कैसे होता है। इस प्रकार, 20 नवंबर, 2015 तक एस.डी.आर.एफ. खाते में उपलब्ध कुल धनराशि 396.918 करोड़ रुपये थी।

इस बीच, आपदा से निपटने के उपायों के लिए 440 करोड़ रुपये का खर्च भी हुआ है। एस.डी.आर.एफ. में शेष धनराशि (-) 44.042 करोड़ रुपये हो गई है? इसके लिए कुछ मानदंड हैं: वर्ष की पहली किश्त का 25 प्रतिशत क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए; खोज उपकरणों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत; राज्य-विशिष्ट आपदा के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित किया जाना है। इस प्रकार एस.डी.आर.एफ. कोष में शुद्ध शेष धनराशि (-) 110 करोड़ रुपये हो जाती है। आप हमें राज्य प्रतिक्रिया निधि बनाने और उसका उपयोग करने के लिए कैसे कहेंगे?

यह मामला ओडिशा का है। इसी तरह, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु अथवा किसी अन्य राज्य में ऐसा हो रहा होगा, जहां आपदा आ रही है या जहां सूखा पड़ा है। यह स्थिति है। किसी भी राज्य के पास पैसा नहीं है। बल्कि, यह माइनस में चल रहा है। इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय से कोई यहां उपस्थित होना चाहिए। वित्त मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। यही स्थिति है। हमें वह क्यों नहीं मिलना चाहिए जो हमारा हक है? यदि माननीय सदस्यगण, जैसा कि श्री सत्पथी जी ने दूसरे दिन अपनी पीड़ा व्यक्त की थी और कहा था कि इस सरकार द्वारा अभी भी सौतेला व्यवहार दिखाया जा रहा है, क्या यह कह सकते हैं कि यह *अतिशयोक्ति* है?

यह वर्ष, किसानों के लिए बहुत बुरा वर्ष रहा। किसानों को लगातार प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। यदि एक फ़सल खराब हो जाए, तो वे नई फ़सल की प्रतीक्षा कर सकते हैं। लेकिन मानसून के बाद लगातार, वर्ष 2013 में फ़सलें नष्ट हो गईं, रबी की फ़सल खराब हो गई, वर्ष 2014 में हुदहुद चक्रवात ने हमें प्रभावित किया और फिर उस्के बाद बारिश भी नहीं हुई। अब दक्षिण-पश्चिम मानसून भी विफल हो गया है। किसान कैसे जीवित रह सकते हैं? उन्होंने उम्मीद खो दी है। क्योंकि अब मिट्टी में बहुत कम नमी है, मुझे आश्चर्य

है कि क्या यह रबी मौसम कोई उम्मीद लाएगा। किसानों को जीवित रहने के लिए कुछ आय सहायता प्रदान करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अल्पकालिक उपायों के रूप में, किसानों को फ़सल क्षति के लिए मुआवज़ा देना और फ़सल ऋण पर ब्याज माफ करने के उपाय तुरंत किये जाने चाहिए। मैं सरकार से प्रभावी फ़सल बीमा योजना लाने का आग्रह करता हूं।

मैं यहां तीन या चार मुद्दे रखना चाहूंगा। मुख्य मुद्दा फसल ऋण से संबंधित है। बीमा भाग एक अन्य प्रमुख मुद्दा है जिस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आज स्थिति क्या है? सरकार द्वारा एक नया मानदंड तैयार किया गया है और यह नया मानदंड कृषि ऋण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्गीकरण के बीच के अंतर को हटाना है, हालांकि, कृषि के लिए दिए जाने वाले बैंक ऋण का 18 प्रतिशत नहीं बदला गया है। यह किसानों को ऋण उपलब्ध कराने पर सीधा प्रहार है। वह 18 प्रतिशत तो है ही, लेकिन ऋण प्रदान करने का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रावधान था। अप्रत्यक्ष वित्त पोषण एन.बी.सी. के 4.5 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था, जबकि कम से कम 13.5 प्रतिशत सीधे किसानों को दिया जाना अनिवार्य किया गया। अब, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। क्या हुआ था? इसे व्यापक रूप से खोल दिया गया है।

कृषि ऋण, कृषि अवसंरचना और सहायक गतिविधियाँ - ये तीन मानदंड हैं जिनके द्वारा ऋण संवितरित किया जा सकता है। इसलिए, आप यह निर्णय बैंक प्रबंधक या बैंक पर छोड़ देते हैं कि आप सीधे किसान को ऋण प्रदान कर रहे हैं या, बुनियादी ढांचे या सहायक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान कर रहे हैं। इसलिए, वर्ष 1969 से, एक किसान को बैंकों से जो प्रत्यक्ष लाभ था, वह समाप्त कर दिया गया है। यही एक प्रमुख कारण है कि किसान अब नकदी या अल्पावधि ऋण के लिए साहूकारों या अन्य व्यक्तियों के पास भाग रहे हैं। वहां से उन्हें ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है। इसमें उच्च स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है। मंत्रालय या कैबिनेट स्तर पर इस पहलू पर निर्णय लें।

वर्ष 1996, में आर.आई.डी.एफ. की स्थापना की गई; जो भी बैंक कृषि को 13.5 प्रतिशत या 4.5 प्रतिशत ब्याज नहीं देगा, वह धनराशि ग्रामीण विकास के लिए आर.आई.डी.एफ. में जमा कर दी जाएगी। बड़ी

संख्या में बैंक ऐसा करते हैं। वे आर.आई.डी.एफ. और नाबार्ड में पैसा जमा करते हैं। अंततः अप्रत्यक्ष रूप से इससे ग्रामीण क्षेत्रों के पुनरुद्धार में मदद मिल रही है, लेकिन किसानों को ऋण से वंचित किया जा रहा है।

आज, वर्तमान मानदंड यह कहता है - मैं एक अन्य पहलू पर भी बात करना चाहूंगा - कि छोटे और सीमांत किसानों को चरणबद्ध तरीके से ऋण दिया जाना है, यानी वर्ष 2016 मार्च तक, यह सात प्रतिशत होना चाहिए और वर्ष 2017 तक यह आठ प्रतिशत हो जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब नई सरकार आई है। यह आश्वासन सरकार ने दिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कम लक्ष्य भी हासिल हो जाएंगे। अगले वर्ष बजट पेश होने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। हम अप्रैल में इसका जायजा ले सकते हैं, लेकिन यह लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि आर.बी.आई. के आंकड़े कहते हैं कि मार्च 2013 तक छोटे और सीमांत किसानों को केवल पाँच प्रतिशत ऋण दिया गया है।

यहां बड़ा मुद्दा यह है कि वर्ष 2010-11 में 2.48 करोड़ छोटे किसान थे, जो कुल जोत का लगभग 17.93 प्रतिशत है; 9.28 करोड़ सीमांत किसान थे, जो कुल जोत का 67.10 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, देश में 3.83 करोड़ कृषि जोतों में से 85 प्रतिशत कृषि भूमि छोटे और सीमांत किसानों के पास है; और आप किसानों को कितना ऋण उपलब्ध करा रहे हैं?

हर कोई चिंतित है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कृषि में संकट है; इस देश में कृषि संकट है। किसानों की गरीबी बढ़ती जा रही है। ... (*व्यवधान*) पाँच अन्य बिंदु हैं जिनका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं। ... (*व्यवधान*) यह मूल रूप से उन क्षेत्रों में हो रहा है जो हरित क्रांति से पहले किसी समय देश के अन्न भंडार हुआ करते थे। यह देश का पूर्वी भाग, पूर्वी भारत है। जब आप ब्रिटिश भारत के अभिलेखों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यह पूर्वी भारत ही था, जो भारतीयों को भोजन उपलब्ध कराता था, लेकिन आज यह स्थिति है!

ओडिशा में हमारी सरकार ने क्या किया है? अब ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार अनुदान दे रही है और ओडिशा सरकार भी अनुदान दे रही है। हम किसानों को एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं और इसीलिए हम ऋण उपलब्ध कराते समय केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।

एक अन्य मुद्दा नरेगा से संबंधित है। जैसा कि चर्चा शुरू करने वाले श्री सिंधिया जी ने बताया कि ओडिशा सरकार ने कानून के अनुसार माँग पर 100 दिन के काम की गारंटी दी है, क्योंकि हम गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं, ओडिशा सरकार ने 100 दिन की गारंटी को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। ओडिशा में, अकुशल श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक या मज़दूरी दर केवल 174 रुपये है, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर के अतिरिक्त 52 रुपये अतिरिक्त प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अन्य कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : सर, ओडिशा से अकेला मैं ही हूं बोलने के लिए। 30 जिलों में से, हमारे 23 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार 174 रुपये के अलावा, 52 रुपये अतिरिक्त दे रही है, जिससे यह धनराशि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 226 रुपये हो जाती है। हमें इसके लिए धन नहीं चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को लिखा है कि मनरेगा के अंतर्गत एक सक्षम प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि अब उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ताकि राज्य सरकार श्रमिकों को यह अतिरिक्त प्रोत्साहन दे सके, और यह पैसा भी उनके खातों में जा सके। इसके अलावा, ओडिशा के लिए निर्धारित मनरेगा के तहत मज़दूरी दर को बढ़ाकर 200 रुपये किया जाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यही माँग की है।

मैं फ़सल बीमा से संबंधित दूसरे पहलू पर आता हूं।

माननीय सभापति: कृपया अपना भाषण एक मिनट में समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, फ़सल बीमा में थोड़ा और समय लगेगा। मैं यह कहूंगा कि फ़सल बीमा की व्यवस्था पाँच-छह वर्षों में विकसित हुई है। यू.पी.ए. सरकार के पास फ़सल बीमा प्रणाली थी, जिसे बाद में बेहतर बनाया गया। जैसा कि कहा गया था, फ़सल बीमा अब उस पैसे से जुड़ गया है, जो किसान द्वारा बैंक से

निकाला जाता है। यह ऋण के साथ जुड़ा हुआ है और फ़सल के नुकसान से इसका बहुत कम संबंध है। यहीं पर किसानों को वास्तव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब तक बीमा प्रीमियम को कम नहीं किया जाता और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों द्वारा नहीं ली जाती, तब तक किसान हमेशा संकट में ही रहेंगे।

हमें किसानों के सामने आने वाला जोखिम कम करने के लिए, एक प्रभावी फ़सल बीमा कार्यक्रम की आवश्यकता है। यह रक्षा की पहली पंक्ति होनी चाहिए। ऐसा बीमा उत्पाद, जिसमें आपदा के तुरंत बाद मुआवज़ा नहीं मिलता, वह बहुत अधिक उपयोगी नहीं है। फ़सल बीमा के संबंध में चीन (चीन) का अनुभव भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की बीमा कंपनियां हैं, जो फ़सल बीमा प्रदान करती हैं, लेकिन इसके लिए अधिक सक्रिय सरकार की आवश्यकता है।

महोदय, आर.बी.आई. के जून 2015 के वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदन में कहा गया है कि कृषि बीमा की कवरेज अभी भी कम है क्योंकि केवल 4 प्रतिशत किसानों के पास ही फ़सल बीमा है। मैं सभा का ध्यान एक गंभीर आपूर्ति पक्ष बाधा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो प्रीमियम अनुपात के प्रतिकूल दावे हैं। वर्ष 1999-2000 से रबी वर्ष 2014-15 तक, फ़सल बीमा योजना के तहत 25,760 करोड़ रुपये रुपये का प्रीमियम जुटाया गया, लेकिन 47,785 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया। यह दोषपूर्ण डिज़ाइन को दर्शाता है।

हाल ही में, 1 दिसंबर को, कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी ने राष्ट्रीय फ़सल बीमा कार्यक्रम पर एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, इसमें विशेष रूप से कमियों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार ने मौजूदा फ़सल बीमा योजना के संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुझे खुशी होगी, सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार क्या सोच रही है। आप कौन से नए उपाय करने जा रहे हैं क्योंकि सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा से किसानों को बचाने के लिए यह रक्षा की पहली पंक्ति होगी। यहां, फ़सल खराब होने पर किसानों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्हें तीन या आठ महीने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए और

कुछ अधिकारियों, कुछ लोगों की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो बीमा कंपनी के लिए सर्वेक्षण करेंगे। और, जहां तक ब्याज सहायता को घटाकर एक प्रतिशत करने की बात है, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यदि आप इसे केवल 1 प्रतिशत कर दें, जो किसानों को बीमा के संबंध में देना होगा, तो यह किसानों के लिए एक बड़ी सेवा होगी।

माननीय सभापति: श्री महताब जी, 4.00 बजे अगला विधेयक लिया जाना है। कृपया अब समाप्त करें।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

[हिन्दी]

आप अपनी बात एक-दो मिनट में समाप्त कर दें, चार बज रहे हैं, चार बजे सदन में बिल पर चर्चा होनी है। इसलिए आप अपनी बात संक्षेप में कह दें, इस विषय पर काफी सदस्यों ने अपनी बात कहनी है।

श्री भर्तृहरि महताब : प्रीमियम में किसान द्वारा दिए जाने वाले अंश में जो वृद्धि हुई है पिछले कई सालों में, यही एक मार है किसान के ऊपर इसलिए इसमें संशोधन किया जाना जरूरी है। आधिक जोखिम वाले जिले में ज्यादा प्रीमियम किसानों से लिया जाता है, यह और भी एक उदाहरण है, मिसाल है कि किस तरह किसानों पर जुल्म हो रहा है इंश्योरेंस के जरिए। बीमा कम्पनीज के जिला क्षेत्र के आबंटन में राज्यों द्वारा कई कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, इन्हें भी दूर करने की जरूरत है। अगर समय होता है, तो मैं इस पर भी कुछ सुझाव देता।

मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि किसानों के दिल में भरोसा जगाने की जरूरत है। इसमें एक बड़ी चीज यह है कि एक ए.आई.बी.पी. नाम से कार्यक्रम चल रहा था। **[अनुवाद]** त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, सरकार द्वारा प्रदान किया गया सहायता तंत्र था, जिसमें अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न होने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्या हुआ था? एक उदाहरण यह है कि वर्ष 2012-13 में ओडिशा को केवल 14.82करोड़ रुपये प्रदान किये गए थे। यह जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित था।

इस वर्ष, 2015-16 के बजट में, ए.आई.बी.पी. को पूरी तरह से पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है। हमें अपने भूजल को फिर से भरना होगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 में 1889 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया, जिसमें से 13.17 करोड़ रुपये वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किये गए हैं। वर्ष 2015-16 से संबंधित राज्य का केंद्रीय हिस्सा प्रावधान जारी नहीं किया गया है। अगर यह स्थिति है तो हम किसानों की मदद कैसे कर सकते हैं?

माननीय सभापति : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। आपने 27 मिनट से ज्यादा का समय लिया है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, हमारे 23 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं। ओडिशा के चार करोड़ लोगों में से, तीन करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। समस्या यह है कि सूखे की स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि हमें मानसून तक इंतज़ार करना पड़ता है। जब तक बारिश नहीं आती है, तब तक हमें अपने लिफ्ट प्वाइंट विकसित करने होंगे। हमें वहां पीने का पानी उपलब्ध कराना होगा जहां भूजल स्तर नीचे चला गया है। अधिक ट्यूबवेल खोदने होंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय को और अधिक व्यापक रूप से आगे आना होगा। यहां प्रश्न केवल रबी की फसल के लिए बीज उपलब्ध कराने का नहीं है। मुझे लगता है कि इसके लिए एक व्यापक चर्चा करनी आवश्यक है। इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार को चर्चा करनी चाहिए और आगामी अनुपूरक बजट में सूखा प्रभावित किसानों के समर्थन में कुछ प्रावधान करना चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले कहा था, वित्त मंत्री जी, गृह मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी आकर हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्हें इसे केवल कृषि मंत्री जी पर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि यह एक बड़ा मुद्दा है। अब सभा का सत्र चल रहा है और अब समय आ गया है कि केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को मिलकर प्रयास करना होगा।

मैं यह कहने के बारे में नहीं सोच रहा था लेकिन जब बाढ़ आती है और जब चक्रवात आता है, तो इसका प्रभाव उसी समय होता है, लेकिन जब सूखा पड़ता है, तो यह धीमे ज़हर की तरह काम करता है। इसीलिए, सभा

की चिंता दिखाई देनी चाहिए और विशेष रूप से बीमा क्षेत्र से संबंधित और बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से ऋण प्रदान करने से संबंधित पर्याप्त प्रावधान किये जाने चाहिए। धन्यवाद।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: आप पहले ही यह मुद्दा उठा चुके हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): महोदय, आप सभापीठ से सरकार को कुछ निर्देश दे सकते हैं।

माननीय सभापति: यह चर्चा कल भी जारी रहेगी।

श्री के. सी. वेणुगोपाल : महोदय, गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री जी... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कुछ भी अभिलेख में नहीं जाएगा।

... (*व्यवधान*)... [6*]

[6*]कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 4.06 बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015 – जारी

माननीय सभापति: यह सदन अब मद संख्या 21 – उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, पर विचार करेगा।

डॉ. के. कामराज जारी रखें।

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची): माननीय सभापति महोदय, विधेयक पर चर्चा में अपने भाषण को जारी रखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका के जवाब में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष की प्रैक्टिस को पेंशन लाभ के रूप में 1 अप्रैल, 2004 से बार से पदोन्नत न्यायाधीशों के लिए अर्हक सेवा के रूप में जोड़ा जाए, जैसा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2005 की धारा 13ए में भी कहा गया है।

इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि एक सफल वकील द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्राप्त अनुभव और ज्ञान को, किसी भी दृष्टिकोण से न्यायिक अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुभव से कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले कानून में ऐसी विसंगति मौजूद नहीं है।

इस संशोधन में भारत सरकार के अधिनियम 1935 के कुछ प्रावधानों को हटा दिया गया है। स्वतंत्रता-पूर्व युग में न्यायालयों से संबंधित कुछ प्रावधान हटा दिए गए हैं। पूर्ववर्ती अधिनियम में शामिल अनेक अप्रचलित खंडों को हटा दिया गया है तथा कुछ खंडों को संशोधित कर उनके स्थान पर उपयुक्त शब्द जोड़े गए हैं, ताकि

अधिनियम को प्रभावी और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के अधिनियमों के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप अद्यतन बनाया जा सके।

महोदय, सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उस न्यायालय में वकालत का अभ्यास नहीं कर सकते जहां वे काम कर रहे थे और उन्हें केवल अन्य उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में ही वकालत का अभ्यास करना होता है। वकीलों के साथ तुलना करने पर, चाहे वे व्यक्तिगत अभ्यास में हों या कानूनी फर्म में, इसमें कोई विवाद नहीं है कि न्यायाधीशों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। अपर्याप्त न्यायिक वेतन, विशेषकर जब वकीलों की कमाई से तुलना की जाती है, तो कई युवा और प्रतिभाशाली वकीलों को अवसर मिलने उत्तरदायित्व लेने से रोका जाता है। एक वकील के जीवन का सबसे अधिक उत्पादक और सर्वाधिक कमाई वाला समय आमतौर पर 50 से 70 वर्ष की आयु के बीच होता है।

वर्तमान में उच्च न्यायालयों में अनेक पद खाली हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1071 स्वीकृत पदों में से लगभग 35 प्रतिशत पद वर्तमान में खाली हैं। यह शायद इस तथ्य का प्रतिबिंब भी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए एक मौद्रिक बलिदान की आवश्यकता होती है जो प्रतिभाशाली और ईमानदार वकीलों को इसे लेने से रोकता है।

यह मामूली संशोधन, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार लाया गया है। इससे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों को लाभ मिलेगा। साथ ही, यह प्रतिभाशाली और सेवा-उन्मुख अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के पद लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कानून मंत्री जी के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि जिस विधेयक को परिचालित किया गया है, उसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1958 में जो संशोधन कर रहे हैं, उसके बारे में अनुलग्नक में बहुत सारी त्रुटियां शामिल हैं।

जो भाग संशोधित किये जा रहे है या जिन्हें छोड़ा जा रहा है, वे इस विधेयक में नहीं पाए जाते हैं। विधेयक के साथ-साथ परिचालित अनुबंध में, अधिनियम की कुछ धाराएं भी नहीं पाई जाती हैं।

<u>अपराह्न 4.11 बजे</u> (श्री आनन्दराव अडसुल *पीठासीन*)

मैं माननीय मंत्री जी महोदय को यह सूचित करना चाहता हूं कि हाल ही में सदस्यों को परिचालित किये गए विधेयकों में कई प्रकार की त्रुटियां विद्यमान रहती हैं। उनमें से कुछ को कोरिगेंडा के माध्यम से ठीक किया जाता है, उस्के बाद त्रुटियों को एक और कोरिगेंडा से ठीक किया जाता है। नये सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों तथा संशोधन के उद्देश्य को समझने में बहुत कठिनाई होती है।

इसलिए, मैं माननीय विधि मंत्री जी से त्रुटिहीन विधेयकों को परिचालित करने एवं मूल अधिनियम के साथ सम्पूर्ण विधेयक को भी प्रकाशित करने का अनुरोध करता हूं, ताकि सदस्य आसानी से विधेयक को पढ़ और समझ सकें।

माननीय मुख्यमंत्री जी, पुराची थलाइवी अम्मा की अध्यक्षता में तमिलनाडु सरकार न्यायिक प्रशासन और उच्च न्यायालय में सभी सुविधाओं का विस्तार करने में किसी से पीछे नहीं है।

पुनः सरकार को मद्रास बार एवं दक्षिण भारत के लोगों की चैन्नई में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की माँग को पूरा करने पर विचार करना चाहिए, ताकि भारत के दक्षिण में रहने वाले लोगों की विधिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। … (*व्यवधान*)

श्री एस.पी.मुदाहनुमेगौड़ा (तुमकुर): कृपया इसे बेंगलुरू में आयोजित करने का उदारतापूर्वक प्रयास करें। यह हमेशा आपके बचाव के लिए आएगा। … (*व्यवधान*)

डॉ. के. कामराज : चेन्नई पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए आदर्श स्थान है। मैं पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में क्षेत्रीय अदालतों की स्थापना के विचार से भी सहमत हूं।

इन दिनों यह देखने में आ रहा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जनहित याचिकाओं से भरे पड़े हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिकाओं के रूप में प्रच्छन्न प्रेरित, स्व-केंद्रित, निजी और व्यक्तिगत हित याचिकाओं पर कड़ी फटकार लगाए जाने के बावजूद, ऐसी व्यक्तिगत हित याचिकाएं न्यायालयों को परेशान करना जारी रखती हैं। अदालत और सरकारी कर्मचारियों का अधिकांश समय इन तुच्छ याचिकाओं से बर्बाद हो जाता है। सरकार को उचित कानून बनाकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

संसद ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत की उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग प्रस्तावित करने के लिए संविधान (नौवें संशोधन) अधिनियम, 2014 पारित किया।

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने इस आधार पर इस कानून को रद्द कर दिया था कि यह संविधान की मूल विशेषता का उल्लंघन कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए हमारे पास विश्वसनीय और त्रुटिरहित प्रणाली नहीं है।

मैं सरकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने के प्रावधान के साथ एक नया और विश्वसनीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक लाने का आग्रह करता हूं, जैसा कि हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी पुराची थलाइवी अम्मा द्वारा माँग की गई है।

अंत में, इस विधेयक में संशोधन सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए 'एक रैंक एक पेंशन' के सिद्धांत में लाया गया है। हमारी पार्टी, ए.आई.ए.डी.एम.के., उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 द्वारा किये गए संशोधनों का स्वागत करती है।

श्री तथागत सत्पथी (धेंकनाल): महोदय, आपने मुझे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उद्देश्यों और कारणों का कथन पढ़ना दिलचस्प है। उद्देश्यों और कारणों के कथन से संबंधित पहले पैराग्राफ के अनुसार:

"समय बीतने के साथ, उपरोक्त कृत्यों में कुछ प्रावधान पुराने हो गए हैं।"

पहले पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति कहती हैः

“दोनों अधिनियमों में न्यायाधीशों के अवकाश भत्ते के निर्धारण से संबंधित कुछ प्रावधानों को सरल बनाने की आवश्यकता है।”

हम सब जानते हैं कि इस विधेयक का जन्म इसलिए हुआ, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन की समीक्षा करने के लिए कहा था। हम सभी जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका भारी दबाव में है। मैं न्यायपालिका के फैसले में नहीं बैठा हूं। वे हम सही का मूल्यांकन कर रहे हैं। वे लोगों की आवाज़, सदन का भी मूल्यांकन कर रहें हैं। एन.जे.ए.सी. की निंदा करना या उसे नकारना न केवल सरकार या सभा के मुंह पर, बल्कि इस देश की जनता के मुंह पर भी तमाचा है। यह बहुत दुखद घटना है। हम सभी चिंतित हैं। इस देश के लिए सोचने वाले लोग चिंतित हैं, क्योंकि यह सिर्फ कुछ न्यायधीशों का फ़ैसला नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो इस देश में हावी हो रही है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधीशों को बहुत अच्छा वेतन मिलना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप इन सभी अफवाहों और इन सभी झूठे दावों को रोक सकते हैं जो आज खुले समाज में फैल रहे हैं कि हमारे न्यायाधीश भ्रष्ट हैं। इन झूठी बातों को ख़त्म किया जाना चाहिए. कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि हमारे न्यायाधीश भ्रष्ट हैं। इसलिए, हम सभी को यह सुनकर दुख होता है कि सबसे छोटी न्यायपालिका से

लेकर सबसे उच्च न्यायालय तक, अमीर, धनवान और वे लोग जिनकी पहुँच है, जिनके पास ताकत है, वे सबकुछ करके भी बच निकलते हैं।

मुझे याद है कि जब एक बड़े उद्योगपति का नाम नीरा राडिया टेप में आया, तो वे सोमवार को उच्चतम न्यायालय गए और कहा कि टेप को और लीक नहीं होने देना चाहिए। सुनवाई उसी सप्ताह बुधवार को हुई थी। फ़ैसला उसी शुक्रवार को आया, उस सप्ताह का शुक्रवार, जो कि अंतिम कार्य दिवस था। फ़ैसले में कहा गया है कि हम मुंबई के इस जाने-माने बड़े उद्योगपति से संबंधित नीरा राडिया टेप के आगे लीक होने के सभी प्रकाशनों पर रोक लगाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगले दिन, दो पत्रिकाओं, 'क्लोज़' और 'इनवर्ड लुकिंग' ने नीरा राडिया टेपों पर और डेटा प्रकाशित किया। इसलिए, जनता के मन में और इस देश के एक विनम्र नागरिक के रूप में मेरे मन में दो बातें आईं कि लोग एक ऐसे चरण पर पहुंच गए हैं जहां वे उच्चतम न्यायालय की अवहेलना करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय नहीं दिया जो लोगों को स्वीकार्य हो। अतः लोकतन्त्र में जनता निश्चित रूप से सर्वोच्च है।

जहां तक मैं समझता हूं, इस विधेयक में हम एक समस्या पर विचार कर रहे हैं जो थोड़ी जटिल है। दो धाराएं हैं जिनके माध्यम से लोग न्यायाधीश के रूप में सामने आ रहे हैं। एक कनिष्ठ न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायपालिका से है। वे जे.एम.एफ.सी., एस.डी.जे.एम., सी.जे.एम., जिला न्यायाधीश से आगे बढ़ते हैं और फिर वरिष्ठता के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन जाते हैं। कुछ अन्य न्यायाधीश भी हैं जो पेड़ पर नहीं चढ़ते हैं लेकिन पेड़ के शीर्ष से फल तोड़ते हैं अर्थात आवश्यक प्रयास या काम किये बिना ही चीज़ का लाभ लेते हैं। वे कुछ अन्य योग्यताओं के कारण आगे आते हैं, जैसे वे बार एसोसिएशन में अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, उनका आयकर रिटर्न अच्छा है, आदि। इसलिए, वे बिना किसी कठिनाई के सीधे उच्च न्यायालय में चले आते हैं या कभी-कभी तो वे उच्च स्तर पर भी चले जाते हैं।

समस्या जो हम समझ सकते हैं वह यह है कि, मान लीजिए कि एक युवा एल.एल.बी. स्नातक, जो बहुत आसानी से बार एसोसिएशन में शामिल हो सकता था और शायद एक वकील के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर

सकता था, एक अच्छा पैकेज बना सकता था और एक खुशहाल जीवन जी सकता था। परंतु इसके बजाय, बहुत ही विरोधाभासी तरीके से, वह न्यायिक सेवा में शामिल हो गया - उसने न्याय देने के लिए अपनी जवानी का "बलिदान" कर दिया - एक न्यायाधीश बन गया, या मजिस्ट्रेट और फिर एक न्यायाधीश बन गया। उससे हम पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण दक्षता की उम्मीद करते हैं और हमें लगता है कि वह न्याय करेगा क्योंकि अधीनस्थ न्यायपालिका वास्तविक न्याय वितरण प्रणाली है जो वास्तव में लोगों को अंदर तक छूती है। इसलिए, उन्हें श्रेय देने के लिए, वर्तमान स्थिति में इस संशोधन के बिना, जब वे सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें अपने उन हमवतन लोगों की तुलना में अधिक पेंशन मिल रही थी, जो अपनी योग्यता के कारण या एक अच्छे वकील के रूप में अपने अभ्यास के कारण या अपने प्रभाव के कारण उच्च स्तर पर न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे, किसी गॉड फादर ने उन्हें चुना और न्यायाधीश बना दिया, जैसा कि हम भी जानते हैं कि कई उच्च न्यायालयों में हुआ है। अब, इस विधेयक से उन्हें समान दर्जा देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इस सीमा को नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि इसके स्थान पर उन कड़ी मेहनत करने वाले न्यायाधीशों के लिए बोनस सेवा अवधि के रूप में दस वर्ष जोड़े गए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि यह असमान और अन्यायपूर्ण है। न्याय प्रणाली में, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे न्यायिक सेवा में शामिल होने वाले युवाओं के साथ अन्याय हो। सिर्फ इसलिए कि उन्होनें अभ्यास नहीं किया या उनके पास उच्च स्तर पर एक गॉड फादर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें पेंशन संबंधी लाभ से वंचित किया जाना चाहिए, जो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर मिलता है जिसने निजी अभ्यास में रहते हुए बहुत पैसा कमाया है।

महोदय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों न उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का भुगतान केंद्र सरकार से कराया जाए। अब, मान लीजिए कि माननीय मंत्री जी का राज्य कर्नाटक, एक मुख्य न्यायमूर्ति को ओडिशा भेजता है। सज्जन पुरुष या सज्जन महिला ओडिशा के मुख्य न्यायमूर्ति के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तब, उनकी पेंशन ओडिशा राज्य पर बोझ होगी। इसलिए, राज्यों पर उस सेवा का

बोझ डालने के बजाय, जिसे आप अखिल भारतीय स्तर का मानते हैं - क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण सभी राज्यों में किया जा सकता है - सरकार को यह ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि वे आई.ए.एस. अधिकारी नहीं हैं। उनका कोई राज्य संवर्ग या कैडर नहीं है। इसलिए, भारत सरकार को पेंशन का भुगतान करने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। जब तक वे सेवा में हैं, उनका वेतन संबंधित राज्यों द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन उनकी पेंशन का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे, तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक के रूप में आप जो करेंगे, वह लोगों को अधिक स्वीकार्य होगा। पिछली बार जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, तो एक माननीय सदस्य ने हमें एक उदाहरण दिया था।.... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : कृपया अब समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी : नहीं, महोदय, मैंने अभी शुरुआत की है।

माननीय सभापति: अब केवल छह मिनट बाकी बचे हैं।

श्री तथागत सत्पथी: ठीक है, महोदय, मैं कुछ बिंदुओं पर बात करूंगा। मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा।

अंग्रेजी में एक कहावत है: "मूंगफली दो और सेमियां पाओ।" इसका मतलब है कि अगर कोई नियोक्ता बहुत कम वेतन देता है, तो उसे अच्छे कर्मचारी मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अतः महोदय, हमें अपने माननीय न्यायाधीशों को इतना कम वेतन नहीं देना चाहिए कि वे ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित हों जो समाज को स्वीकार्य न हों।

महोदय, देश के सभी 24 उच्च न्यायालयों में 44.5 लाख मामले लंबित हैं। देश भर में निचली अदालतों में 2.6 करोड़ मामले लंबित हैं। यदि आप देखें, तो इनमें से अधिकांश मामले, सिविल मामले होंगे। सभी 24 उच्च न्यायालयों में 44.5 लाख मामलों में से, मैं कहूंगा कि 34,32,493 सिविल मामले हैं और 10,23,739 मामले आपराधिक मामले हैं। इसलिए, मेरा सुझाव है कि समान नागरिक संहिता जैसा विधेयक लाया जाए,

जिससे बहुत सारे दीवानी मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके और लोगों को न्याय मिल सके। जिन लोगों को तत्काल न्याय की आवश्यकता है, उनकी स्थिति बेहतर होगी। मैं एक बार फिर एक पुरानी कहावत का उल्लेख करना चाहूंगा: "विलंबित न्याय, न्याय से इनकार के समान है।" भारत में हमारे कई वकील साथियों का मानना है कि देर से मिला न्याय ही न्याय है, क्योंकि जितनी अधिक तारीखें होंगी, लोगों के एक वर्ग के लिए उतना ही बेहतर होगा। समय सबसे अच्छा उपचारक भी है। यहां बहुत सारे वकील सहकर्मी मौजूद हैं। मुझे नही लगता कि सभापति जी वकील हैं, इसलिए मैं आपके कारण बचा हुआ हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत से वकील इस बात से बहुत परेशान होंगे कि यह एक ऐसी अदालत है जो किसी को भी अनुकूल नहीं लगती। इसलिए, मैं उनसे क्षमा माँगता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि कानून का सरलीकरण भारत सरकार की पहली प्राथमिक ज़िम्मेदारी है।

दूसरा यह है कि इस देश में अधीनस्थ न्यायपालिका को मजबूत किया जाना चाहिए। सरकारी नौकरियां अधिक आकर्षक नहीं रहीं। कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहता, जब तक कि इसे उड़िया में *उप्पारी* न कहा जाए, अर्थात अगर कोई चीज़ अपेक्षाओं से बढ़कर नहीं है, तो वह अपना आकर्षण खो देती है। आप अपने क्षेत्र में कुशल, अनुभवी और जानकार हैं। आप लोगों के पास जाते हैं और आप लोगों की दुर्दशा देखते हैं। एक परिवार के खिलाफ दायर एक मामला पूरे परिवार को नष्ट कर देता है; शांति को नष्ट कर देता है; उनकी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देता है। ऐसा केवल भारत में ही होता है, क्योंकि यहां न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली निचले स्तर पर ध्वस्त हो चुकी है।

महोदय, उच्च न्यायालय और विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय अधिकांश लोगों के लिए पहुँच से बाहर है। यदि आप राज्यों में जाएं और उन लोगों से पूछें जो दोषी ठहराए गए हैं और जेल में हैं, तो पाएंगे कि उनमें से कई एस.डी.एम. स्तर पर या अधिक से अधिक जिला न्यायाधीश स्तर पर जेल में बंद हैं। उनके पास साधन नहीं हैं; उनके पास वित्तीय क्षमता नहीं है, उच्च न्यायालय तक आने की ताकत नहीं है, उच्चतम न्यायालय की तो बात ही छोड़िए। उस स्तर पर, हमें अधीनस्थ न्यायपालिका की समस्याओं का समाधान करना होगा,

उसे और मज़बूत बनाना होगा, उसे और अधिक आकर्षक बनाना होगा ताकि आप माँग कर सकें कि यदि आपको बेहतर वेतन मिल रहा है, तो प्रलोभन स्वीकार न करें, ईमानदार रहें, शीघ्र न्याय करें तथा ऐसी गति से न्याय करें कि उसी देश को आश्चर्य हो।

मुझे लगता है कि यह मंत्री जी एक प्रगतिशील मंत्री जी और सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें रेलवे से क्यों निकाला गया; मुझे बहुत उम्मीद थी कि वे रेलवे में कमाल करेंगे। लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में व्यवस्था को बदल सकते हैं। यहां एक उदाहरण है। और आप यह कर सकते हैं. हमें पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि यदि आप अधीनस्थ न्यायपालिका के बारे में सोचते हैं और परिवर्तन लाते हैं तो सभा आपका समर्थन करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आवाज़ उठाता है, अगर आप बदलाव लाते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : सभापति महोदय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) विधेयक 2015 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं।

हमारे संविधान में न्यायपालिका का एक स्वतंत्र स्थान निर्माण किया है और ऐसी न्याय व्यवस्था में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन में, पेंशन में और बाकी जो फाइनेंशियल सुविधा रहती है, उनमें जो विसंगति थी, वह दूर करने का बहुत बड़ा काम केन्द्र सरकार ने किया है। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। खास करके इस सुविधा के माध्यम से न्याय व्यवस्था में जो भी कुछ कमी है, आम आदमी के लिए न्याय व्यवस्था कैसे आधार हो सकती है, उसके लिए न्याय व्यवस्था में क्या सुधार करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाना आम आदमी के लिए उतना आसान नहीं है। अभी हमारे सत्पथी साहब ने कहा कि सामान्य आदमी के ऊपर जब मुसीबत आती है या न्यायालय में जाकर न्याय मांगने की जब परिस्थिति आती है तो डिस्ट्रिक्ट लेविल तक बारी-बारी से हाई कोर्ट तक जाने की कोशिश करते हैं,

लेकिन दुर्भाग्य से हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है कि 'शहाणे माणसा ने कोर्टाची पायरी चढ़ू नहीं।' सभापति महोदय, इसके पीछे का यह मतलब है कि आज की न्याय-व्यवस्था में जब सामान्य आदमी कोर्ट में जाता है, तो उसे जब न्याय चाहिए, तब उसे न्याय नहीं मिलता है। उनके दादा जी वहां न्याय के लिए गए, पर उन्हें न्याय नहीं मिला। दादा जी के गुज़र जाने के बाद उनके पिता जी कोर्ट में गए। पिता जी के देहांत के बाद जब वह न्याय के लिए जाता है, तो उसकी जो न्याय के प्रति एक इच्छा होती है, एक आस होती है, वह निकल जाती है। दुर्भाग्य से, इस संविधान ने जिसके लिए न्याय व्यवस्था का निर्माण किया है, इसमें भारतीय जनता को न्याय देने का जो उद्देश्य है, वह सफल नहीं हो रहा है।

महोदय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज़ों के वेतन और पेंशन में जो त्रुटि या असमानता थी, वह इस बिल के माध्यम से निकल जाएगी। लेकिन, आज एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक सेशन कोर्ट की स्थिति क्या है? सिविल मैटर चलाने वाले जो महसूल के कोर्ट हैं, उनकी स्थिति क्या है?

महोदय, आप भी ग्रामीण इलाके से चुनकर आए हैं। आप भी इसके बारे में जानते हैं। कई बार तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में घुसना भी एक मुसीबत बन जाती है। न्यायालय की इमारतों और वहां के कार्यालय की स्थिति बहुत ही गंदी है। वहां टॉयलेट नहीं होते हैं। जो लोग वहां आते हैं, उनके बैठने की वहां सुविधा नहीं होती है। अगर बैठने की सुविधा है भी तो उन्हें उसके खटमल से बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में लोगों को न्याय के लिए बहुत-बहुत वर्षों तक रूकना पड़ता है।

सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, करोड़ों और लाखों केसेज आज भी प्रलंबित हैं। पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस वर्षों से मुफस्सिल विभाग के केसेज का निपटारा नहीं होता है। इसलिए इस विधेयक के माध्यम से मेरी मांग है कि जब सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज़ों के वेतन के बारे में अच्छे से देख रही है तो उसके साथ-साथ आज जो-जो प्रलंबित केस हैं, उनका अध्ययन करें। अगर उसका जल्दी से जल्दी निपटारा करना हो, तो न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसके साथ-साथ न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन,

दुर्भाग्य से कोई डिस्ट्रिक्ट जज़ के लिए जाना नहीं चाहते। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, ऐसे कक़ील न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम करने को तैयार नहीं हैं। उसके पीछे क्या कारण है, उसका भी सरकार को अध्ययन करना चाहिए। न्यायपालिका जिस तरह से स्वतंत्र है, वैसे ही उसे सुदृढ़ बनाने की भी जरूरत है, सिर्फ उसके स्वतंत्र रहने से नहीं होगा। न्यायपालिका अगर सही तरीके से चले, तो उसके लिए वैसे ही फाइनैंशिएल प्रोवीजन रखने होंगे। उनके वेतन, पेंशन आदि का प्रोवीजन करने की जरूरत है, तब ही न्याय व्यवस्था की तरफ जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। इससे ज्यादा कोर्ट और ज्यादा न्यायाधीश निर्माण करने का सरकार का जो मक़सद है, वह सफल हो जाएगा।

सभापति महोदय, आज कई ज़गह लोक अदालतों की शुरूआत की गयी है। यह सरकार का एक अच्छा प्रयास है। लोक अदालतों को लोग भी पसंद करते हैं। इसके माध्यम से दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह सालों से जो मुक़दमे चल रहे थे, कई ज़गहों पर उनके संबंध में अच्छा रिजल्ट मिला है। कई वर्षों से जो केसेज पेंडिंग थे, उनका निपटारा करने में एक सफल प्रयोग हो चुका है।

कहीं मॉर्निंग कोर्ट और कहीं ईवनिंग कोर्ट चलते हैं। लेकिन, मॉर्निंग और ईवनिंग कोर्ट का जो प्रयोग है, वह सफल नहीं हो सका है। इसलिए आज करोड़ों केस पेंडिंग हैं, जो एक समस्या बन चुकी है। उसका हल निकालने के लिए ज्यादा कोर्ट का निर्माण किया जाए और ज्यादा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसे अपना लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। इस पर निर्णय लेने की जरूरत है।

महोदय, आबादी बढ़ने के साथ-साथ क्राइम भी बढ़ता है, गुनाहगार बढ़ते हैं। कई अलग-अलग तरीके से गुनाह आज हो रहे हैं। क्राइम की व्याख्या भी बदल चुकी है। ऐसे वक्त में जब कसाब जैसे आतंकवादियों के संबंध में न्याय देने के लिए जब दस वर्ष लगते हैं तो कानून का डर कैसे पैदा हो सकेगा? लोगों में कानून का डर होना चाहिए। कानून तोड़ने वाले गुनाहगार को कानून का डर लगना चाहिए। कानून का डर तब लगेगा, जब उसका गुनाह साबित हो और न्यायाधीश उसे सजा दे, शासन दे, तभी गुनाहगार को लगेगा कि इस हिंदुस्तान

में रहना हो तो शांति से रहना होगा, आतंकवादी कार्रवाई हम नहीं कर सकेंगे और भारत का शासन इसे सहन नहीं करेगा। यह डर जब गुनाहगार के दिल में आएगा, यह डर जब आतंकवादियों के दिल में पैदा हो जाएगा, तब इस देश में आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे।

कानून की व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था जनता के प्रति कैसी हो, लोगों को सलाह देने के लिए कैसी होनी चाहिए, इसकी ओर सम्माननीय सरकार ध्यान दे, ऐसी विनती मैं इस चर्चा के माध्यम से करता हूं। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। उच्चतम न्यायालय जो भी कहता है, वह देश का कानून बन जाता है। उच्चतम न्यायालय ने पहले ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी और 10 साल की अतिरिक्त सेवा अवधि का आदेश दिया है। अब संसद को इसे मंज़ूरी देने के लिए क्या करना बाकी रह गया है? जब 10 साल की सेवा पहले ही जोड़ दी गई है और वेतन पहले से ही बढ़ा दिया गया है, तो क्या संसद के पास कुछ बचा है?

इसमें एक बात और याद दिलायी गयी है, वह है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में दो मुख्य सिद्धांत हैं। एक है*ऑडी अल्टरम पार्टम,* जिसका अर्थ है कि बिना उसकी बात सुने किसी की निंदा नहीं की जानी चाहिए। दूसरा है *नेमो ज्यूडेक्स इन कॉसा सुआ* जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले का निर्णय स्वयं नहीं कर सकता। मैं पूछूंगा कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है। यदि ऐसा है, या ऐसा नहीं है, तो जब सांसद अपने वेतन में वृद्धि की माँग कर रहे थे, तो जनता में शोर मच गया था। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हम हर दिन सार्वजनिक रूप से जवाबदेह होते हैं। जब भी मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र में जाता हूं, लोग हमेशा मुझे घेर लेते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्या वादा किया था और क्या दिया है। हर दिन, जब तक कि सत्र नहीं होता हैं, मैं जवाबदेह हूं। जब सत्र होता है, तो मैं हर सप्ताहांत जवाबदेह होता हूं। न्यायपालिका में वह

जवाबदेही गायब है। वे निर्णय देते हैं - मुझे नहीं मालूम - जैसे शून्य में, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते। जब भी इस महती सभा में कोई प्रगतिशील कानून बनाया जाता है, तो वे इसे *अधिकारातीत* बताकर खारिज कर देते हैं।

मैं उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर नागराज मामले का एक उदाहरण दूंगा। उन्होंने 81वें, 82वें और 83वें संशोधन को बरकरार रखा है, लेकिन संशोधनों को बरकरार रखते हुए उन्होंने तीन प्रणालियों की एक और अवधारणा पेश की है, अर्थात, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के कारण दक्षता में कमी नहीं आनी चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और पिछड़ापन भी होना चाहिए। नागराज मामले में डाले गए इन तीनों मूर्खतापूर्ण कारणों से 117वां संशोधन पारित हुआ, जो राज्य सभा में तो पारित हो गया, लेकिन लोक सभा में पारित नहीं हो सका।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस प्रकार के निर्णय इस महती सभा के प्रगतिशील कानूनों को रोक रहे हैं। हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं; न्यायपालिका जवाबदेह नहीं है। कई बार इस महती सभा के कामकाज में उन्होंने हस्तक्षेप किया है। जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी सत्पथी ने कहा, देश के लोग सर्वोच्च हैं। जनता की सामूहिक इच्छा संसद में है। यह लोक सभा है। हम सर्वोच्च हैं का मतलब है कि जनता सर्वोपरि है। लोगों को हर वह काम करने का अधिकार है जो वे करना चाहते हैं। न्यायपालिका को लोगों की इच्छा में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? मैं न्यायपालिका से पूछता हूं: लोगों की इच्छा में हस्तक्षेप करने का सवाल कहां है? हम पाँच वर्ष के लिए जवाबदेह हैं। हो सकता है कि मुझे पद से हटा दिया जाए। मैं भले ही कंगाल हो जाऊं या कुछ भी हो जाऊं, लेकिन न्यायपालिका सफेद हाथी की तरह बनी रहेगी। वे वही करेंगे जो वे चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे विधि मंत्री जी इस विधेयक में कुछ सुझाव या संशोधन करें ताकि जवाबदेही तय की जा सके, क्योंकि जवाबदेही के बिना स्वायत्तता इस सेवा के मूल स्वरूप को ही नष्ट कर देगी। इस सेवा को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। न्यायपालिका ने इस देश के साथ बहुत अन्याय किया है। हम भारी कीमत चुका रहे हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने बुनियादी संरचना की अवधारणा को पेश किया है। हमारे संविधान में डॉ. अंबेडकर द्वारा बुनियादी ढांचे का

उल्लेख कभी नहीं किया गया था। लेकिन 42वें संशोधन में, उन्होंने गोलकनाथ मामले द्वारा इस मूल संरचना को पेश किया है। यद्यपि संविधान में संशोधन का प्रावधान है, फिर भी वे 'मूल संरचना' शब्द लाकर संशोधन शक्ति को रोक रहे हैं। मैं पूरी तरह से इसका विरोध करता हूं। यह महती सभा, जो भारत के लोगों की सामूहिक इच्छा है, सर्वोच्च होनी चाहिए। यदि हम कोई खराब कानून या विधान बनाते हैं, तो जनता हमें वापस बुलाए; उन्हें हमें हराने दें; और उन्हें नई सरकार चुनने दें। यह एक वयस्क मताधिकार है। संविधान में यह प्रावधान है कि लोग हर पाँच वर्ष में अपने वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक अंतर्निहित तंत्र है। न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

विधेयक में पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए, न्यायाधीश की सेवा में दस वर्ष की अवधि जोड़ी गई है। हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी चीज़ें शुरू क्यों नहीं करते? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से कोई न्यायाधीश नहीं हैं। इन दस वर्षों की सेवा को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सेवा में भी जोड़ा जाए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के लगभग 352 पद खाली पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ प्रावधान करें।

सामाजिक न्याय इस एन.डी.ए. सरकार का मुख्य मुद्दा है। सामाजिक न्याय, गरीबों को न्याय और वंचितों को न्याय देना, इस सरकार की प्रतिज्ञा है। हमें इस प्रकार के कानून के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करनी चाहिए। न्यायपालिका पर इस सीमा तक अंकुश लगाया जाना चाहिए कि वह इस महती सदन में बनाए गए कानून में हस्तक्षेप न कर सके। किसी भी न्यायिक निर्णय में, जनता की सामूहिक इच्छा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यही इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। केवल स्वायत्तता और वेतन बढ़ाने से न्यायपालिका का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

हमने देखा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के बहुत सारे मामले हैं। लेकिन वे जवाबदेह कहां हैं? महाभियोग एक बोझिल प्रक्रिया है। यह कभी नहीं होगा। यह कभी नहीं होगा। इसलिए, कुछ जवाबदेही तो होनी चाहिए। हर बार हमने इस प्रकार की वेतन वृद्धि और वेतन आयोग देखे हैं। केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों में भी संशोधन कर रही है। पिछली बार हमने 6वें वेतन आयोग को भी देखा है, जिससे सरकारी ख़ज़ाने पर 1 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है। समय-समय पर करने के बजाय, इसे वार्षिक करें। इसे एक स्थायी तंत्र बनने दें। ताकि, यह मुद्रास्फीति की गतिशीलता की स्थिति का ध्यान रख सके। नीति आयोग जैसे कुछ और आयोग बनें। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के विंग में कोई स्थायी कमीशन स्थापित किया जाए। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों, 31.6 लाख कर्मचारियों का स्थायी आधार पर ध्यान रखा जाना चाहिए। हम लोगों को इतना बड़ा आंकड़ा न दें कि 7वें वेतन आयोग के ज़रिए हम सरकारी खज़ाने पर 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ डाल रहे हैं। इससे लोगों में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। हम हर दस वर्ष में एक बार इस प्रकार के आंकड़े देकर लोगों को न भड़काएं। यदि यह संशोधन हर वर्ष होता, तो बोझ इतना अधिक नहीं होता।

न्यायपालिका में वेतन वृद्धि को किसी आयोग से जोड़ा जाना चाहिए। यह स्वयं नहीं किया जाना चाहिए। वे स्वयं को ही निर्णय दे रहे हैं। यह मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है जो *निमो ज्यूडेक्स इन रे सुआ है*। इसका मतलब यह है कि आप अपने मामले में स्वयं निर्णय नहीं दे सकते।

वेतन आयोग से संबंधित एक और बात है। वेतन आयोग में आई.ए.एस. अधिकारी बैठे हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही सचिवों की समिति को भेजी जा चुकी हैं। वहां आई.ए.एस. अधिकारी भी हैं। वे यह तय कर रहे हैं कि आई.ए.एस. अधिकारी का वेतन कितना होगा। केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी समूह 'ए', समूह 'बी' और समूह 'सी' को उनके वेतन तय करने से पहले ध्यान में नहीं रखा जाता है। हर दिन, हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन देख रहे हैं। इसे एक बार और सभी के लिए रोक दें। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दुनिया में किसी भी *न्यायशास्त्र* की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इस पर बल दिया जाना चाहिए। किसी को

भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, अर्थात *नेमो ज्युडेक्स इन रे सुआ* का उल्लंघन करने का अधिकार या साहस नहीं होना चाहिए।

जय हिंद! जय तेलुगू देशम! जय चंद्रबाबू!

धन्यवाद।

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन विधेयक - उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 - उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए है।

महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कारण, जैसा कि माननीय विधि मंत्री जी श्री सदानन्द गौड़ा जी ने बताया है कि इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के विवरण में दिया गया है। इसमें कहा गया है :

> "समय बीतने के साथ, पूर्व कथितअधिनियमों के कुछ प्रावधान पुराने और अप्रचलित हो गए हैं। एक समीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया कि स्पष्टता के लिए इसे हटा दिया जाए तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनज़र सेवा के अतिरिक्त वर्षों का प्रावधान किया जाए। दोनों अधिनियमों में न्यायाधीशों के अवकाश भत्ते के निर्धारण से संबंधित कुछ प्रावधानों को सरल बनाने की आवश्यकता है।"

महोदय, इस विधेयक को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि यह सरल नहीं होने वाला है, लेकिन यह और भी जटिल होगा।

महोदय, इस विधेयक के मुख्य अधिनियम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्ष 1958 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्ष 1958 के हैं। मुझे लगता है कि माननीय कानून मंत्री जी को इस संशोधन विधेयक को वापस लेना चाहिए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक के 28 खंड हैं। मैं एक संसद सदस्य और एक अधिवक्ता के रूप में प्रत्येक खंड को समझने में असमर्थ हूं। मैं बार एसोसिएशन से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए पदोन्नति के बारे में जानता हूं। हां, यह एक सच है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है।

महोदय, 31 मार्च, 2014 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि न्यायाधीशों की अहर्ता सेवा न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए उल्लिखित शर्तों के अनुसार होनी चाहिए, जो कि कम से कम 10 वर्ष का अभ्यास है। इस निर्णय के पीछे यही कारण माना गया है।

महोदय, कल कोई न्यायाधीश जो बार से पदोन्नति पाकर सेवानिवृत्त हुआ है, सेवानिवृत्ति के बाद कह सकता है कि उसने 32 वर्षों तक वकालत की और उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया, इसलिए उसकी 32 वर्षों की वकालत की सेवा को उसकी सेवा के रूप में गिना जाना चाहिए। इस तरह के कुछ मुकदमे सामने आ सकते हैं। इसलिए, केवल उस निर्णय के कारण, हमें मुख्य अधिनियमों में संशोधन करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए।

महोदय, मैं उनके वेतन या पेंशन में वृद्धि के ख़िलाफ़ नहीं हूं। निश्चित रूप से हमें वेतन के रूप में एक आरामदायक वेतन देना होगा और सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को एक आरामदायक पेंशन मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह कानून हमारे सामने मौजूद जटिल मुद्दे का समाधान नहीं कर पाएगा। इसलिए, मेरा मानना है कि माननीय विधि मंत्री जी को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए तथा एक व्यापक विधेयक लेकर आना

चाहिए, तथा उस विधेयक को विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। गहन अध्ययन के बाद, हम उस कानून को पारित कर सकते हैं।

धन्यवाद।

डॉ. ए. सम्पत (अट्टिंगल): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो मुझे आपको 'माई लॉर्ड, सर' के रूप में संबोधित करना चाहिए। यदि आप एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो मुझे निश्चित रूप से आपको 'माई लॉर्ड' या कम से कम 'यओर ओनर' कहकर संबोधित करना चाहिए। अन्यथा, महोदय, आप मुझसे "मुझे ठीक से संबोधित करें" कह सकते थे।

महोदय, मैं एक वकालत का अभ्यास करता हूं। मुझे आशा है, जो सदस्य इस विधेयक पर चर्चा में भाग ले रहे हैं या अभी सभा में उपस्थित हैं - बिल्कुल जिस तरह दूसरी ओर श्री चौधरी साहब हैं, मेरे विद्वान मित्र भी, जो सत्ता पक्ष में भी बैठे हैं - जो या तो वकील हैं या वकील रह चुके हैं। ... (*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी : मैं वकील नहीं हूं। ... (*व्यवधान*)

डॉ. ए. सम्पत : लेकिन आप एक न्यायविद हैं, मेरे दोस्त। लेकिन दुर्भाग्य से, भले ही अनुच्छेद 124(3) के तहत भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक न्यायविद की नियुक्ति के लिए पर्याप्त शक्तियां देता है, भारतीय न्यायपालिका का इतिहास कहता है कि न्यायविदों के पास न्यायिक प्रणाली में कोई गुंजाइश नहीं है।

<u>अपराह्न 4.50 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, *वणक्कम।* महोदय, यहां, भारत के संविधान का भाग 4, अध्याय 4, संघ न्यायपालिका के बारे में कहता है। यहाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय की सीट के बारे में बताया गया है। मैं समझ नहीं पाता कि किसी मामले की सुनवाई के लिए, मामला दर्ज करने के लिए और

मामला निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की पीठ दिल्ली में ही क्यों है? अब भी, उच्चतम न्यायालय या केंद्रीय न्यायपालिका दिल्ली से बाहर जाने में क्यों हिचक रहा है? सर्किट बेंच की स्थापना दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती? मंत्री जी महोदय, यदि चेन्नई में पीठ स्थापित की जाती है तो हम आपका समर्थन करेंगे; यदि कोलकाता में पीठ स्थापित की जाती है; यदि मुंबई में पीठ स्थापित की जाती है तो हम आपका समर्थन करेंगे। सदानन्द गौड़ा जी, यदि बेंगलुरू में एक बेंच स्थापित किया जाता है, तो हम निश्चित रूप से आपका समर्थन करेंगे।

कम से कम हमारे उच्चतम न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका का विकेन्द्रीकरण हो; यह सुस्पष्ट होना चाहिए। यहां शक्तियों का विकेन्द्रीकरण ऊपर से नीचे तक, राज्य से जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत तक होता है। दुर्भाग्य से, यहां, अधिकांश काम मुफ़स्सिल अदालतों में किये जा रहे हैं। मेरे विद्वान साथियों ने यहां पर यह उल्लेख किया है कि कई न्यायालयों में, अधिवक्ताओं के पास सांस लेने तक की भी जगह नहीं होती है। वे वही पोशाक पहनते हैं, जो औपनिवेशिक काल के दौरान उन पर थोपी गई थी। 45-46 डिग्री सेल्सियस के तापमान के दौरान भी, अधिवक्ताओं को काले कोट, गाउन, आदि पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, और कई कोर्ट रूम में, कोई पंखा तक नहीं होता। कभी-कभी, उन्हें शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।

महोदय, मैं कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति में भी हूं। इस समिति के संज्ञान में आया है कि इस राष्ट्र के कई हिस्सों में निचली अदालतों, मोफुसिल अदालतों, मुंसिफ अदालतों में अधिवक्ता अभी भी गंदे शौचालयों का प्रयोग करते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है।

महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों (माई लॉर्ड्स या यओर ओनर) की वेतन वृद्धि के ख़िलाफ़ नहीं हूं। हमें उन्हें निश्चित रूप से उनका वेतन देना चाहिए। इसमें कोई बकायेदारी नहीं होनी चाहिए। एक रैंक एक पेंशन होनी चाहिए। निश्चित रूप से, कम-से-कम, मुझे उम्मीद है कि यह रक्षा कर्मियों के समक्ष भी उभर सकता है। किसी भी तरह से इसे शीर्ष पर होने दें। जिस व्यक्ति ने निर्णय दिया है, जिसने इस

विधेयक का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, वह अब केरल राज्य का राज्यपाल है। उन्होंने यह फैसला सुनाया था, जब वे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।

जब हम इस सदन में इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, तब हमारे सामने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उनके पूर्ववर्ती, जो पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने यह बात कही थी। ऐसे लोग हैं कहते हैंः "मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं, लेकिन मैं बिल्कुल थका नहीं हूं। आप कोई जगह ढूंढ़कर मेरे लिए सुरक्षित रखिए, ताकि मैं भी न्याय सुनिश्चित कर सकूं।" लेकिन, मेरा विनम्र अनुरोध है कि यह *"प्रभु की कृपा" नहीं है।* प्रभु की कृपा नहीं है। निष्पक्ष और त्वरित न्याय मेरा अधिकार है। यह सड़कों पर, फ़ुटपाथ पर रहने वाले गरीब आदमियों का अधिकार है, सड़कों पर क्योंकि सभी शक्तियां लोगों से आ रही हैं, इसलिए भारत का संविधान ऐसा कहता है। यह भारत के लोगों के लिए बनाया गया था। यह 'हम भारत के लोग' हैं; और वह शिक्षित है या नहीं, चाहे वह अमीर है या गरीब, उसके पास ज़मीन है या नहीं, चाहे उसके पास कोई नौकरी है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

महोदय, मुझे आशा है कि आप मेरे साथ होंगे क्योंकि मैं पिछले 25 वर्षों से वकालत का अभ्यास कर रहा था। यहां, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में क्या है? हमने इस सभा के साथ-साथ ऊपरी सभा में भी इस पर गहन चर्चा की है, और उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या था?

यह इस तरह है - मैं न्यायाधीश हूं, मैं जूरी हूं और मैं कार्यकारी हूं। तुम मुझे आदमी दिखाते हो, मैं तुम्हें नियम दिखाऊंगा। भारतीय न्यायपालिका में यही होता है। भारतीय न्याय प्रणाली एक महंगा मामला, एक अमीर आदमी का खेल बन गया है। यह बोझिल हो गया है। यह बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे नहीं पता कि यह असंभव हो गया है या नहीं, लेकिन एक आम आदमी के लिए न्याय माँगना बहुत मुश्किल है। वकील, न्यायपालिका और सभी न्यायविद देवी थीटिस के बारे में बात करते हैं। पौराणिक कथाओं में, एक देवी थीटिस हैं जिनके पास कानून और न्याय है और यह एक समान होना चाहिए।

एक बार जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति केरल आए और मेरे विद्वान मित्र श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन के निर्वाचन-क्षेत्र में एक कार्यक्रम में भाग लिया। वह पेशे से वकील भी थे। वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे गवर्नमेंट

लॉ कॉलेज से एल.एल.बी. में प्रथम रैंक धारक थे। वे मुझसे एक वर्ष वरिष्ठ थे और श्री कोडिकुन्नील सुरेश मुझसे एक वर्ष कनिष्ठ हैं।

महोदय, एक बार न्यायमूर्ति भरूचा कोल्लम में वकीलों के सम्मेलन में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत न्यायपालिका ईमानदार है, इसका मतलब है कि... (*व्यवधान*) मैं अपनी टिप्पणियों को आरक्षित करता हूं। हर कोई समझ गया कि उसने क्या कहा। यदि उस तरह का बयान एक आम आदमी या मीडिया से किसी के द्वारा किया गया था या भले ही इस सदन के किसी माननीय सदस्य द्वारा किया गया सार्वजनिक बयान था, तो क्या हुआ होगा? अदालत की कार्यवाही की अवमानना शुरू की गई होगी। प्रोटोकॉल के अनुसार, एक संसद के सदस्य का पद या रैंक क्या है। इस महती सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जब प्रधान मंत्री जी थे, उन्होंने इसी पद से बात की थी। उनका डिवीजन नंबर एक था। उन्होंने बात की और यह रिकॉर्ड में है।

"छोटे न्यायाधीश का पद संसद सदस्य के पद के बराबर है।"

प्रोटोकॉल के अनुसार, एक सांसद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। इसमें कोई राजनीतिक अंतर नहीं है। अब क्या होगा? वे कहते हैं, वे आदेश देते हैं, कानून बनाते हैं, निष्पादित करते हैं और वे दंडित करते हैं।

महोदय, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में आपका क्या कहना है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे आर.टी.आई. के अधीन हैं या नहीं? यहां तक कि प्रधानमंत्री जी भी आर.टी.आई के दायरे में आते हैं; सभी मंत्री जी भी आर.टी.आई. के दायरे में आते हैं; सभी सांसद भी आर.टी.आई. के दायरे में आते हैं; सभी विधायक भी आर.टी.आई. के दायरे में आते हैं; सी.बी.आई. भी आर.टी.आई. के दायरे में आती है, लेकिन दुर्भाग्य से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और माननीय सदस्य, उनमें से कुछ लोग ही देख रहे होंगे। ... (*व्यवधान*) वैसे भी, जब मैं एक सांसद के रूप में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, तो मैं अदालत कक्ष में वापस नहीं जा सकता। अदालत कक्ष में कोई जगह नहीं होगी।

माननीय उपाध्यक्ष : यहां तक कि एक सदस्य के रूप में, आप अभी जा सकते हैं। आपको कौन रोकेगा?

डॉ. ए. सम्पत: वैसे भी, मुझे उन सभी से डर नहीं है, महोदय। यहां, सभी को कानून का पालन करना चाहिए। अगर कोई कानून है, तो हमें उस कानून का पालन करना चाहिए। यहां कोई आर.टी.आई. के प्रावधानों के तहत सवाल उठाता है, तो उच्च न्यायालय के संबंधित रजिस्ट्रार यह कहते हुए जवाब देंगे कि यह आर.टी.आई. अधिनियम के तहत नहीं है और हमें आपको जानकारी देने के लिए खेद है। न्यायालय और न्यायपालिका आखिर सूचना के अधिकार अधिनियम से क्यों डरते हैं? इस महती सभा, उच्च सभा के हमारे भाई-बहनों और भारत की संसद ने ही ऐसा कानून बनाया है। सदानन्द गौड़ा जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ, मैं यह अनुरोध नहीं कर रहा हूं कि नियम 109 के तहत, आप इस विधेयक को वापस ले लें और इसे विधि एवं न्याय समिति से गहन जांच करा लें, लेकिन अगर ऐसा किया गया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। भारतीय न्यायिक सेवा का क्या? हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा है और भारतीय आर्थिक सेवा है। साथ ही, हमारे पास भारतीय न्यायिक सेवा क्यों नहीं है? यह न्यायालय है, यह न्यायाधीश हैं जो अपने उत्तराधिकारियों का निर्णय करेंगे और भारत के 42$^{वें}$ मुख्य न्यायाधीश केवल एक न्यायाधीश को नियुक्त करने में सक्षम थे।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

अब, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों सहित 400 से अधिक पद खाली हैं। कई उच्च न्यायालयों में लगभग 40 प्रतिशत पद खाली हैं। मैं तो बस इतना ही समझता हूं कि वे खाली हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इस महती सभा में कुछ सच, और कुछ नहीं बल्कि सच कहूं तो मुझे इससे छूट मिल जाएगी, क्योंकि कुछ न्यायाधीश चाहते हैं कि...मैं ये शब्द बचाकर रखूँ क्योंकि बाद में मैं उनकी मदद करूंगा। आप मेरी मदद करें। आप मेरा समर्थन करते हैं। मैं भी आपका समर्थन करता हूं। यह होता है। आखिरकार, इससे भारतीय न्यायिक प्रणाली को नुकसान पहुंचता है। अंत में, यह भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों को खत्म कर देगा।

महोदय, हम सभी सांसद हैं और हम स्वर्गीय न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जी का सम्मान करते हैं। यहां तक कि अब भी आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून के विद्यार्थी *बंदी प्रत्यक्षीकरण* याचिका का अध्ययन करते समय केरल के दिवंगत मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्रमण्यम पोट्टी के निर्णयों का अध्ययन करते हैं।

महोदय, जूनियर अधिवक्ताओं के बारे में आपका क्या कहना है? उन्हें कोई वजीफा नहीं मिलता। उनके पास कपड़ों की एक जोड़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वे बंधुआ मजदूरों की तरह हैं। यह बहुत अफसोस की बात है। इस देश में कनिष्ठ अधिवक्ताओं का यही मामला है। हम न्यायिक प्रणाली पर गर्व करते हैं और हम कहते हैं कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिवक्ता अधिनियम में वकालत करने के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अब, अधिकाधिक न्यायाधिकरण स्थापित हो रहे हैं। जब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिक से अधिक न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो वे कहीं न कहीं कुछ अन्य नियुक्तियां चाहते हैं और वे ये सभी लाभ, वेतन, भत्ते या पेंशन के रूप में चाहते हैं। लेकिन, साथ ही उन्हें लाल बत्ती वाली कार और सभी वी.आई.पी. सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। उनके पास दिल्ली आदि में बहुत अच्छे बंगले होंगे। उनके पास कुछ सांसदों की तुलना में कहीं बेहतर सुविधाएं हैं। बेशक, उन्हें वहीं रहने दें। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि इन सभी न्यायाधिकरणों और अर्ध न्यायिक निकायों की आवश्यकता क्यों है? निश्चित रूप से, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

यहां मैंने निचली न्यायपालिका की दुखद दुर्दशा का उल्लेख किया है।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। आपने पहले ही 15 मिनट का समय ले लिया है।

डॉ. ए. सम्पत: महोदय, अपनी बाट समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं। क्या न्यायपालिका में सामाजिक न्याय है? अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति समुदायों से कितने लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं? उनमें से कितने ओ.बी.सी. थे? उनमें से कितने अल्पसंख्यक थे? इसे ऐसा ही रहने दें। हमारी माननीय अध्यक्ष (लोक सभा) एक महिला हैं। पंद्रहवीं लोक सभा में भी हमारी अध्यक्ष (लोक सभा) एक

महिला थीं। कितनी महिलाएँ उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी हैं? अब तक कितनी महिलाएं उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी हैं? वह समय कब आएगा जब भारत का उच्चतम न्यायालय कह सकेगा कि हमारी मुख्य न्यायाधीश एक महिला हैं? हमारा विश्व अभी भी पूरी तरह से पुरुषों का है, जहां महिलाओं को उन अवसरों से वंचित रखा जा रहा है जो उन्हें मिलने चाहिए।

इन सबके साथ, मैं पुनः माननीय सदानन्द गौड़ा जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक पर पुनर्विचार करें। साथ ही, हमें न्यायपालिका के वेतन, भत्ते, पेंशन, नियुक्ति, योग्यता आदि पर एक व्यापक कानून बनाना होगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह पूछना चाहता हूं। क्या किसी व्यक्ति को किसी भी उच्च न्यायालय से इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित कुल कितना पारिश्रमिक प्रतिमाह मिलता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आम लोग कानूनी शब्दावली को नहीं समझेंगे। इसमें कुछ शर्तें होंगी। अपवाद होंगे, ठीक जैसे हर एक व्यक्ति के विचार अलग होते हैं। यह ऐसा ही होगा। महोदय, न्यायपालिका दीवारों के पीछे छिप गई है। वे लोगों से डरते हैं। अगर कोई ऐसा कहता है, तो वह लोगों से डरता है। मेरा मन और दिल भी जनता के साथ है। हमारी न्यायपालिका जवाबदेह होनी चाहिए। न्यायपालिका को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। भारत की जनता सर्वोपरि है। न्यायपालिका को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान में निहित सामाजिक न्याय का क्रियान्वयन हो रहा है।

मैं बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इस सत्र की शुरुआत डॉ. बी. आर. अंबेडकर और उनकी टीम को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी प्रशंसा करने से हुई। श्री सदानन्द गौड़ा *जी*, यदि हम इस भावना को अपने दिल में रखते हैं, तो यह उचित समय है कि यह सदन, 16वींलोक सभा भारत में न्यायपालिका के लिए एक व्यापक कानून बनाने की पहल करे।

श्री एम.आई. शनवास (वायनाड): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कुछ बिंदुयों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। कल से हम सभी न्यायपालिका और विशेष रूप से उच्च न्यायालयों में वकालत करने वाले वकीलों के संबंध में अनेक विचारोत्तेजक चर्चाएं सुन रहे हैं। हम यहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाले लाभों, विशेषकर पेंशन संबंधी लाभों के संबंध में संशोधनों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठे हैं। मेरे कुछ विद्वान मित्रों द्वारा सभा में पहले ही कहा जा चुका है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 31 मार्च, 2014 को यह निर्णय लिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किये जाने चाहिए। भारत के मुख्य न्यायधीश रह चुके, न्यायमूर्ति के. सदाशिवम ने कहा था: 'एक रैंक एक पेंशन संवैधानिक पद के लिए आदर्श होना चाहिए।' श्री सदानन्द गौड़ा द्वारा पेश किया गया संशोधन उच्चतम न्यायालय के फैसले के जवाब में है। यदि उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं होता, तो यह संशोधन विधेयक नहीं आता।

इस विधेयक के संबंध में, व्यक्तिगत रूप से मैं न्यायाधीशों को दिए जाने वाले किसी भी पारिश्रमिक के ख़िलाफ़ नहीं हूं। लेकिन यहां तो न्यायालय ने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है जो न्यायधीशों की नियुक्ति की तरह ही है कि न्यायधीश ही अपने भाइयों का वेतन तय कर रहे हैं। यहाँ वही हो रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। जो लोग सेवा करते हैं उन्हें आवश्यक पारिश्रमिक, वेतन, भत्ता, पेंशन आदि दिया जाना चाहिए।

मुझे यकीन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों की बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की ओर से यह माँग आई होगी कि उनका पारिश्रमिक बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये किया जाना चाहिए। यदि इस प्रतिष्ठित सभा में हम सभी के पेंशन, वेतन और भत्ते बढ़ाने का निर्णय लेते हैं और एक नया विधेयक लाया जाता है, तो कोई भी इसकी आलोचना नहीं करेगा। लेकिन, उपाधक्ष्य महोदय, आप जानते हैं कि भारत के सांसद दुनिया में सबसे कम वेतन पाने वाले सांसद हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में इस पर एक अध्ययन किया। यदि सांसदों को कुछ दिया जाता है तो एक समिति उस पर निर्णय लेती है तथा सांसदों के वेतन में न्यूनतम धनराशि, जो कि मात्र 50000 रुपये की एक बहुत छोटी धनराशि होती है, को भी बढ़ाने के लिए सुझाव माँगती है और इस कदम की सभी द्वारा आलोचना

की जाती है। यदि कोई इस मुद्दे को अदालत में ले जाएगा तो न्यायाधीश भी इसकी आलोचना करेंगे। इसलिए, हर कोई सांसदों की आलोचना करेगा। इस समय माननीय मंत्री जीगण यहां हैं। वे इस बात पर ध्यान दें कि इस पहलू में हम दुनिया में सबसे कम वेतन पाने वाले सांसद हैं।

माननीय उपाध्यक्ष :आप दूसरों को दे रहे हैं। तो, आप मालिक हैं।

श्री एम. आई. शनवास: हां, लेकिन संसद सदस्य को आगे बढ़ने के लिए कुछ करना होगा।

मैं जानता हूं कि समय की कमी है, लेकिन मैं माननीय कानून मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि एन.जे.ए.सी. का क्या हुआ? हम सभी ने इस सदन में इस पर चर्चा की थी। संसद सदस्यों ने राज्य सभा में भी इस पर चर्चा की थी। यह सब 20 विधानसभाओं में भी सामने आया था। क्या सरकार किसी से डरती है? क्या सरकार न्यायपालिका से डरती है? उच्चतम न्यायालय की, 5-न्यायाधीशों पीठ ने 4:1 के बहुमत से उक्त अधिनियम को निरस्त कर दिया था। उन्होंने एक ऐसे अधिनियम को रद्द कर दिया, जो लोगों की इच्छा बन चुका था। पूरे देश ने उस अधिनियम का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया, उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। आपको पता ही होगा कि 'दूसरा न्यायधीश मामला केस' पर नौ न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था, जबकि इस सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम को पाँच न्यायाधीशों ने रद्द कर दिया था - जिनमें से चार न्यायधीश इसके खिलाफ और एक इसके पक्ष में थे। अब, क्या होने वाला है? अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि इसकी सुनवाई 11-सदस्यीय पीठ, यानी एक बड़ी पीठ द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। संसद को धोखा दिया गया। देश की जनता को धोखा दिया गया। हम सभी देश के कोने-कोने से चुनकर यहां आते हैं। हम भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम भारत की जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लोगों को हमें सुनने का, हमें सज़ा देने का, हमें सुधारने का अवसर मिला है, लेकिन न्यायपालिका को सुधारने वाला कोई नहीं है। तो, यह सरकार क्या करेगी?

हम सभी को उम्मीद थी कि कुछ न कुछ होगा, क्योंकि इस सरकार को इतना बड़ा शासनादेश मिला है। श्री नरेन्द्र मोदी जी इतने बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी के रूप में सत्ता में आए, जो इतने वर्षों तक इस सभा में

कभी नहीं देखा गया था। इस देश में बहुत-सी चीज़ें हो रही हैं। 'ब्रेकिंग न्यूज़' में आप देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश बैठे हैं और वे शाम के 9.00 बजे तक टिप्पणियां कर रहे हैं। 'ब्रेकिंग न्यूज' के उद्देश्य से, कुछ उच्च न्यायालयों में पूरी प्रणाली को भंग कर दिया गया है। प्रेस और टेलीविज़न चर्चाओं में उपस्थित होने के लिए टिप्पणियां करना न्यायाधीशों की आदत बन गई है। माननीय विधि मंत्री जी और सदस्य कृपया एक बात पर ध्यान दें: इसका परिणाम कौन भुगत रहा है? हम पीड़ित हैं।

लोकतांत्रिक दुनिया के सबसे महान संविधान, डॉ. अंबेडकर के संविधान को किसने कायम रखा है? हमने संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखा। हमने, राजनेताओं ने संविधान में निहित हर अधिकार को बरकरार रखा। यह हमने किया, लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि संसद सदस्यों की गलत छवि दिखाई जा रही है और यह दर्शाया जा रहा है कि विधानसभा सदस्यों के पास कोई सिद्धांत नहीं है। तो, कहीं कुछ गड़बड़ है। न्यायालयों में हो रही अनेक अवांछित गतिविधियों में शामिल होकर न्यायपालिका बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। महोदय, आप तो जानते ही हैं कि बड़े वकील या तथाकथित कानूनी विशेषज्ञ केरल आने या चेन्नई जाने के लिए प्रति केस 35-40 लाख रुपये चार्ज करते हैं। गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? कुछ बैंचों में, यदि कोई विशेष वकील आएगा, तो उसे आदेश मिलेगा। इसलिए, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है। … (*व्यवधान*) इसलिए, कृपया आप देख लें कि अदालत कक्षों में क्या हो रहा है। … (*व्यवधान*) यह सदन के लिए इस बात का विश्लेषण करने का अवसर है कि... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : यह किया जा सकता है। आप जो कह रहे हैं मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूं, लेकिन ऐसा कई अवसरों पर किया जा सकता है। यहां हम उन लोगों के वेतन के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: हम उनके वकील नहीं हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री एम.आई. शनवास: महोदय, मेरा प्रश्न यह है। उनके वेतन में वृद्धि का निर्णय कौन करेगा? उनके वेतन में वृद्धि का फैसला इस संसद द्वारा किया जाना चाहिए। संसद इसका फैसला करती है। इसलिए, जब संसद इस पर निर्णय ले लेती है, तो संसद के पास न्यायपालिका के समक्ष आने वाले मुद्दों पर भी सवाल उठाने का अधिकार होता है। इसलिए, मैं माननीय विधि मंत्री जी और अन्य लोगों का ध्यान, विशेष रूप से, एन.जे.ए.सी. अधिनियम और न्यायपालिका के न्यायालय कक्षों में व्याप्त बुरी प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सब कुछ नियंत्रित होना चाहिए।

यहां, मेरे प्रिय मित्र, श्री सम्पत ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। क्या आपने एक भी ऐसा मामला सुना है जिसमें किसी न्यायाधीश से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ की गई हो? प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कई सांसदों से पूछताछ की गई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। इसलिए, उनकी जांच करने वाला कोई नहीं है। हम न्यायपालिका नहीं हैं, लेकिन जब मैं यह कहता हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि भारत में न्यायपालिका ने भी सराहनीय काम किया है। उन्होंने कानून के शासन की रक्षा की है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें सुधारा जाना चाहिए और सुधार किये जाने चाहिए। यह वह समय है जब हम सबको एक साथ बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि संसद की सर्वोच्चता और लोगों की इच्छा …

माननीय उपाध्यक्ष :श्री शनवास, भ्रष्टाचार और बाकी सब का उल्लेख करना सही नहीं है।

श्री एम. आई. शनवास: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: न्यायपालिका के संबंध में 'भ्रष्टाचार' शब्द का प्रयोग हटाया जाना चाहिए।

श्री एम.आई. शनवास: हम जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी रक्षा होनी चाहिए और हमें ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। … (*व्यवधान*)

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़): महोदय, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, और यदि कुछ अनुचित है तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यदि आप सामान्य रूप से न्यायपालिका के बारे में बता रहे हैं तो यह अच्छा नहीं लगेगा। श्री सम्पत के भाषण में, 80 प्रतिशत बातें उचित थीं और 20 प्रतिशत ठीक थीं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि यह शब्द वहां नहीं होना चाहिए। यदि आप विशेष रूप से इसे कहते हैं, तो यह ठीक है, लेकिन आम तौर पर इस तरह की टिप्पणी करना अच्छा नहीं लग सकता है।

श्री एम. आई. शनवास: महोदय, मैंने सभा के सामने कभी नहीं कहा कि सभी न्यायाधीश भ्रष्ट हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने यह भी कहा कि उन्होंने विधिसम्मत शासन को कायम रखा है और उन्होंने सराहनीय काम भी किया है, लेकिन हम संसद सदस्य देश की अंतरात्मा के रक्षक हैं और अगर कुछ सुधार करना है तो हमें मिल-बैठकर उसे सुधारना चाहिए और हमें इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष : अगले वक्ता श्री पी.पी. चौधरी हैं। कृपया संक्षिप्त रहें क्योंकि हमें 6 बजे तक विधेयक को पारित करना है। इसलिए, आप सभी कृपया अध्यक्ष महोदय के साथ सहयोग करें।

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): महोदय, मेरे स्तर पर संक्षिप्तता क्यों है?

माननीय उपाध्यक्ष : कृपया अपना भाषण संक्षिप्त रखकर अध्यक्ष के साथ सहयोग करें।

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): महोदय, मैं आपको उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय विधि मंत्री जी को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि इसके कुछ प्रावधान अप्रचलित हो गए हैं या अपना महत्व खो चुके हैं, इसलिए उन्हें हटाने की आवश्यकता है।

विधेयक में दूसरा बिंदु उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन में असमानता के संबंध में है, क्योंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दो धाराओं से आते हैं - एक राज्य न्यायिक सेवाओं से आते हैं, और दूसरे बार एसोसिएशन से आते हैं। जो न्यायाधीश बार एसोसिएशन से

आ रहे हैं वे लाभकारी स्थिति में नहीं हैं क्योंकि पेंशन की गणना करते समय बार में उनके अनुभव को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इसलिए, इस विधेयक की आवश्यकता बहुत पहले से ही थी। दुर्भाग्यवश, लोकतन्त्र के विधायी स्तंभ ने इस विसंगति को ठीक करने में बहुत अधिक समय लगा दिया, और यह कार्य न्यायालय पर छोड़ दिया गया कि वह इसमें हस्तक्षेप करे तथा हमें इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दे, और ये निर्देश वर्ष 2005 में ही जारी कर दिए गए, जिन पर हमने अब कार्रवाई की है। यह विधेयक समय की माँग है और इससे पेंशन में असमानता पूरी तरह दूर हो जाएगी।

अब, मैं सीधे अन्य बिंदुओं पर आ रहा हूं। पेंशन के अलावा, न्यायाधीशों को सरकार की अन्य शाखाओं की तुलना में अधिक लाभ मिलना चाहिए, ऐसा न केवल उनके पद की स्थिति के कारण, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाना चाहिए। यह इस तथ्य के अनुरूप भी है कि बार से पदोन्नत होने वाले कई न्यायाधीश, न्यायाधीश बनने के लिए बड़ी बैठने की फीस छोड़ देते हैं तथा न्यायाधीश के पद पर मिलने वाला पारिश्रमिक, वर्तमान जीवन स्तर की कीमत पर नहीं आना चाहिए, तथा न्यायाधीश बहुत कम समय के लिए ही पद पर रहते हैं। इसलिए, न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते में वृद्धि और ऐसी सभी चीज़ें भी प्रदान की जा सकती हैं।

इसके अलावा, विधायी सक्षमता के प्रश्न पर, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लोकतन्त्र मूलतः तीन स्तंभों पर आधारित है, अर्थात् संसद/विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोकतन्त्र का पहला सिद्धांत जवाबदेही है। जहां तक संसद का सवाल है, यह लोगों के प्रति जवाबदेह है। जहां तक कार्यपालिका का संबंध है, यह संसद के प्रति जवाबदेह है। लेकिन यह अकेले न्यायपालिका ही है जो अनुच्छेद 124(2) के तहत संसद या कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। प्रारंभ में, हमने अनुच्छेद 124 को लागू किया था। अनुच्छेद 124 (2) में, यह उपबंध किया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब, प्रथम न्यायाधीश मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा 'परामर्श' शब्द को परिभाषित किया गया है कि 'परामर्श' का अर्थ है 'यह

बाध्यकारी नहीं है, यह सहमति नहीं है'। 'परामर्श' की सही परिभाषा प्रथम न्यायाधीश मामले में दी गई थी। दूसरे न्यायाधीशों के मामले और तीसरे न्यायाधीशों के मामले में, 'परामर्श' शब्द का अर्थ 'सहमति' के रूप में परिभाषित किया गया है, और परामर्श के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, वह भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली का भी गठन किया है, जो मूलतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के विपरीत है। यह एक अतिरिक्त न्यायिक निकाय या अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन न्यायाधीशों द्वारा किया गया है।

न्यायपालिका को कानून की व्याख्या करनी है, उसे कानून नहीं बनाना चाहिए। कानून बनाना संसद का प्राथमिक कर्तव्य है।

माननीय उपाध्यक्ष : न्यायपालिका भी संसद के प्रति जवाबदेह है। हमारे पास महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की शक्ति है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वह शक्ति है। संसद सर्वोपरि है।

श्री पी.पी. चौधरी: मेरा निवेदन यह है कि अनुच्छेद 124 (2) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि एक बार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति कर दिए जाने के बाद कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है। उस जवाबदेही के आधार पर यदि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वे आम जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसलिए, लोगों की इच्छा हमेशा बनी रहती है। हालांकि, इसे कॉलेजियम प्रणाली में बदल दिया गया है। विधि मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि भारतीय के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 366 में विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं।

अब भारत के संपूर्ण संविधान में 'परामर्श' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हम दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामले में दिए गए दोनों निर्णयों को आगे बढ़ाते हुए शब्द परामर्श की एक सरल परिभाषा दे सकते हैं। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के तहत 'परामर्श' शब्द को परिभाषित कर सकते हैं, जिसके तहत यह स्पष्ट किया जा सकता है कि 'परामर्श' शब्द का अर्थ 'परामर्श' नहीं है, बल्कि 'परामर्श' का अर्थ परामर्श है और यह बाध्यकारी नहीं है। इतना ही नहीं, उच्चतम न्यायालय का कहना है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता

या संविधान के मूल ढांचे में हस्तक्षेप है। संविधान की मूलभूत संरचनाक्या है? हमें इसे समझना होगा। भारतीय संविधान के अध्याय IV में संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। यदि हम कहें कि अनुच्छेद 124 से 147 तक सभी अनुच्छेद संघीय न्यायपालिका के संबंध में हैं, तो फिर भारतीय संविधान के तहत विधायिका, अर्थात् संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार कैसे सौंपे गए हैं? संसद और संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत अनुच्छेदों के विभिन्न प्रावधानों के तहत कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। अनुच्छेद 125 के अंतर्गत, माननीय विधि मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है। क्या यह संविधान की मूलभूत संरचना में हस्तक्षेप नहीं है? यदि संघ न्यायपालिका (अध्याय) पूर्णतः संविधान के मूल ढांचे के लिए है, तो यदि संसद द्वारा संघ न्यायपालिका के किसी प्रावधान के संबंध में कोई कानून बनाया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय भी कभी भी हस्तक्षेप कर सकता है।

जहां तक संघीय न्यायपालिका का प्रश्न है, यह संविधान की मूलभूत संरचनामें हस्तक्षेप कर रही है। लोकतन्त्र में, हमारे पास संविधान की तीन बुनियादी संरचनाएं हैं। एक न्यायपालिका है, दूसरी विधायिका है और तीसरी कार्यपालिका है। संसद के कामकाज में हस्तक्षेप संविधान की मूल संरचना में हस्तक्षेप है। इसलिए, संसद को न केवल अनुच्छेद 246 के तहत कानून बनाने की विधायी सक्षमता प्राप्त है, बल्कि उसे केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के "किसी भी प्रावधान" में संशोधन करने की विधायी सक्षमता भी प्राप्त है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से इस शब्द का प्रयोग किया था कि वह मौलिक अधिकारों सहित संविधान के "किसी भी प्रावधान" में संशोधन कर सकती है।

जहां तक अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 124(4) का संबंध है, ये केवल दो प्रावधान हैं जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में और हटाने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया है। लेकिन वे प्रावधान भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन हैं क्योंकि संसद सर्वोच्च है। भारत की जनता ने यह शक्ति दी है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। यहां तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को भी समाप्त किया जा सकता है। इसलिए, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति

सर्वोच्च शक्ति है। न्यायपालिका द्वारा इस आधार पर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। लोकतंत्र में हर संस्था को अपनी स्वतंत्रता मिली है। न्यायपालिका द्वारा संसद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

दूसरे, मैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत न्यायाधीशों को दिए जा रहे गैर-न्यायिक कार्यों के बारे में बात करना चाहूंगा। अब, न्यायाधीश जानते हैं कि हमने एक न्यायिक कार्यभार सौंपा है। न्यायिक कार्य की आड़ में, मैं माननीय विधि मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में एक उपयुक्त संशोधन लाएं, जिससे न्यायपालिका को सौंपे गए कार्यकारी कार्यों को समाप्त किया जा सके। अब न्यायपालिका दोहरा कार्य कर रही है - एक न्यायिक कार्य और दूसरा कार्यपालिका कार्य। हम असंवैधानिक रूप से कार्यपालिका को कार्य सौंप रहे हैं, जबकि संविधान ने संघीय न्यायपालिका के अध्याय के तहत न्यायपालिका को यह कार्य सौंपा है कि ये न्यायपालिका के निर्धारित कार्य हैं और न्यायपालिका को केवल उन्हीं कार्यों या संसद द्वारा सौंपे गए कार्यों या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना अपेक्षित है।

इसलिए, न्यायपालिका कल फिर कह सकती है, जैसा कि एन.जे.ए.सी. मामले में किया गया है, कि जहां तक संघीय न्यायपालिका के अनुच्छेदों का संबंध है, संसद कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए, अब समय आ गया है कि हम या तो परामर्श शब्द को परिभाषित करके अनुच्छेद 124(2) के अधिदेश को बहाल करने के संबंध में उपयुक्त कानून लाएं या फिर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन जैसे कुछ उपयुक्त संशोधन लाएं।

संघ लोक सेवा आयोग, सी.वी.सी. और सी.ए.जी. के मामलों में, सेवानिवृत्ति के बाद संविधान के तहत पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं है। लेकिन हमारा संविधान न्यायाधीशों के मुद्दे पर चुप है। हमें अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति का प्रयोग करके तथा संविधान में संशोधन करके एक उपयुक्त कानून लाना चाहिए, जिसके तहत एक बार न्यायाधीश के सेवानिवृत्त हो जाने पर उसे न्यायाधिकरण या कहीं भी पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि आप उनकी सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं और यदि आपको लगता है कि सेवानिवृत्ति के बाद

न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त हैं, तो आप उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ाकर उन्हें उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में उपयोग कर सकते हैं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। यह सरकार का एक सकारात्मक कदम है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा हाई कोर्ट के जजों के वेतन और पेंशन में वर्तमान में जो विसंगतियां हैं, उन्हे दूर करने का सरकार का यह प्रयास है। वैसे तो सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में इस विधेयक को प्रस्तुत किया है और सरकार इसमें संशोधन भी करने जा रही है। मैं भी मानता हूं कि बदलते समय के अनुसार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों में नियमों में सरलता लाना आति आवश्यक था। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश के सभी न्यायालयों में करीब साढ़े तीन करोड़ मामले लम्बित हैं, यह एक चिंता का विषय है। बीस-बीस सालों तक लोग न्यायालयों के चक्कर लगाते हैं, वे आर्थिक बोझ से दब जाते हैं, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है। कई मामलों में न्यायालयों के चक्कर लगाते-लगाते लोगों की जान तक चली जाती है। मैं समझता हूं कि यह हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त आधिकार का हनन है, क्योंकि समय से किसी भी व्यक्ति को न्याय न मिलना उसके आधिकार का हनन माना जाता है। यह भी देखा गया है कि बड़े और रसूखदार लोगों के केसों का निपटारा जल्दी से जल्दी होता है या मामला समाप्त कर दिया जाता है। आये दिन अदालतों में भ्रष्टाचार के मामले भी आते हैं। यह भी गौर करने की जरूरत है। माननीय न्यायाधीशों को यह भी सोचने और विचार करने की जरूरत है कि कैसी प्रणाली या व्यवस्था बनाई जाए, जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। भ्रष्टाचार न हो, लोगों पर मुकदमे का आर्थिक बोझ कम पड़े,

गरीबों को कानूनी सहायता मुफ्त में कैसे दी जाए, जिस तिथि को मामला निश्चित हो, उसकी उस दिन सुनवाई होनी चाहिए। तारीख पर तारीख न पड़े, अन्यथा अदालतों के चक्कर काटते-काटते उनका जीवन गुजर जाता है।

महोदय, एक चिंता का विषय और है कि गवाहों को मारकर या उन्हें प्रलोभन देकर रास्ते से हटा दिया जाता है, जिसका जीता-जागता उदाहरण व्यापम घोटाला और आसाराम का मामला है। अतः न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान हो। कभी-कभी यह भी देखा गया है कि गवाहों को अदालती परेशानी होती है, जिसके कारण लोग गवाही से भी बचते हैं। यह भी नहीं होना चाहिए।

अंत में एक सुझाव और देना चाहता हूं कि सभी उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों में रिक्त पड़े न्यायाधीशों के पदों को कभी खाली न रखा जाए, ताकि मामलों का निपटारा समय से हो सके। साथ ही साथ देश की निचली अदालतों में भी खाली पदों की समस्या न हो, ऐसी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करना है।

महोदय, मैं कुछ प्रबल आपत्तियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि विधेयक के उद्देश्यों और लक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि इसका मसौदा तैयार किया गया है और इसे इस सभा में 31 मार्च, 2014 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर प्रस्तुत किया

गया है। निर्णय क्या था और याचिकाकर्ता कौन था? वहां कई याचिकाएं थीं और याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। याचिका के आधार पर उच्चतम न्यायालय में निर्णय सुनाया जाता है। निर्णय में मुख्य तथ्य यह है कि अतिरिक्त 10 वर्ष की सेवा को पेंशन योग्य सेवा में गिना जाएगा।

एक साधारण प्रश्न जो मैं इस सभा के समक्ष रखना चाहता हूं, वह यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमेशा दूसरों के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि हितों का टकराव है। जब न्यायाधीश मामलों की सुनवाई कर रहे होते हैं, तो यदि थोड़ी सी भी रुचि होती है या यदि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी न्यायाधीश को ज्ञात होता है, तो अधिकांश मामलों में न्यायाधीश उस मामले को छोड़ देते हैं और उसे किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर देते हैं। हमने बहुत से मामलों में ऐसा देखा है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन योग्य सेवा की गणना के मामले में, उसी सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और सरकार को निर्देश देते हुए मामले का निपटारा किया कि न्यायाधीशों की अतिरिक्त सेवा के 10 वर्ष, अर्थात बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस के 10 को भी पेंशन योग्य सेवा में गिना जाए। क्या यह हितों का टकराव नहीं है? मैं यही कह रहा हूं।

मैं इस सभा में अधिकांश सदस्यों द्वारा न्यायपालिका के वेतन, भत्ते और अन्य टिप्पणियों के संबंध में व्यक्त किये गए विचारों का पूर्ण समर्थन करता हूं। इन पहलुओं पर विचार करने के लिए एक अलग तंत्र होना चाहिए तथा न्यायाधीशों को अपने वेतन का निर्धारण नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका या पीठ की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए कि सरकार को इसकी गणना करनी चाहिए। वह मेरा पहला बिंदु है। इसके अलावा, यह 1 अप्रैल, 2014 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी है। इसलिए, इसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है तथा बार एसोसिएशन में बिताए गए 10 वर्षों को पेंशन योग्य सेवा के रूप में गिना जाएगा। यह उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका की ओर से पूरी तरह से अनैतिक और अनुचित है और यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले को लागू करने के लिए है। यह पहला आरक्षण है जो मैं करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : उच्चतम न्यायालय अभी कानून बना रहा है। वे जो कुछ भी कह रहे हैं, हम उसका पालन कर रहे हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका को एक कानून का मसौदा तैयार करने और उसे सभा में लाने का निर्देश दे रहा है और सभा को न्यायाधीशों के हित में कानून पारित करना होगा। जैसा कि श्री सम्पत ने सही कहा है, वे निष्पादक हैं, वे कानून निर्माता हैं, वे सब कुछ कर रहे हैं और वे सब कुछ का न्याय कर रहे हैं।

एक और दिलचस्प बात है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरा संशोधन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के टर्मिनल आत्मसमर्पण लाभों को बढ़ाने से संबंधित है। विधेयक के खंड 4 के अनुसार, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने खाते में उपलब्ध किसी भी अवकाश को वापस कर सकता है। मूल अधिनियम में कहा गया है कि केवल अर्जित अवकाश ही समर्पित किया जा सकता है। लेकिन अब हम एक संशोधन कर रहे हैं जिसके तहत उनके खाते में उपलब्ध किसी भी छुट्टी को भुनाया जा सकेगा। इसे कैसे भुनाया जाएगा? यह पूर्ण भत्ते के साथ होगा। यह कैसे हो सकता है? यह एक अजीब प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवा पेंशन में, आप केवल अर्जित अवकाश को ही भुना सकते हैं और यहां एक न्यायाधीश अपने खाते में जमा किसी भी अवकाश को भुना सकता है और वह पूर्ण भत्ते के आधार पर अवकाश को भुनाने का हकदार होगा। यह कैसा विचित्र प्रावधान है? इस संशोधन के अनुसार, आप आधे वेतन अवकाश को भुना सकते हैं, आप परिवर्तित अवकाश को भुना सकते हैं और यहां तक कि महिलाओं के लिए बाल देखभाल अवकाश को भी भुनाया जा सकता है। तो, यह पूर्ण भत्तों के साथ एक अजीब प्रावधान है।

जहां तक छुट्टी के नकदीकरण की बात है, तो केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ते को ही गिना जाता है। लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और सिविल सेवा के अधिकारियों को यही मिलता है। हर जगह छुट्टी के नकदीकरण के लिए सिर्फ मूल वेतन और डी.ए. को ही गिना जाता है, लेकिन यहां सभी भत्ते, पूरे भत्ते गिने जाते

हैं। केवल न्यायपालिका को संतुष्ट करने के लिए अजीब से अजीब प्रावधान को शामिल किया जा रहा है। यह पूरी तरह से अनुचित और अनैतिक है। एक न्यायाधीश को क्या लाभ मिल रहा है? मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, टेलीफोन भत्ता, यात्रा भत्ता तथा न्यायाधीशों द्वारा अर्जित सभी भत्ते इस भत्ते के लिए गिने जाएंगे। यह कैसे उचित है?

इस सभा में कई प्रतिष्ठित सदस्य पहले ही कह चुके हैं कि कोई न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कभी भी कोई सरकारी पद धारण नहीं करेगा। भले ही इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता हो, लेकिन यह निश्चित रूप से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अब राज्यपाल का पद संभाल रहे हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण कहां है? उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि यदि यह विधेयक पारित हो गया तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण समाप्त हो जाएगा। अब, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को किसी विशेष राज्य का राज्यपाल नामित किया गया है।

मैं एन.जे.ए.सी. विधेयक के संबंध में दो मुद्दे उठाना चाहता हूं। उस विधेयक का क्या हुआ? मैं विधि मंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी श्री अरूण जेटली द्वारा व्यक्त किये गए विचारों का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी श्री अरुण जेटली द्वारा कहे गए शब्दों को उद्धृत करता हूं: "यह अनिर्वाचित लोगों का अत्याचार है"। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि संसद के दोनों सदनों और 20 राज्य विधानसभाओं वाली पूरी संसद ने संविधान संशोधन को मंज़ूरी दी है लेकिन पाँच सदस्यीय पीठ में चार न्यायाधीशों ने फ़ैसला किया हैं कि लोगों की इच्छा नहीं बचेगी और केवल उनका हित बचेगा, उनका निर्णय अंतिम होगा। सरकार ने क्या गलत किया है। निर्णय की घोषणा के बाद सरकार का क्या रुख था? सरकार कॉलेजियम में सुधार के लिए टिप्पणियां देने के लिए तैयार और इच्छुक थी। मेरा कहना है कि भारत सरकार कॉलेजियम के सुधार के लिए कभी कोई टिप्पणी नहीं करेगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कॉलेजियम में सुधार के लिए कोई भी टिप्पणी या प्रतिक्रिया देकर, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों न हो, आप संसद के अधिकार को छीन रहे हैं, आप संसद के

अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से संविधान संशोधन पारित किया है और अधिकांश राज्य विधानसभाओं ने संशोधन पारित किया है। यह जनता की इच्छा है। चार सदस्यीय पीठ निर्देश दे रही है कि आप आएं और कुछ टिप्पणियां दें ताकि कॉलेजियम में सुधार हो सके। सरकार तत्काल कार्रवाई कैसे कर सकती है? सरकार को संसद में वापस आकर बताना चाहिए था कि उच्चतम न्यायालय की बेंच ने विधेयक को खारिज कर दिया है; हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए? सरकार ने विपक्ष से परामर्श नहीं किया है। सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और वह उच्चतम न्यायालयके फैसले के अधीन है। यह कॉलेजियम सुधार प्रक्रिया के लिए टिप्पणियां और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। जहां तक संसदीय प्रथा का प्रश्न है, यह पूर्णतः अनुचित है। चाहे वह एन.डी.ए. हो या यू.पी.ए., भा.ज.पा. हो, कांग्रेस हो, सी.पी.आई. हो, वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, हमें जनता की इच्छा की रक्षा करनी होगी। यह व्यक्तियों की इच्छा नहीं है। हमें इस मामले से लड़ने के लिए खड़ा होना चाहिए। हमें एन.जे.ए.सी. विधेयक को संसद के अधिकार क्षेत्र में वापस लाना होगा और इसे लागू किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इन आपत्तियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा।

जब मैं 1967 में बिहार विधान सभा का सदस्य बना था तो अपने कुछ साथियों के साथ संसद को देखने आया था। संसद के परिसर में बाबासाहब की मूर्ति को देखकर मैंने अपने साथियों को कहा कि बाबासाहब की मूर्ति हम लोगों को कुछ कह रही है। उन्होंने कहा मूर्ति क्या कहेगी? हमने कहा कि हाथ में संविधान की किताब है और अंगुली संसद की ओर है। इनका कहना है कि हिन्दुस्तान के गरीबो, पिछड़ो, दलितो, इस संविधान की किताब में तुम्हारे लिए न्याय की बहुत सी बातें लिखकर जा रहा हूं, लेकिन जब तक हिन्दुस्तान में विधायिका,

कार्यपालिका और न्यायपालिका में तुम्हारा बहुमत और आधिकार नहीं होगा, तब तक यह संविधान तुम्हारे लिए निरर्थक रहेगा। इसलिए आज तक वे बातें हमारे सामने यों की यों खड़ी हैं। विधायिका में तो ज्यों-ज्यों हम पिछड़े और दलित समाज के लोग अपने वोट की कीमत जानते जाएंगे, अपने बहुमत की शक्ति पहचानते जाएंगे, विधायिका पर कब्जा करते चले जाएंगे। एक न एक दिन उनका बहुमत होकर रहेगा।

दूसरी बात है कि आरक्षण लागू होने के कारण कार्यपालिका में भी उनका बहुमत होता जायेगा और 50 वर्ष, 100 वर्ष आते-आते इन पिछड़े और दलितों का कार्यपालिका में भी वर्चस्व होकर रहेगा। लेकिन न्यायपालिका में आज तक उनको आधिकार नहीं मिला। विधायिका में एक से एक प्रतिभाशाली, योग्य, विद्वान, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी मिल सकते हैं, कार्यपालिका में एक से एक बड़े-बड़े ऑफिसर विद्वान मिल सकते हैं तो क्या न्यायपालिका में एक भी पिछड़े और दलित समाज का व्यक्ति उस योग्य नहीं बना है, यह हिन्दुस्तान के 85 प्रतिशत लोगों की प्रतिभा का अपमान है, 85 प्रतिशत जनमत का अपमान है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, प्रधानमंत्री जी ने जो संशोधन किया, उसमें चयन समिति में उन्होंने लिखा कि 6 सदस्य में दलित आदिवासी और पिछड़ा वर्ग में से एक सदस्य इसमें रहेगा, हिन्दुस्तान के इतिहास में वह क्रान्तिकारी परिवर्तन था। हिन्दुस्तान के सामन्तवादी लोगों को यह बर्दाश्त नहीं है कि चयन समिति में कोई पिछड़ा, दलित और आदिवासी बैठे, जो इस बड़ी कुर्सी के लिए न्यायाधीशों को चुनने का काम करे, इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया था, जिसको आज लोग नहीं मान रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान के पिछड़े, दलित, निर्धन, निर्बल, गरीबों ने विश्वास किया था कि सभी जगह उनको उचित न्याय मिलेगा और मिलता जा रहा है, लेकिन न्यायपालिका में उन्हें उचित न्याय नहीं मिल रहा है, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उसको दिलाने के लिए संविधान में एक नहीं, अनेक संशोधन करने पड़ें तो संसद् को करने चाहिए और न्यायपालिका को इस संसद् के निर्णय को सम्मानजनक तरीके से स्वीकार करना चाहिए, तभी हिन्दुस्तान चलेगा, अन्यथा यह संसद् का अपमान हिन्दुस्तान के लोकमत

का अपमान है, हिन्दुस्तान के लोक का अपमान है और हिन्दुस्तान के जनमत और हिन्दुस्तान के लोक का अपमान हिन्दुस्तान में ज्यादा दिन तक लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब, माननीय मंत्री जी।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जो कुछ भी कहेंगे, उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*)... [7*]

[7*]कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। वे मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत से, उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुके हैं। मैं निश्चित रूप से उनकी चिंताओं की सराहना करता हूं और मैं बहस के दौरान सदस्यों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों का संज्ञान लेता हूं।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मैं अपने तर्क संविधान में निर्धारित अनुच्छेदों पर आधारित करना चाहूंगा। हमने संविधान के प्रति अपने समर्पण के संबंध में दो दिनों तक चर्चा की है। आज का विधेयक केवल संविधान के तहत निर्धारित अनुच्छेदों पर आधारित है और हम कानून के प्रावधानों से एक इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं।

मैं सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 142 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य करता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का सरकार द्वारा जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 142(1) स्पष्ट रूप से कहता है:

> "उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित कोई डिक्री या बनाया गया आदेश भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में ऐसी रीति से लागू होगा जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन निर्धारित किया जा सकता है और जब तक इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी रीति से लागू होगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे।"

इसलिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत लागू किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : तो फिर संसद की भूमिका क्या है?

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: महोदय, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। जहां तक एन.जे.ए.सी. का प्रश्न है, वहां एक उग्र भाषण हुआ। मैं एन.जे.ए.सी. के बारे में ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। बेशक, 16 अक्टूबर को कॉलेजियम प्रणाली बहाल कर दी गई और 99वां संविधान संशोधन रद्द कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : विधि मंत्री जी महोदय, मुद्दा यह नहीं है। जैसा कि श्री प्रेमचन्द्रन ने कहा है, संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। जब उच्चतम न्यायालय कहता है कि कार्यकाल और अन्य चीजें वैसी ही रहेंगी, तो वे चीज़ों को निर्देशित कर रहे हैं। तो फिर हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? यही वह मुद्दा है जिसे माननीय सदस्य उठा रहे हैं। हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का पालन करना होगा, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि यह सदन को कुछ हद तक गुमराह करने वाला है।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: महोदय, मैं तो सिर्फ संविधान के प्रावधानों को उद्धृत कर रहा था। सवाल यह है कि संसद फैसले पर पुनर्विचार क्यों नहीं कर सकती।

श्री भर्तृहरि महताब : इसमें कहा गया है कि भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र में ऐसी रीति से, जैसा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन विहित किया गया है। इसलिए 'संसद द्वारा बनाया गया' ही अंतिम सत्य होगा।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: महोदय, जब तक संसद द्वारा इसे कानून के रूप में अधिनियमित नहीं किया जाता, तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। अब फ़ैसला आ गया है।

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्काबल्लापुर): माननीय विधि मंत्री जी ऐसा आभास देते प्रतीत होते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी आदेश या डिक्री लागू करने योग्य है। लेकिन जब तक संसद कोई कानून नहीं बना लेती, तब तक उसे लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने अभी कहा है कि हम इसे लागू करने

के लिए बाध्य हैं। हमें हमेशा कानून लाने का अधिकार है और या तो आप इसे लागू कर सकते हैं या फिर इसके विपरीत कानून बना सकते हैं। इसकी कई बार व्याख्या की गई है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि हो सकता है कि उनका रुख सही न हो। बेहतर होगा कि आप अटॉर्नी जनरल या विधि मंत्रालय से परामर्श लें। कानून मंत्री जी का यह बयान कि उच्चतम न्यायालयद्वारा पारित कोई भी आदेश अनुच्छेद 142 के तहत लागू होगा, संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के बावजूद, सही नहीं है। यह बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा न हो। आप कृपया इसे पढ़िए। मैंने राज्य और यहां दोनों जगह इस विभाग को संभाला है। कई चीज़ें आ चुकी थीं। मेडिकल सीटों तथा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सीटों से संबंधित एक मामला भी सामने आया। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उस समय, तत्कालीन अटॉर्नी जनरल तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह राय व्यक्त की गई थी कि हमें इसे निरस्त करने के लिए कानून लाना होगा। इसलिए, एक कानून लाना होगा। मुझे नहीं लगता कि कानून की अनुपस्थिति में, अनुच्छेद 142 निरपेक्ष हो सकता है। जब तक संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता, यह पूर्णतः लागू नहीं हो सकता।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री जी तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जी (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, संविधान के तहत यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कानून संसद में बनाया जाना चाहिए। वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि जब तक संसद कानून नहीं बना लेती, तब तक हम कुछ बाध्यताओं में रहेंगे। यही वह बात है जिसे वह समझाने की कोशिश कर रहा था। तो, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए और फिर हम चर्चा कर सकते हैं।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इसे संसद के समक्ष विधेयक के रूप में लाया गया है। मैं केवल यह बता रहा हूं कि इसे कारण स्पष्ट करते हुए किस प्रकार उचित ठहराया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को कैसे उचित ठहराया जा सकता था और सरकार यह विधेयक क्यों लाई है? यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने लेख का प्रासंगिक भाग पढ़ लिया है।

इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि संसद के लिए निर्णय का पालन करना अनिवार्य है। संसद सर्वोपरि है। मैं इसका विरोध नहीं करता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी ऐसा ही प्रावधान था। यह वर्ष 2005 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उपलब्ध कराया गया था। विस्तृत समीक्षा के बाद हमें पता चला कि कुछ भेदभाव हुआ है। उदाहरण के लिए, एक न्यायाधीश को आमतौर पर 52 से 55 वर्ष की आयु में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया जाता है। एक वकील को न्यायाधीश के पद पर तभी पदोन्नत किया जाता है जब वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करता है। अंततः, पेंशन प्राप्त करने के लिए उसे 14 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। यही नियम है। अब, यदि किसी को 52 या 54 वर्ष की आयु में नियुक्त किया जाता है, तो वह 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने जा रहा है और उस स्थिति में वह पूर्ण पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। आमतौर पर एक वकील जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो और जिसने 20 से 25 वर्षों तक अपना कार्यालय स्थापित किया हो, वह कभी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने के लिए तैयार नहीं होगा। यह कुछ प्रोत्साहन देने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उनकी सेवानिवृत्ति के चरण में कोई भेदभाव न हो। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी कारण से यह विधेयक लाया गया है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि 62 वर्ष की आयु में न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद कोई वकील अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उन्हें किसी अन्य उच्च न्यायालय में जाना होगा और एक बार जब वह वकालत छोड़ देंगे तो यह उस वकील के साथ घोर अन्याय होगा, जिसे बार से न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। प्रथा यह है कि दो-तिहाई न्यायाधीश बार से नियुक्त किये जायेंगे तथा एक-तिहाई न्यायाधीश न्यायिक सेवा से नियुक्त किये जाएंगे। वर्तमान में भारी संख्या में पद खाली हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लगभग 400 पद खाली पड़े हैं। एक तिहाई का मतलब है कि लगभग 300 व्यक्तियों को बार एसोसिएशन से खंडपीठ तक पदोन्नत किया जाना है। 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद, यदि उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो स्वतः ही उन्हें लगेगा कि

न्यायाधीश के पद पर रहना उनके लिए अनुकूल नहीं है। अधिवक्ता समुदाय में ऐसी भावना न रहे, इसके लिए सरकार यह विधेयक लाना चाहती थी। उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए केवल परामर्शात्मक है। ऐसे तमाम विचारों के आधार पर हम यह विधेयक लेकर आए हैं।

इसके अलावा, हमने छुट्टी और अन्य चीज़ों के संबंध में अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की है। वहां कई विसंगतियां थीं। पहले सिविल सेवकों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता था। अब यह वहाँ नहीं है। पहले रंगून और अन्य जगहों पर भारतीय उच्च न्यायालय थे, लेकिन अब वे वहां नहीं हैं। हम इन सभी क्षेत्रों को समेकित और संशोधित करना चाहते थे। इन सभी पुराने और अप्रभावी कानूनों को ठीक करने की आवश्यकता है। इन्हीं कारणों से हम यह विधेयक लेकर आए हैं। इसलिए, इसके कई कारण हैं और यह केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण नहीं है। हम आँख बंद करके इसका पालन नहीं कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय का निर्देश एक सलाह की तरह था। हमने उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई कुछ बातों पर गौर किया है। इसलिए, हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब छह बजने वाले हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम इस विधेयक के उत्तर और पारित होने तक सभा का समय बढ़ा सकते हैं और हमारे पास एक और विधेयक पेश करने के लिए है।

अनेक माननीय सदस्य: महोदय, हाँ।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, जो सदस्य विधेयक पर बोले हैं, क्या वे कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद ऐसा किया जा सकता है।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: जहां तक एन.जे.ए.सी. का सवाल है, मैं कुछ कहना चाहता हूं।... (*व्यवधान*) मैं इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि अभी उच्चतम न्यायालय से अंतिम फैसला नहीं आया है। उन्होंने

कुछ सुझाव माँगें हैं। निश्चित रूप से, हमें कुछ सुझाव भी मिले हैं और उच्चतम न्यायालय को कुछ सुझाव दिए गए हैं। इसलिए, जब तक उच्चतम न्यायालय से अंतिम फैसला नहीं आ जाता, हम उस मुद्दे पर बहस करने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि कॉलेजियम प्रणाली में कुछ खामियां हैं, इसलिए आप अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि वे इसमें सुधार कर सकें। यह पूर्व के निर्णय की निरंतरता है। यह उसी निर्णय से निकला है। ... (*व्यवधान*) उन्होंने एन,जे,ए,सी, को भले ही रद्द कर दिया हो, लेकिन बाद में उन्होंने विभिन्न पक्षों और हितधारकों से कुछ और सुझाव सुनने के लिए उसी पीठ को जारी रखा है। जब तक उच्चतम न्यायालय से अंतिम निर्णय नहीं आता है, तब तक मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं।

देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की पीठों की स्थापना के संबंध में हमारे मित्रों द्वारा कुछ अन्य प्रश्न पूछे गए हैं। विशेषकर, जहां तक इस मामले का संबंध है, अनुच्छेद 130 बहुत स्पष्ट है। जब तक भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सहमति नहीं दी जाती, वर्तमान अधिनियम आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता। हम अपने देश के किसी भी हिस्से में उच्चतम न्यायालय की बेंच तब तक स्थापित नहीं कर सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसकी सहमति न दें। इस मामले में इस समय सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : यह केवल माननीय सदस्यों द्वारा दिया गया सुझाव है। जब उच्च न्यायालय की न्यायपीठ हैं, तो यह भी किया जा सकता है। जहां तक चेन्नई का प्रश्न है, मदुरै में उच्च न्यायालय की एक पीठ है। इसी तरह, वे सुझाव दे रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय में भी एक पीठ हो सकती है।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, सभी सुझाव स्वीकार किये गए हैं। मैंने यह बात शुरुआती चरण में ही कह दी थी। उच्चतम न्यायालयकी खंडपीठ और उच्च न्यायालय की खंडपीठों की स्थापना के लिए देश के विभिन्न कोनों से विभिन्न माँगें आ रही हैं। जहां तक उच्च न्यायालय खंडपीठ का प्रश्न है, राज्य सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से कागजात प्रस्तुत करने होंगे। अभी तक किसी भी राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। न तो मुख्य न्यायाधीश और न ही मुख्यमंत्री जी

ने इस बात पर सहमति जताई है और न ही हमारे सामने कहीं भी संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का मुद्दा उठाया है।

डॉ. ए. सम्पत : केरल राज्य की ओर से तिरूवनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की लंबे समय से माँग की जा रही थी। केरल की विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है और वह आपके पूर्ववर्ती को भी दिया गया है। हाल ही में इस संबंध में एक निजी विधेयक भी लाया गया था।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: इस मामले में विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव पर्याप्त नहीं होगा। सरकार द्वारा उठाया गया कोई भी कदम पर्याप्त नहीं है। इस पर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी सहमति होनी चाहिए। ... (*व्यवधान*) यह सही नहीं है। मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री जी को इस प्रस्ताव पर सहमति जतानी चाहिए तथा इसे केंद्र सरकार को भेजना चाहिए, तभी हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। लेकिन देश के विभिन्न राज्यों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। कई सांसदों ने हमारे सामने अपनी माँग रखी है। कई मुख्यमंत्रियों ने हमें अपने प्रस्ताव भेजे हैं लेकिन संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से कोई सहमति नहीं मिली है। फिलहाल, जब तक इस पर सहमति नहीं बन जाती, हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हैं।

जहां तक वेतन का सवाल है, यह सवाल उठाया गया कि न्यायाधीशों को उच्च वेतन क्यों दिया जाना चाहिए। यह प्रश्न सभी सदस्यों द्वारा उठाया गया था। आमतौर पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कैबिनेट सचिव और अन्य सचिवों के बराबर होता है। जैसे ही वेतन आयोग इसमें संशोधन करेगा, स्वतः ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश का वेतन तय हो जाएगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये प्रति माह तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। यह विधि आयोग की प्रतिवेदन के बराबर है।

जहां तक वेतन का सवाल है, सातवें वेतन आयोग ने अपनी प्रतिवेदन सरकार को सौंप दी है और सरकार द्वारा अभी इसे अंतिम रूप दिया जाना है। इसने भारत सरकार के सचिव को 2.25 लाख रुपये और कैबिनेट सचिव को 2.50 लाख रुपये वेतन देने की सिफारिश की है। अतः स्वतः ही न्यायाधीशों के वेतन में भी संशोधन हो जाएगा। लगभग सभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। जहां तक उस पहलू का सवाल है, इसमें कोई विवाद नहीं है। मुझे आशा है कि यह कार्य हो जाएगा।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रनने छुट्टी भत्तों और अन्य चीज़ों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के अनुसार, यह सिविल सेवकों को किये जाने वाले भुगतान से आगे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां तक कि पहले के अधिनियम के अनुसार भी उन्हें अर्जित अवकाश नहीं मिलता था। उन्हें केवल अर्ध वेतन अवकाश भत्ता और अन्य भत्ते ही मिलते थे। इसलिए, हमने सभी चीज़ों को समेकित कर दिया है और न्यायाधीशों के लिए व्यापक अवकाश लाभ की व्यवस्था की है।

जहां तक अन्य मुद्दों का सवाल है, मेरे विद्वान सहकर्मियों द्वारा कोई गंभीर चिंता व्यक्त नहीं की गई है। बेशक, उन्होंने न्यायपालिका के ख़िलाफ़ कुछ शिकायतें व्यक्त कीं। यह बात हमारे विद्वान सदस्यों द्वारा पार्टी लाइन से हटकर दिए गए तर्कों से स्पष्ट है। बेशक, कुछ और न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम इस पर काम कर रहे हैं।

मैं संसद में अपने विद्वान मित्रों द्वारा दिए गए सभी सुझावों को ध्यान में रख रहा हूं। निश्चित रूप से, हम इस बात पर विचार करेंगे कि उनके साथ आगे कैसे बढ़ना है।

इन शब्दों के साथ, मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया विधेयक पारित किया जाए।

डॉ. ए. सम्पत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: आपको केवल एक स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति है।

डॉ. ए. सम्पत: मेरा कहना यह है। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों को कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।

हम उनके वेतन, पेंशन आदि के लिए कानून बना रहे हैं। लेकिन उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को वेतन, यात्रा भत्ता, विशेषकर चिकित्सा भत्ता के रूप में क्या मिलता है, इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। चिकित्सा भत्ता एक महत्वपूर्ण मद है। इन्हें सार्वजनिक करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। अगर ये बातें उजागर हो जाएं तो राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इन्हें सार्वजनिक करने के लिए पहल करेंगे। इसे खुलकर सामने आने दो। इसे जनता को दिखाया जाना चाहिए.

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी महोदय ने अपने जवाब में कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट नहीं था बल्कि और कई कारण थे, जिससे हमें इसे बढ़ाना पड़ा। इस बिल के ऑब्जेक्ट और रिजन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 1 अप्रैल, 2004 यानि इसे रिट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू करने की बात कही। मंत्री जी महोदय जो बिल लेकर आए हैं, इसके क्लाऊज 8 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, यह बिल उसी को पूरा कर रहा है। मेरा मानना है कि इसने पार्लियामेंट को डिफंक्ट कर दिया है। यह कस्टीट्यूशन, जिसकी शपथ हम लोग लेकर आते हैं, संविधान की धारा 368 में कहा गया है कि

[अनुवाद]

"संदेहों को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन संविधान के उपबंधों में परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के माध्यम से संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी।"

[हिन्दी]

जिस तरह से एनजेएसी को किया है और उसके बावजूद भी हम सुप्रीम कोर्ट के सारे डायरेक्शन्स को रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, इस बारे में सरकार को, देश को क्लेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि यह पार्लियामैंट की डिग्निटी का सवाल है, किसी पोलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है। यदि पार्लियामैंट डिफंक्ट है तो हम क्यों सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को मानेंगे? हम रेट्रोस्पेक्टिव को मान रहे हैं क्योंकि यदि कानून होता, तो वह प्रॉसपेक्टिव होता। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर हम रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, इस बारे में सरकार को क्लेरीफाई करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी : मेरे पास पूछने के लिए केवल एक प्रश्न है। मैंने एक मुद्दा उठाया है कि क्या केंद्र सरकार को सभी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन का भुगतान करने पर विचार करना चाहिए। यदि आप उनका पारिश्रमिक बढ़ा रहे हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। वे आर.टी.आई. के दायरे में आने को तैयार नहीं हैं। उन्हें पदोन्नत करते समय उन निर्णयों की संख्या नहीं गिनी जाती जिन्हें उच्चतर न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अच्छे वकील, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, तब तक न्यायाधीश बनने के लिए तैयार नहीं होते जब तक उन्हें यह आश्वासन न मिल जाए कि न्यायाधीश बनने से उन्हें अधिक धन मिलेगा। तो, आप कमोबेश गुप्त रूप से यह स्वीकार कर रहे हैं कि आप न्यायपालिका में गरीब, अकुशल वकीलों को ला रहे हैं। तो, मैं केवल यही पूछना चाहता हूं। इन परिस्थितियों में, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सभी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की पेंशन - आइए हम 1947 या 1950 से

पीछे जाएं, जब भी हमारा संविधान अस्तित्व में आया था - केंद्र द्वारा भुगतान की जाए? सभी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन का भुगतान केंद्रीय ख़ज़ाने से किया जाए तथा पूर्वव्यापी प्रभाव से यह बोझ राज्य सरकारों पर न डाला जाए। आप राज्य सरकारों पर बोझ क्यों डालते हैं? इसलिए, यदि आप न्यायाधीशों को खुश करने में इतने खुश हैं, तो आप उन्हें खुश करें। हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप बोझ उठाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से केवल यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

डॉ. ममताज संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर): मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक सेवा का सवाल है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या वास्तव में न्यायालयों की स्थापना के बाद से नहीं बढ़ाई गई है। इससे सेवाओं को परिभाषित करने में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए, पूरे भारत में कई मामले लंबित हैं। ... (*व्यवधान*) मुझे पता है कि यह कानून के तहत नहीं है।

अब बात करते हैं महिला न्यायाधीशों के प्रतिशत की, तो मैं कहूंगा कि उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम): मैं इस महती सदन के समक्ष, विशेष रूप से माननीय विधि मंत्री जी के समक्ष एक छोटा सा शैक्षणिक संदेह रखना चाहूंगा, जो यह मानते हुए भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए कि यह संशोधन पारित नहीं होता है, मान लीजिए कि यह विधेयक पारित नहीं होता है, तो क्या यह न्यायालय की अवमानना के बराबर है... (*व्यवधान*)

श्री आर.के. सिंह (आरा): महोदय, माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए दो महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पष्ट नहीं किया है। माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा यह था कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है या कोई भी संस्था अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकती है। यह पहला प्रश्न है. माननीय मंत्री जी उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं।

दूसरा मुद्दा जो उठाया गया वह यह था कि माननीय न्यायालय ने ऐसे विषय पर आदेश पारित किया है जो संविधान के अनुसार संसद का विषय है। इसने संसद के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। मेरा मानना

है कि अदालतों को कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि उन्हें ऐसा करना बंद कर देना चाहिए; उन्हें संसद के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करना बंद कर देना चाहिए। इसलिए, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें इन मुद्दों पर स्पष्ट बयान देने की ज़रूरत है।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह कानून केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर नहीं ला रहे हैं, लेकिन एक बात है... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: उन्होंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: लेकिन, अनुच्छेद 125 के अनुसार, हम इस विधेयक को संसद के समक्ष ला रहे हैं। हम यह विधेयक इसलिए लाए हैं ताकि इसमें एकरूपता बनी रहे। जहां तक उन लोगों का प्रश्न है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वर्ष 2005 में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पहले से ही संशोधन था। जहां तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रश्न है, तो उनके साथ थोड़ा भेदभाव होता है। दूसरा, अच्छे वकील न्यायाधीश के पद पर नहीं आएंगे, यदि उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह मत कहिए कि अच्छे वकील नहीं आएंगे। न्यायपालिका अलग है। अगर वे सेवा करना चाहते हैं, तो वे आएंगे। वे पैसे के लिए नहीं हैं; कोई भी पैसे के लिए आकर पद पर कब्जा नहीं करेगा।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: एकरूपता लाने के लिए हम यह विधेयक ला रहे हैं। इसके अलावा, यह विधेयक यू.पी.ए. सरकार द्वारा संसद में लाया जाना चाहिए था। कम से कम अब हम इसे उसके बराबर ला रहे हैं। वेतन आदि में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मैं वेतन आयोग की सिफारिशों के बराबर होगा।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 4 धारा 4ए का संशोधन

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में संशोधन संख्या .1 प्रस्तुत किया जाना है। क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मैं खंड 4 के लिए अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 23,--

"छुट्टी की अवधि" *के लिए*

"अर्जित अवकाश की अवधि" को प्रतिस्थापित (1)

करें।

एक बार फिर मैं इस सभा को यह बताना चाहूंगा कि टर्मिनल सरेंडर लाभ केवल अर्जित अवकाश के लिए है। यहां यह प्रावधान है कि सभी छुट्टियां, चाहे वह परिवर्तित छुट्टी हो या अर्ध वेतन छुट्टी आदि, भुनाई जाएंगी।

दूसरा, इनमें से किसी एक में संशोधन किया जाना चाहिए। दुनिया में कहीं भी यात्रा भत्ते को भुनाया नहीं जा सकता; टेलीफोन भत्ते को भुनाया नहीं जा सकता। छुट्टी के नकदीकरण का मतलब यह नहीं है कि केवल मूल वेतन और डी.ए. ही मिलेगा, एच.आर.ए. कभी नहीं मिलेगा। एच.आर.ए. को कैसे भुनाया जा सकता है? यात्रा भत्ता और पेट्रोल भत्ता या अन्य भत्ते को कैसे भुनाया जा सकता है? तो, उनमें से किसी एक को हटा दिया जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: ऐसी बात नहीं है। 1954 के पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत अवकाश भत्ता, पूर्ण भत्ता, आधा भत्ता आदि के बारे में कुछ भ्रम था। उन सभी चीज़ों को समेकित किया गया और अधिनियम के अंतर्गत लाया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है।

अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या .1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 7 धारा 14 का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 7 में संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत किया जाना है। क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 35 से 37, -

"संघ या राज्य के तहत सेवानिवृत्ति के बाद कोई अन्य पेंशन योग्य पद" (2)

प्रतिस्थापित करें।'

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 7 में संशोधन संख्या 2 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 20 धारा 4क का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 20 में संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत किया जाना है। क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 4, पंक्ति 2,--

“छुट्टी की अवधि” *के लिए*

"अर्जित अवकाश की अवधि" को प्रतिस्थापित करें। (3)

इस सभा में अधिकांश सदस्यों ने इस संशोधन का समर्थन किया। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कभी भी भारत संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई आधिकारिक पद धारण नहीं करेगा। यह वह संशोधन है जिसे मैंने एक अलग तरीके से पेश किया है।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 20 में संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

[अनुवाद]

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22 धारा 13 का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 22 में संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत किया जाना है। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 4, पंक्ति 11 से 14 तक, -

"संघ या राज्य के तहत सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन योग्य पद" प्रतिस्थापित (4) करें"।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 22 में संशोधन संख्या 4 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 22 विधेयक का अंग बने।"

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 23 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं::

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मद संख्या 22 और 23 पर एक साथ विचार किया जाना है। लेकिन इस कानून में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। सरकार ऐसा करने की योजना बना रही है और इसके लिए आधिकारिक संशोधन पेश किये जाने हैं। इसलिए, हम इस पर अभी विचार नहीं करेंगे तथा भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद इस पर विचार करेंगे। हम इस विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद चर्चा जारी रख सकते हैं। इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम अब मद सं 24 पर विचार कर सकते हैं।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): उपाध्यक्ष महोदय, बेहतर होगा कि सरकार इस विधेयक को वापस ले ले और इसके स्थान पर नया विधेयक लाए।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मंत्री जी महोदय और सरकार को निर्णय लेने दीजिए कि उन्हें क्या करना है। इसलिए, हम अभी वैधानिक प्रस्ताव पर विचार नहीं करेंगे। एक बार सरकार आधिकारिक संशोधन लेकर आ जाए तो हम इस विधेयक पर विचार करने से पहले माननीय सदस्यों को पर्याप्त सूचना दे देंगे। इसलिए, अब हम भारतीय ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक पर विचार कर सकते हैं।

सायं 06.21 बजे

भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री जी (श्री जयंत सिन्हा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, भारतीय न्यास अधिनियम निजी ट्रस्टों और ट्रस्टियों के काम-काज को विनियमित करता है। यह बहुत पुराना अधिनियम है।

माननीय उपाध्यक्ष: आप कल जारी रख सकते हैं।

सायं 6.22 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा मंगलवार, 8 दिसंबर, 2015 / 17 अग्रहायण,1937 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित